सत्यमेव जयते

लोकायुक्त राजस्थान

33 वाँ वार्षिक प्रतिवेदन

01/03/2018 से 31/12/2021

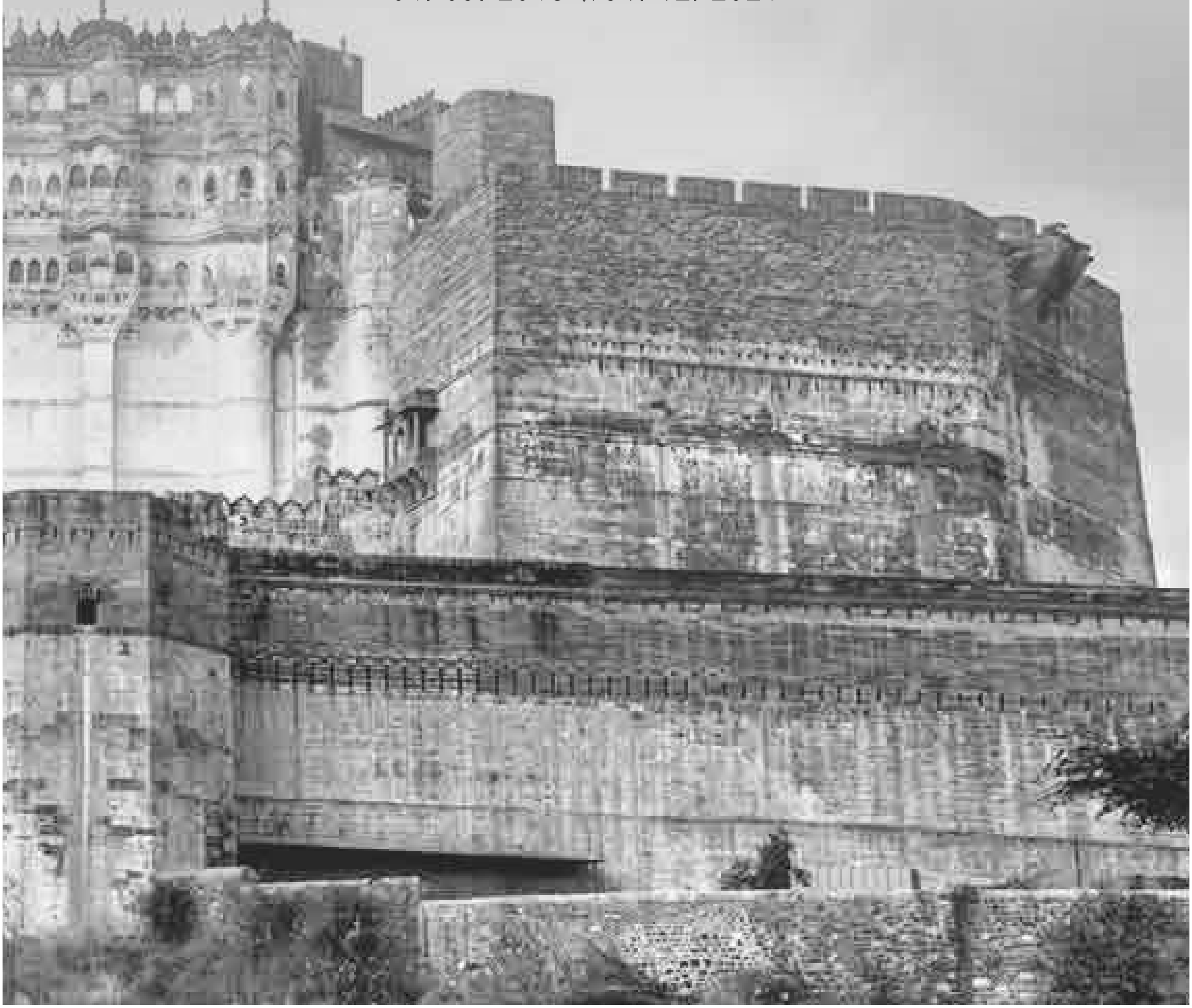

सत्यमेव जयते

लोकायुक्त राजस्थान

33वाँ वार्षिक प्रतिवेदन

प्रथम खण्ड

अन्तर्गत धारा 12(4) राजस्थान लोकायुक्त तथा
उप–लोकायुक्त अधिनियम, 1973

01.03.2018 से 31.12.2021

पी.के.लोहरा
लोकायुक्त, राजस्थान

स्पष्टीकारक ज्ञापन

लोकायुक्त द्वारा राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम, 1973 के अधीन अपने कृत्यों का 33वाँ वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल महोदय को प्रस्तुत किया गया हैं। इस प्रतिवेदन में दिनांक 01.03.2018 से 31.12.2021 तक की कालावधि सम्मिलित है। उक्त कालावधि में से दिनांक 01.03.2018 से 07.03.2019 तक की अवधि पूर्ववर्ती लोकायुक्त से संबंधित है। दिनांक 08.03.2019 से 08.03.2021 तक की कालावधि में लोकायुक्त का पद रिक्त रहा। उक्त प्रतिवेदन ''खण्ड प्रथम'' एवं खण्ड द्वितीय'' में विभाजित है। खण्ड प्रथम दिनांक 01.03.2018 से 07.03.2019 तक की कालावधि का है एवं खण्ड द्वितीय की दिनांक 08.03.2019 से 31.12.2021 तक की कालावधि का है।

खण्ड प्रथम (प्रतिवेदित कालावधि दिनांक 01.03.2018 से 07.03.2019)

प्रतिवेदित कालावधि के दौरान कालावधि के प्रारम्भ में अर्थात दिनांक 01.03.2018 की कुल 4012 परिवाद कार्यवाही हेतु लम्बित थे एवं उक्त दिनांक से 07.03.2019 की अवधि में 4643 परिवाद और प्राप्त हुए। इस प्रकार प्रतिवेदन की कालावधि के दौरान अर्थात दिनांक 01.03.2018 से 07.03.2019 तक कुल 8655 परिवाद प्राप्त हुए।

परिवादों का कुल योग 8655 हुआ। कुल 8655 परिवादों में से 4841 परिवादों का निस्तारण किया जाकर दिनांक 07.03.2019 को 3814 परिवाद लम्बित रहे, जो परिशिष्ट 1.1 में प्रदर्शित हैं।

प्रतिवेदन दिनांक 01.03.2018 से 07.03.2019 तक की कालावधि में प्रारम्भिक जांच के कुल 66 प्रकरणों में से शून्य प्रकरण अभिकथन सिद्व न होने के कारण, 01 प्रकरण अन्वेषण के पर्याप्त आधार न होने के कारण एवं 11 प्रकरण अन्य कारणों से नस्तीबद्व किये गये और 17 प्रकरण अन्वेषण प्रारम्भ कर दिये जाने के कारण अन्वेषण प्रकरणों के शीर्ष में अन्तरित किये गये, शून्य प्रकरण में राज्य सरकार को सुझाव भेजे गये/सक्षम प्राधिकारी को धारा 12(1) में अनुशंषा की गई।

इस प्रकार उक्त अवधि में कुल 29 प्रारम्भिक जांच प्रकरणों का निस्तारण किये जाने के उपरांत दिनांक 07.03.2019 को 37 प्रारम्भिक जांच लम्बित थी, जो परिशिष्ट–1.2 में प्रदर्शित है।

प्रतिवेदन दिनांक 01.03.2018 से 07.03.2019 तक की कालावधि में अन्वेषण के कुल 81 प्रकरणों में से 20 प्रकरण अभिकथन सिद्व न होने के कारण नस्तीबद्व किया गये, 05 प्रकरण आरोप प्रमाणित नही पाये जाने के कारण, 01 प्रकरण अन्य कारणों से नस्तीबद्व किये गये व अन्य 28 प्रकरणों में सक्षम प्राधिकारियों को अनुशंषा प्रतिवेदन प्रेषित किये गये।

इस प्रकार प्रतिवेदनाधीन कालावधि में कुल 54 अन्वेषण प्रकरणों का निस्तारण किये जाने के पश्चात दिनांक 07.03.2019 को 27 प्रकरणों में अन्वेषण लम्बित रहा, जो परिशिष्ट–1.3 में प्रदर्शित है।

प्रतिवेदन दिनांक 01.03.2018 से 07.03.2019 तक की कालावधि के दौरान 467 मामलों में परिवादियों को उनकी संतुष्टि के अनुरूप अनुतोष दिलाया गया, जो परिशिष्ट 1.4 में दर्शाया गया है।

खण्ड द्वितीय (प्रतिवेदित कालावधि दिनांक 08.03.2019 से 31.12.2021)

प्रतिवेदित कालावधि के दौरान कालावधि के प्रारम्भ में अर्थात दिनांक 08.03.2019 को कुल 3814 परिवाद कार्यवाही हेतु लम्बित थे एवं उक्त दिनांक से 31.12.2021 की अवधि में 5996 परिवाद और प्राप्त हुए। इस प्रकार प्रतिवेदन की कालावधि के दौरान अर्थात दिनांक 08.03.2019 से 31.12.2021 तक कुल 9810 परिवाद प्राप्त हुए।

कुल 9810 परिवादों में से 5043 परिवादों का निस्तारण किया जाकर दिनांक 31.12.2021 को 4767 परिवाद लम्बित रहे, जो परिशिष्ट 3.1 में प्रदर्शित है।

प्रतिवेदन दिनांक 08.03.2019 से 31.12.2021 तक की कालावधि में प्रारम्भिक जांच के कुल 42 प्रकरणों में से शून्य प्रकरण अभिकथन सिद्ध न होने के कारण, शून्य प्रकरण अन्वेषण के पर्याप्त आधार न होने के कारण एवं 13 प्रकरण अन्य कारणों से नस्तीबद्ध किये गये और 04 प्रकरण अन्वेषण प्रारम्भ कर दिये जाने के कारण अन्वेषण प्रकरणों के शीर्ष में अन्तरित किये गये।

इस प्रकार उक्त अवधि में कुल 17 प्रारम्भिक जांच प्रकरणों का निस्तारण किये जाने के उपरांत दिनांक 31.12.2021 को 25 प्रारम्भिक जांच लम्बित थी, जो परिशिष्ट–3.2 में प्रदर्शित है।

प्रतिवेदन दिनांक 08.03.2019 से 31.12.2021 तक की कालावधि में अन्वेषण के कुल 38 प्रकरणों में से शून्य प्रकरण अभिकथन सिद्ध न होने के कारण, 03 प्रकरण आरोप प्रमाणित नही पाये जाने के कारण, 03 प्रकरण अन्य कारणों से नस्तीबद्ध किये गये व अन्य 04 प्रकरणों में अन्वेषण पश्चात् सक्षम प्राधिकारी को धारा 12(1) के अन्तर्गत अनुशंषा प्रतिवेदन प्रेषित किये गये।

इस प्रकार प्रतिवेदनाधीन कालावधि में कुल 10 अन्वेषण प्रकरणों का निस्तारण किये जाने के पश्चात दिनांक 31.12.2021 को 28 प्रकरणों में अन्वेषण लम्बित रहा, जो परिशिष्ट– 3.3 में प्रदर्शित है।

प्रतिवेदन दिनांक 08.03.2019 से 31.12.2021 तक को कालावधि के दौरान 192 मामलों में परिवादियों को उनकी संतुष्टि के अनुरूप अनुतोष दिलाया गया, जो परिशिष्ट 3.4 में दर्शाया गया है।

प्रतिवेदन के अन्तिम भाग में लोकायुक्त एवं उप–लोकायुक्त एवं सचिव को पदस्थापन अवधि का विवरण उद्धृत किया गया है।

प्रमुख शासन सचिव
कार्मिक विभाग

मुखबन्ध

राजस्थान लोकायुक्त तथा उप–लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 12 की उप–धारा (4) के अधीन यह है कि "लोकायुक्त" अपने कृत्यों के सम्पादन बाबत एक समेकित प्रतिवेदन प्रति वर्ष महामहिम राज्यपाल महोदय को प्रस्तुत करेंगे। मेरे लिये यह बड़े ही हर्ष का विषय है कि मेरे द्वारा दिनांक मार्च 09, 2021 को "लोकायुक्त" के पद का कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् मुझे "संस्था" का यह "33वां" प्रतिवेदन (दिनांक 01.03.2018 से 31.12.2021) प्रस्तुत करने का गौरव प्राप्त हो रहा है। उक्त कालावधि में से दिनांक 01.03.2018 से 07.03.2019 तक की अवधि मेरे पूर्ववर्ती लोकायुक्त से सम्बन्धित है और दिनांक 08.03.2019 से 03.03.2021 तक की अवधि में लोकायुक्त का पद रिक्त रहा है।

मेरा कार्यकाल आरम्भ होने से ही मैंने यह देखा कि वे हजारों शिकायतें इस संस्था की संजीवनी कोशिकाएं हैं जिन्हें कि पीड़ित व्यक्ति भेजते हैं और संस्था द्वारा उनकी विधि के माप दण्डों के अनुसार जॉच कर पीडितों को समस्याओं का निराकरण किया जाता है तथा दोषी लोकसेवकों के विरूद्ध समुचित अभिशंसा अधिनियम की धारा 12 की उप–धारा (1) के तहत की जाती है।

इस प्रतिवेदन में लोकायुक्त संस्था का इतिहास एवं पृष्ठभूमि, अन्वेषण की अधिकारिता, जॉच एवं अन्वेषण की प्रक्रिया और ऐसे मामलों के सारांश का समावेश है जिनमें अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अधीन प्रतिवेदन व विशेष प्रतिवेदन और अन्य सिफारिशें सक्षम प्राधिकारी को भेजी गई है।

मेरे द्वारा संस्था के मुखिया के नाते पदभार ग्रहण करने के समय कुल **9810** शिकायतें लम्बित थी तथा उस समय कोविड–19 जैसी वैश्विक महामारी ने सम्पूर्ण विश्व में अपना पाँव पसार रखे थे तथा उससे राजस्थान प्रान्त भी अछूता नहीं था और उक्त विपरीत परिस्थितियों के अस्तित्व में होते हुए भी मेरे द्वारा पीड़ित व्यक्तियों की परिवेदनाओं के निस्तारण की ओर अग्रसर होकर अत्यधिक मात्रा में लम्बित परिवेदनाओं

को दृष्टिगत रखते हुए बिना किसी अवकाश के दिनांक 31.12.2021 तक कुल **5043** शिकायतों का निस्तारण किया गया जो कि संस्था के स्थापना वर्ष, 1973 के पश्चात् आज तक सर्वाधिक रहा।

मैंने पदभार ग्रहण करने के पश्चात् यह भी महसूस किया है कि भ्रष्टाचार की शिकायतों की जाँच हेतु बनाये गये निकायों एवं संस्थाओं की हालत यह है कि वे जाँच के पश्चात् केवल अभिशंसा/अनुशंसा ही कर सकते हैं, उसे मानने या न मानने का अधिकार समुचित सरकार के पास निहित होता है और अनुभव यह बताता है कि इन संस्थाओं के अनुरोध और अभिशंसाएं अधिकतर अनसुनी रह जाती है और लोकायुक्त संस्था की हालत भी इससे अछूती नहीं है। इसे मात्र एक अनुशंषा निकाय के आवरण से बाहर निकालकर उचित मामलों में स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिये सक्षम बनाने की आवश्यकता है और यह तब ही सम्भव हो सकता है, जब लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र को व्यापक किया जाये।

वर्तमान में भ्रष्टाचार प्रच्छन्न नहीं प्रत्युत स्वच्छन्द है। भ्रष्टाचार दसों दिशाओं में चहुँओर व्याप्त है। आज समाज का कोई भी क्षेत्र इससे अछूता नहीं रह गया और जहाँ तक हमारे राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में भ्रष्टाचार की चर्चा की जाये, हमारा देश अन्य क्षेत्रों में विकास के प्रतिमान छू रहा हो अथवा नहीं किन्तु इस क्षेत्र में अग्रणीय भूमिका निभाने के लिये सर्वत्र विख्यात है। विश्व के सबसे अधिक भ्रष्ट राष्ट्रों में हमारे देश की गणना बड़े सम्मान के साथ की जाती है।

यहाँ भ्रष्टाचार शब्द को विस्तृत परिप्रेक्ष्य में व्याख्यायित किया जा रहा है अर्थात् वह आचरण जो विधि के अनुकूल नहीं हो और निर्धारित नियमों व उप नियमों से हटकर त्वरित रूप से किसी कार्य को सम्पादित करवाना ही इसकी चरम स्थिति को प्रदर्शित करता है। भारतीय संविधान, हमारा सांस्कृतिक परिवेश सभ्यता एवं मानव जीवन के नैतिक मापदण्ड, भय, भूख और भ्रष्टाचार मुक्त शासन की अपेक्षा करता है।

जब भी और जहाँ भी नैतिक मूल्यों का ह्रास हुआ है, वहीं पर भ्रष्टाचार का आविर्भाव हुआ है। यह वह दिशा है जो हमारे सामाजिक प्रतिमानों एवं नैतिक मूल्यों के

मापदण्डों के विपरीत है और समाज के विभिन्न वर्गों के व्यक्तियों द्वारा ही इसे बढ़ावा दिया जाता है। भ्रष्टाचार एकपक्षीय न होकर द्विपक्षीय आचरण है, जो नैतिक आचरण संहिता के विपरीत है।

भ्रष्टाचार की भयावहता तब और अधिक अभिवृद्धित हो जाती हैं जब जन प्रतिनिधि, लोक सेवक एवं लोकसंहिता से सम्बद्ध लोग इस ओर दुष्प्रेरित होते हैं, चाहे कोई मंत्री हो, अधिकारी हो अथवा लोक सेवक के रूप में पदस्थापित व्यक्ति हो, यह पदस्थापित होते समय भारतीय संविधान की शपथ लेकर अपने नैतिक आचरण को अक्षुण्ण बनाये रखने की शपथ लेता हैं और फिर वही व्यक्ति उस सार्वजनिक रूप से ग्रहण की गई शपथ को उल्लंघित कर भ्रष्ट आचरण को और अग्रसर होता है तो जन मानस किंकर्त्तव्यविमूढ़ हो जाता हैं कि यह नैतिक आचरण की किससे अपेक्षा करे?

भ्रष्टाचार को रोकने के लिये संसद ने अनेक कानून बनाये हैं जिनमें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम सर्वाधिक चर्चित कानून है1 विधि और उससे सन्दर्भित प्रावधान सर्वोपरि होते हैं1 किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में उनका सम्मान अत्यंत आवश्यक प्रक्रिया है एवं उसी से कानून व्यवस्था संचालित होती है लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में यह भी पूर्णतः सत्य हैं कि लोगों में कानून का डर नहीं रहा। यदि वास्तव में कानून का ही डर होता तो लोक सेवक द्वारा रिश्वत लेने के प्रकरणों की संख्या में उत्तरोत्तर इस प्रकार से अभिवृद्धि नहीं होती। रोम में यह कानून था कि चोरी करने वाले व्यक्तियों को उबलते तेल के कड़ाहों में सार्वजनिक रूप से डालकर, भूनकर मार दिया जाता था। इस तरह सार्वजनिक मृत्यु दण्ड को देखने के लिये एकत्र भीड़ में भी लोगों ने जेब तराशी की घटनायें कारित की है। यह इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और नैतिक मूल्यों के उत्थान के बिना अकेला कानून किसी भी अपराध अथवा कुरीति को रोकने में पूर्णतः सक्षम हो ही नहीं सकता।

राष्ट्र की एकता, अखण्डता एवं नैतिक मूल्यों को अक्षुण्ण बनाये रखने की शपथ लेने वाले लोक सेवक क्योंकर भ्रष्टाचार की ओर अग्रसर होते हैं। यह बात किसी परिचय की मोहताज नहीं हैं। हमारा नैतिक आचरण इतना सुदृढ़ हो कि न रिश्वत देने

की ओर न लेने की आवश्यकता पड़े। जब कोई कार्य पारदर्शिता, निष्पक्षता एवं लोकहित में निराकृत किया जाये तो ऐसे विधि विरूद्ध क्रियाकलापों की आवश्यकता ही महसूस न हो।

स्वतंत्रता के पश्चात् भ्रष्टाचार के विरूद्ध निर्मित अनेक कानून पूर्णतः प्रयोजन–सिद्ध नहीं हो पाये, इस कारण नैतिक एवं सांस्कृतिक जीवन मूल्यों का विकास ही इस समस्या का सबसे बड़ा समाधान हो सकता है। प्रक्रियाओं का सरलीकरण भी अपेक्षित है। अनेकानेक श्रृंखलाबद्ध तकनीकी औपचारिकताओं से आहत और परेशानियों से पीड़ित व्यक्ति उनसे बचने के लिये सहजतापूर्वक अपने कार्य करवाने के लिये ही तो रिश्वत की पेशकश करता है। नियमानुकूल तथा विधि अनुकूल कार्यों के निस्तारण के लिये कौन सा सुविधा शुल्क?

भ्रष्टाचार को पराभूत करने का अहसास ऐसे ही ईमानदार लोक सेवकों और विशेषकर युवा पीढ़ी के शंखनाद से ही सम्भाव्य है। यह भाव जब नैतिक रूप से और पूरी ईमानदारी से जन मानस के हृदय को स्पर्शित एवं स्पन्दित होगा, तब ही भ्रष्टाचार रूकेगा। रिश्वत लेने वाले लोक सेवकों में से मात्र 10–20 प्रतिशत ही कानून के शिकंजे में फँस पाते हैं। संभावनाओं के क्षितिज कितने ही विशाल हों, मृतशून्य आस्थायें, निर्जीवता व पाखण्ड का बोझ बहुत देर तक नहीं उठा सकती। सामर्थ्यहीन चरित्रों का बोझ उठाते–उठाते अब भारत माता थक चुकी है। अब भारत माता को सशक्त एवं शौर्यजन्य अंगुलियों का सहारा चाहिये लेकिन सुख के लिये जीने वाली मनःस्थितियाँ त्याग के पर्वत का बोझ आखिर उठायें भी तो कैसे उठायें?

मेरे पदभार ग्रहण करने से आदिनांक तक अर्थात् इतनी अल्पावधि में मेरे समक्ष अनेकों मामले ऐसे आये हैं जिनमें राज्य की स्वामित्व की भूमि राजस्व रिकॉर्ड में हेराफेरी करके निजी व्यक्तियों के नाम कर दी गई, सार्वजनिक शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर लिये गये तथा कई प्रकरणों में सार्वजनिक देयताओं की वसूली के लिये गंभीर प्रयास नहीं किये गये हैं। कतिपय प्रकरणों में शासकीय सेवकों को सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले लाभों को भी बिना न्यायोचित कारण के लम्बित रखा गया। कई

प्रकरणों में पुलिस कर्मियों द्वारा अनुसंधान में अकर्मण्यता कारित किया जाना प्रकट हुआ तथा अनेक प्रकरणों में स्वायत्त शासन विभाग के अधीन कार्यरत लोकसेवकों द्वारा बिना किसी युक्तिसंगत कारणों के पीड़ित पक्षकारों के पट्टे जारी किये जाने या अन्य विधिसम्मत कार्य लम्बी अवधि तक विधि विरूद्ध तरीके से लम्बित रखे गये और इसी प्रकार पंचायती राज विभाग को विभिन्न लाभकारी योजनाओं में प्राप्त होने वाली धनराशि का पंचायत स्तर पर दुरूपयोग किया गया तथा कई विभागों में टेण्डर जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रिया में अनियमितताएं कारित की गई आदि। इस सोचनीय स्थिति का एक कारण यह भी है कि ऐसे लोकसेवकों जो गंभीर प्रकृति के दुराचरण में लिप्त हैं या वे अपेक्षित कर्त्तव्य के निर्वहन के प्रति कोताही बरत रहे हैं, उन्हें पर्याप्त दण्ड नहीं मिलता है और विभागीय जाँचें वर्षों तक लम्बित रहती है तथा विभागीय जाँच के उचितरूपेण सम्पादित न होने के कारण अथवा जाँच में सुसंगत तथ्यों की अनदेखी कर दोषी लोकसेवकों को दोषमुक्त कर दिया जाता है। ऐसे में राज्य सरकार लोक प्रशासन में संवेदनशीलता, दक्षता, गति और पवित्रता लाते हुए राज्य में एक ऐसी संस्कृति विकिसित करे जो कि समर्पण, वचनबद्धता व उत्तरदायित्व बोध के साथ पारदर्शिता की ओर दृष्टिगोचर हो।

अब हम स्पष्ट करेंगे कि सरकारी स्तर पर भ्रष्टाचार को आखिर कौन रोक सकता है? नैतिक आचरण सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण वस्तुस्थिति है लेकिन लोकायुक्त राज्य के चुनिन्दा जन प्रतिनिधियों एवं लोक सेवकों द्वारा भ्रष्टाचार एवं पद के दुरूपयोग को रोकने के लिये सर्वाधिक तात्विक, सर्वोच्च, सक्षम एवं निर्भीक संस्थान है और अब आशा की किरण मात्र इसी संस्थान से दीख पड़ सकती हैं ताकि जन मानस की अपेक्षाओं पर यह संस्थान खरा उतरें और आमजन के हितों को सहारा प्रदान कर लोक कल्याणकारी राज्य की भावना को वास्तविक रूप में आत्मसात किया जा सके और साथ ही समय की भी यह माँग व अपेक्षा है कि जागरूक जनमानस की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए लोकसेवकों के कदाचरण, पद के दुरूपयोग तथा भ्रष्टाचार से सम्बन्धित प्राप्त शिकायतों के त्वरित निस्तारण हेतु विद्यमान अधिनियम, 1973 को अर्थपूर्ण एवं प्रभावी बनाये जाये।

इस प्रतिवेदन के माध्यम से मैं यह आश्वस्त करता हूँ कि यह संस्था राज्य में भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करने एवं लोकसेवकों की कार्य शैली में सकारात्मक परिवर्तन को सुनिश्चित करने में सशक्त भूमिका निभाएगी जिससे कि लोक प्रशासन के सही निष्पादन और अपेक्षित मापदण्डों में आशातीत गुणात्मक वृद्धि होकर जनोन्मुखी जनतन्त्र का सपना साकार हो सके। मुझे यह विश्वास है कि सरकार सुशासन के प्रति प्रतिबद्धता को सुनिश्चित करने के लिये लोकायुक्त संस्था को सशक्त बनाये जाने की दिशा में वांछित कदम उठायेगी जिससे कि यह संस्था आमजन की अपेक्षाओं व आशाओं पर खरा उतर सके।

दिनांक – 29.01.2029
स्थान – जयपुर

(पी.के. लोहरा)
लोकायुक्त, राजस्थान

यह प्रतिवेदन दो खण्डों में विभाजित है । प्रथम खण्ड दिनांक 01.03.2018 से 07.03.2019 तक की कालावधि का है । इस अवधि में माननीय जस्टिस श्री सज्जन सिंह कोठारी लोकायुक्त राजस्थान पदासीन थे । द्वितीय खण्ड दिनांक 08.03.2019 से 31.12.2021 तक की कालावधि का है । इस अवधि में दिनांक 08.03.2019 से 08.03.2021 तक लोकायुक्त राजस्थान का पद का रिक्त रहा है । दिनांक 09.03.2021 को माननीय जस्टिस श्री प्रताप कृष्ण लोहरा ने लोकायुक्त राजस्थान का कार्यभार ग्रहण किया । उक्त सम्पूर्ण अवधि में लोकायुक्त सचिवालय राजस्थान द्वारा किए गए कार्यों आदि का विवरण इस 33 वें प्रतिवेदन में 'खण्ड प्रथम" एवं "खण्ड द्वितीय" में संकलित कर प्रस्तुत है ।

खण्ड प्रथम	दिनांक 01.03.2018 से 07.03.2019	पृष्ठ 12 से 51 तक
खण्ड द्वितीय	दिनांक 08.03.2019 से 31.12.2021	पृष्ठ 52 से 170 तक

अनुक्रमणिका

प्रथम खण्ड

(दिनांक 01.03.2018 से 07.03.2019)

अध्याय–1	सम्पादित कार्य		**12–19**
		समग्र कार्य	12–13
	1.1	लम्बित, संस्थित और निस्तारित परिवादों का विवरण	14–15
	1.2	प्रारम्भिक जॉच प्रकरण	16
	1.3	अन्वेषण प्रकरण	17
	1.4	विभागवार अनुतोष प्रकरण	18–19
अध्याय–2	अनुतोष के प्रकरण		**20–51**

द्वितीय खण्ड

(दिनांक 08.03.2019 से 31.12.2021)

स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त अधिकारियों/कर्मचारियों का विवरण			52–53
बजट एवं व्यय – वर्ष 2019–20, 2020–21, 2021–2022			54–56
अध्याय–3	सम्पादित कार्य		57–65
		समग्र कार्य	57–59
	3.1	लम्बित, संस्थित और निस्तारित परिवादों का विवरण	60–61
	3.2	प्रारम्भिक जाँच प्रकरण	62
	3.3	अन्वेषण प्रकरण	63
	3.4	विभागवार अनुतोष प्रकरण	64–65
अध्याय–4	अन्वेषण पश्चात् सक्षम प्राधिकारी को प्रेषित अनुशंसा प्रतिवेदन के प्रकरण		66–69
	अनुतोष के प्रकरण		70–151
अध्याय–5	खान विभाग		152–173
प्रतिवेदन अवधि के दौरान इस सचिवालय की कार्यवाही पर विभागों द्वारा दोषी लोकसेवकों के विरुद्ध विभागीय स्तर पर की गई अनुशासनिक कार्यवाही की सूची।			174–176
विविध	लोकायुक्त एवं उप–लोकायुक्त की पदस्थापन अवधि		177–178
	प्रमुख सचिव एवं सचिव को पदस्थापन अवधि		179

लोकायुक्त संस्था का परिचय

इतिहास एवं पृष्ठभूमि

विश्व के अधिकांश देशों में जिस संस्था को 'ऑम्बुड्समैन' कहा जाता है, उसे भारत में लोकपाल या लोकायुक्त के नाम से जाना जाता है। इस संस्था को लोकपाल या लोकायुक्त नाम मशहूर कानूनविद् डॉ.एल.एम. सिंघवी ने वर्ष 1963 में दिया था। लोकपाल शब्द संस्कृत भाषा के शब्द लोक (लोगों) और पाल (संरक्षक) से बना है।

लोकपाल या ऑम्बुड्समैन नामक संस्था ने प्रशासन के प्रहरी बने रहने में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सफलता प्राप्त की है। सर्वप्रथम इस संस्था की अवधारणा स्वीडन में की गई जहां वर्ष 1713 में किंग चार्ल्स XII ने कानून का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों को दण्डित करने के लिए अपने एक सभासद को नियुक्त किया। स्वीडन में जब नया संविधान बना तो इस हेतु गठित संविधान सभा के सदस्यों का आग्रह रहा कि इस सम्बन्ध में पूर्व व्यवस्था से भिन्न उनका ही एक अधिकारी जाँच का कार्य करे जो किसी भी स्थिति में सरकारी अधिकारी नहीं होना चाहिए। इस पर वर्ष 1809 में स्वीडन के संविधान में 'ऑम्बुड्समैन फॉर जस्टिस' के रूप में सर्वप्रथम इस संस्था की व्यवस्था की गयी। इस संस्था का मुख्य कार्य लोक सेवकों द्वारा विधि, नियमों तथा विनियमों के उल्लंघन तथा अपालना से सम्बन्धित प्रकरणों की जाँच करना था।

स्वीडन के बाद धीरे–धीरे आस्ट्रिया, डेनमार्क तथा अन्य स्केण्डीनेवियन देशों और फिर अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका एवं यूरोप के कई देशों में भी 'ऑम्बुड्समैन' संस्था का गठन किया गया। संस्था की लोकप्रियता दिनों–दिन बढ़ते जाने पर फिनलैण्ड में वर्ष 1919, डेनमार्क में 1954, नार्वे में 1961 व ब्रिटेन में 1967 में भ्रष्टाचार समाप्त करने के उद्देश्य से ऑम्बुड्समैन संस्था की स्थापना की गई। अब तक 135 से अधिक देशों में 'ऑम्बुड्समैन' की नियुक्ति की जा चुकी है।

'ऑम्बुड्समैन' स्वीडिश भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ लोगों का प्रतिनिधि या एजेन्ट होता है। वस्तुतः 'ऑम्बुड्समैन' का अर्थ एक ऐसे व्यक्ति से है जिसे पारदर्शिता के साथ कुप्रशासन, भ्रष्टाचार, विलम्ब, अकुशलता, अकर्मण्यता एवं पद के दुरूपयोग से नागरिक अधिकारों की रक्षा हेतु नियुक्त किया जाता है। 'ऑम्बुड्समैन' को ब्रिटेनिका–विश्वकोश में नागरिकों द्वारा नौकरशाही की शक्तियों के दुरूपयोग के सम्बन्ध में की गयी शिकायतों की जाँच करने हेतु व्यवस्थापिका द्वारा नियुक्त 'आयुक्त' बताया गया है।

विभिन्न देशों में 'ऑम्बुड्समैन' को भिन्न–भिन्न नामों से जाना जाता है। उदाहरणार्थ – ब्रिटेन, डेनमार्क एवं न्यूजीलैण्ड में यह संस्था 'संसदीय आयुक्त' (Parliamentary Commissioner) के नाम से जानी जाती है। रूस में इसे वक्ता अथवा प्रोसिक्यूटर के नाम से जाता जाता है।

इस संस्था की आवश्यकता व उपादेयता के बारे में देश के कई न्यायाधीशगण व चिन्तकों ने अपने विचार व्यक्त किये है। उदाहरण के तौर पर सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश श्री गजेन्द्र गड़कर ने अपनी पुस्तक "लॉ, लिबर्टी एण्ड सोशियल जस्टिस" में यह उल्लेख किया कि जब तक हम भारत में 'ऑम्बुड्समैन' जैसी संस्था का विकास नहीं करते और संविधान में संशोधन करके अथवा विधायी प्रक्रिया के माध्यम से इस संस्था को सांविधिक दर्जा प्रदान नहीं करते, तब तक देश में व्याप्त भ्रष्टाचार पर प्रभावी नियंत्रण नहीं हो सकेगा।

भ्रष्टाचार राष्ट्र का कोढ़ है और आज प्रशासन की एक प्रमुख समस्या बन गया है। इसे समाप्त करने के लिए समय–समय पर अनेक प्रयास किये गये हैं। राजस्थान में वर्ष 1963 में प्रशासनिक सुधार समिति ने अपने प्रतिवेदन में 'ऑम्बुड्समैन' जैसी एक कानूनी संस्था के गठन की सिफारिश की थी, जिसका कार्य, कार्यपालिका की कार्यवाहियों पर नजर रखना तथा ऐसे मामलों, जिनमें सरकार की किसी भी एजेन्सी द्वारा की गई कार्यवाही अवैध, अन्यायपूर्ण या मनमानी हो, विद्यमान नियमों या स्थापित प्रक्रिया से विपरीत या इनके उल्लंघन में हो, पर कार्यवाही करते हुए उन

शिकायतों जिनमें भ्रष्टाचार का स्पष्ट आरोप लगाया गया हो, के सम्बन्ध में समुचित अन्वेषण करना हो।

हमारे देश में 5 जनवरी, 1965 को श्री मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया। इस आयोग ने "प्रॉब्लम ऑफ रिड्रेसल ऑफ सिटीजन्स ग्रीवन्सेज" से सम्बन्धित अपने प्रतिवेदन में व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार, अकर्मण्यता, चारों ओर फैली अकुशलता तथा जनआकांक्षाओं के प्रति प्रशासन की संवेदनशून्यता के विरूद्ध प्रायः उभरने वाले आक्रोश पर विचार कर यह सिफारिश की थी कि जन अभियोग निवारण हेतु तथा दुराचारपूर्ण व्यवस्था से उत्पन्न भ्रष्टाचार और अन्याय का अभिकथन करने वाली शिकायतों की जाँच के लिए केन्द्र में लोकपाल तथा राज्यों में लोकायुक्त नामक सांविधिक संस्था की स्थापना की जाये किन्तु इस सिफारिश को लम्बे समय तक स्वीकार नहीं किया गया। अब इसे स्वीकार तो किया गया है किन्तु वस्तुतः इसकी क्रियान्विति अभी मूर्त रूप नहीं ले सकी हैं।

जहाँ तक हमारे देश में लोकायुक्त संस्था का प्रश्न है, सर्वप्रथम ओडिशा में वर्ष 1971 में लोकायुक्त की स्थापना हुई, जहाँ वर्ष 1995 में पुनः नया 'लोकायुक्त अधिनियम' बना और तदुपरान्त ओडिशा विधानसभा ने अनेक महत्वपूर्ण और प्रभावी प्रावधानों को समाहित करते हुए ओडिशा लोकायुक्त बिल 2014 पारित कर दिया है। वर्ष 1971 में महाराष्ट्र और वर्ष 1973 में राजस्थान में लोकायुक्त संस्था का गठन किया गया। इसके उपरान्त लगभग 20 से अधिक राज्यों में लोकायुक्त संस्था की स्थापना हुई। इसके पूर्व भी राजस्थान में जन अभियोगों की निगरानी के लिए जन अभाव अभियोग निराकरण विभाग कार्यरत था, किन्तु सरकार के इस तन्त्र में किसी ऐसी संस्था का समावेश नहीं था जिसके माध्यम से मंत्रियों, सचिवों और लोक सेवकों के विरूद्ध पद के दुरूपयोग, भ्रष्टाचार और निष्क्रियता की शिकायतों की जांच तथा अन्वेषण किया जा सके। फलस्वरूप जनता में विश्वास और सन्तोष की भावना की अभिवृद्धि करने के लिये तथा स्वच्छ, ईमानदार, सक्षम और संवेदनशील प्रशासन प्रदान करने हेतु मंत्रियों, सचिवों और लोक सेवकों के विरूद्ध पद के दुरूपयोग, भ्रष्टाचार एवं अकर्मण्यता आदि की शिकायतों को देखने एवं उनमें अन्वेषण करने के लिए एक स्वतंत्र एजेन्सी का सृजन करना तुरन्त

आवश्यक समझा गया और इस उद्देश्य की अभिप्राप्ति हेतु वर्ष 1973 में राजस्थान लोकायुक्त तथा उप–लोकायुक्त अध्यादेश 3 फरवरी, 1973 से प्रभाव में लाया गया। इसे 26 मार्च, 1973 को माननीय राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई और तब से यह 'लोकायुक्त तथा उप–लोकायुक्त अधिनियम, 1973' के रूप में प्रदेश में प्रभावी है।

अन्वेषण की अधिकारिता एवं शक्तियाँ

राजस्थान लोकायुक्त तथा उप–लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 7 के अन्तर्गत लोकायुक्त को राज्य–सरकार के मंत्रियों, सचिवों, अधिकारियों तथा अन्य लोकसेवकों के विरुद्ध निम्न अभिकथनों के अन्वेषण की शक्तियाँ प्रदान की गई हैं :

1. लोकसेवक ने अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई अभिलाभ या अनुग्रह अभिप्राप्त करने या किसी अन्य व्यक्ति को अनुचित अपहानि या कष्ट पहुँचाने के लिए ऐसे लोकसेवक के रूप में अपनी स्थिति का दुरूपयोग किया है;
2. लोकसेवक अपनी पदीय हैसियत में कर्त्तव्यों का निर्वहन करने में व्यक्तिगत हित अथवा अनुचित या भ्रष्ट हेतुओं से प्रेरित था;
3. लोकसेवक अपनी पदीय हैसियत में भ्रष्टाचार या सच्चरित्रता की कमी का दोषी है;

उपरोक्त अधिनियम की धारा 2 में "मंत्री", "सचिव", "अधिकारी" एवं "लोकसेवक" को परिभाषित किया गया है।

"मंत्री" से राजस्थान राज्य की मंत्री परिषद का कोई सदस्य (मुख्यमंत्री के अतिरिक्त) अभिप्रेत है, जो चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, अर्थात् मंत्री, राज्य–मंत्री या उप–मंत्री;

"सचिव" से राजस्थान सरकार का सचिव अभिप्रेत है और इसमें विशेष सचिव, अतिरिक्त सचिव एवं संयुक्त सचिव सम्मिलित हैं।

"अधिकारी" से राजस्थान राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में किसी लोक सेवा में या लोक पद पर नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है।

"लोकसेवक" से तात्पर्य निम्न में से किसी भी प्रकार के व्यक्ति से है:–

1. प्रत्येक मंत्री;
2. प्रत्येक सचिव एवं अधिकारी;
3. जिला परिषद का प्रत्येक प्रमुख/उप–प्रमुख, पंचायत समिति का प्रधान/उप–प्रधान एवं पंचायती राज अधिनियम के अधीन या उसके द्वारा गठित किसी भी स्थाई समिति का अध्यक्ष;
4. नगर निगम का प्रत्येक महापौर/उप–महापौर, नगर परिषद का अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, नगरपालिका बोर्ड का अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं राजस्थान नगरपालिका अधिनियम के अधीन या उसके द्वारा गठित किसी समिति का अध्यक्ष।
5. निम्नलिखित की सेवा में या वेतनभोगी के रूप में कार्यरत प्रत्येक व्यक्ति :–
   - (i) राजस्थान राज्य में कोई भी स्थानीय प्राधिकरण, जिसे राजस्थान सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किया गया है;
   - (ii) किसी राज्य अधिनियम के अधीन या द्वारा स्थापित एवं राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित कोई भी निगम (जो स्थानीय प्राधिकरण न हो);
   - (iii) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 के अर्थ के अन्तर्गत कोई भी सरकारी कम्पनी, जिसमें समादत्त अंशपूजी का इक्यावन प्रतिशत से अन्यून राज्य सरकार द्वारा धारित है, या कोई भी कम्पनी जो किसी भी ऐसी कम्पनी की सहायक है जिसमें समादत्त अंशपूंजी का इक्यावन प्रतिशत से अन्यून राज्य सरकार द्वारा धारित हैं;
   - (iv) राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई भी सोसाइटी, जो राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन हैं और जिसे राज–पत्र में सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किया गया है।

जाँच एवं अन्वेषण की प्रक्रिया

इस सचिवालय में विहित प्रारूप में सत्यापित शपथ–पत्र सहित प्राप्त प्रत्येक परिवाद पर सम्बन्धित विभाग के उच्च/उच्चतर अधिकारी से तथ्यात्मक रिपोर्ट/टिप्पणी आवश्यक दस्तावेजात सहित मँगवाई जाती है। इसके बाद उसका गहन परीक्षण करने पर यदि यह पाया जाता है कि रिपोर्ट/टिप्पणी अधूरी है या अन्य सुसंगत दस्तावेज भी आवश्यक हो तो पुनः पूर्ण रिपोर्ट/टिप्पणी मय सुसंगत दस्तावेज/अभिलेख मँगवाई जाती है। तदुपरान्त परिवाद के सन्दर्भ में प्राप्त रिपोर्ट/टिप्पणी व अभिलेख/दस्तावेज आदि का पुनः परीक्षण किया जाता है तथा आवश्यक होने पर विभाग से प्राप्त रिपोर्ट/टिप्पणी के परिप्रेक्ष्य में परिवादी से उसकी टिप्पणी/आपत्ति माँगी जाती है।

यदि विभाग द्वारा किन्हीं लोकसेवकों को दोषी पाया जाना सूचित किया जाता है तो उनके विरूद्ध की गई/प्रस्तावित कार्यवाही से अवगत करवाने हेतु लिखा जाता है। यदि इस सचिवालय द्वारा पाया जाता है कि परिवाद में लगाए गए आरोप प्रमाणित नहीं है या कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है तो परिवादी को सूचित करते हुए परिवाद नस्तीबद्ध करने के आदेश दिए जाते है। यदि प्रथमदृष्ट्या यह पाया जाता है कि किसी लोकसेवक द्वारा अपने पद का दुरूपयोग अथवा भ्रष्टाचार का कोई कृत्य या कार्यवाही की गई है या अकर्मण्यता की गई है तो इस बाबत प्रारम्भिक जाँच की जाती है। प्रारम्भिक जाँच में परिवादी व अन्य आवश्यक समझे जाने वाले व्यक्तियों को साक्ष्य के लिए बुलाया जाता है। उनसे आवश्यक अभिलेख या दस्तावेज भी मँगवाये जाते है।

लोकायुक्त अधिनियम की धारा 11 के अन्तर्गत जाँच/अन्वेषण के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित मामलों के सम्बन्ध में सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत किसी सिविल न्यायालय को प्राप्त समस्त शक्तियाँ लोकायुक्त को प्राप्त है, जैसे :–

1. किसी भी व्यक्ति को सम्मन करना और उसे हाजिर करना और उसकी शपथ पर परीक्षा करना;
2. किसी दस्तावेज के प्रकटन और प्रस्तुतीकरण की अपेक्षा करना;

3. शपथ–पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना;
4. किसी भी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक–अभिलेख की या उसकी प्रतिलिपि की अध्यपेक्षा करना;
5. साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना,
6. अन्य ऐसे मामले, जो विहित किये जाये।

प्रारम्भिक जाँच के परिणामस्वरूप यदि किसी लोकसेवक के विरुद्ध आरोप बाबत पर्याप्त साक्ष्य पाई जाती है तो लोकायुक्त अधिनियम की धारा 10 के अन्तर्गत उनके विरुद्ध अन्वेषण की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है। इस कार्यवाही में उस अपचारी लोकसेवक/लोकसेवकों एवं सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी को परिवाद/प्रारम्भिक जाँच की रिपोर्ट व अन्वेषण के आधारों का विवरण भेजा जाता है। अपचारी लोकसेवक/लोकसेवकों को इन पर अपना प्रतिवाद/स्पष्टीकरण मय शपथ–पत्र प्रस्तुत करने हेतु कहा जाता है। तत्पश्चात् अन्वेषण की कार्यवाही में ऐसे अपचारी लोकसेवक को, अपने बचाव में स्वयं की साक्ष्य के अतिरिक्त अन्य वह साक्ष्य जिसे वह अपने बचाव में प्रस्तुत करना चाहता है, प्रस्तुत करने व परिवादी व उसके साक्षियों से जिरह करने का अवसर भी दिया जाता है।

इसके पश्चात् दोनों पक्षों की व्यक्तिशः सुनवाई का अवसर भी दिया जाता है एवं अन्वेषण की इस समस्त कार्यवाही के पूर्ण होने पर उपलब्ध समस्त रिकॉर्ड/साक्ष्य/अभिलेख का परिशीलन उपरान्त विश्लेषण एवं विवेचन करते हुए अन्वेषण की रिपोर्ट तैयार की जाती है। इस रिपोर्ट के आधार पर यदि कोई आरोप प्रमाणित नहीं होता है तो परिवादी को सूचित करते हुए प्रकरण नस्तीबद्ध करने का आदेश दिया जाता है। यदि किसी आरोप के सम्बन्ध में अन्वेषण के पश्चात् यह समाधान हो जाये कि ऐसे आरोप को पूर्णतः या अंशतः सिद्ध किया जा सकता है तो धारा 12 की उप–धारा (1) के अन्तर्गत सुसंगत दस्तावेजों, सामग्री तथा अन्य साक्ष्य के सहित लिखित प्रतिवेदन द्वारा अपना निष्कर्ष तथा सिफारिश सक्षम प्राधिकारी को प्रेषित की जाती है। प्रतिवेदन प्राप्ति के दिवस से 03 माह के भीतर प्रतिवेदन के आधार पर की गई अथवा प्रस्तावित कार्यवाही की रिपोर्ट सक्षम प्राधिकारी से माँगी जाती है। यदि

सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई अथवा प्रस्तावित कार्यवाही से सन्तोष हो जाता है तो प्रकरण नस्तीबद्ध करने के आदेश दिए जाते है और इसकी सूचना परिवादी, सम्बन्धित लोकसेवक एवं सक्षम प्राधिकारी को दी जाती है। यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही सन्तोषजनक नहीं पाई जाती है तो धारा 12 की उप–धारा (3) के अन्तर्गत प्रकरण में माननीय राज्यपाल महोदय को ''विशेष प्रतिवेदन'' भेजा जाता है। इसकी सूचना सम्बन्धित परिवादी को भी दिये जाने का प्रावधान है।

लोकायुक्त अधिनियम की धारा 12 की उप–धारा (4) के अन्तर्गत लोकायुक्त द्वारा सम्पादित कार्यों के सम्पादन के सम्बन्ध में माननीय राज्यपाल महोदय को ''वार्षिक प्रतिवेदन'' प्रस्तुत किया जाता है। धारा 12 की उप–धारा (5) के अन्तर्गत माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा उप–धारा (3) के अधीन ''विशेष प्रतिवेदन'' एवं उप–धारा (4) के अधीन प्राप्त ''वार्षिक प्रतिवेदन'' की एक प्रतिलिपि को स्पष्टीकारक ज्ञापन सहित राज्य विधान मण्डल के सदन के समक्ष रखवाये जाने का प्रावधान है।

यह भी उल्लेखनीय है कि लोकायुक्त अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत उनके समक्ष होने वाली कोई भी कार्यवाही भारतीय दण्ड संहिता की धारा 193 के अन्तर्गत एक न्यायिक कार्यवाही मानी गई है।

प्रशासनिक स्थिति एवं बजट

लोकायुक्त सचिवालय में प्रतिवेदनाधीन अवधि में स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के पदों की संख्या का विवरण निम्नानुसार है :–

कालावधि दिनांक 01.03.2018 से 07.03.2019

क्र.सं.	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी	रिक्त पद
1	प्रमुख सचिव	01	01	0
2	सचिव	01	01	0

3	प्रमुख निजी सचिव	01	01	0
4	संयुक्त सचिव	06	06	0
5	विशेषाधिकारी–जे	91	01	0
6	विशेषाधिकारी–आर	91	01	0
7	संयुक्त विधि परामर्शी	91	01	0
5	उप सचिव	05	05	0
9	सहायक सचिव	06	06	0
10	निजी सचिव	02	02	0
11	पुस्तकालयाध्यक्ष	01	01	0
12	अतिरिक्त निजी सचिव	03	03	0
13	अनुभाग अधिकारी	05	05	0
14	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–प्रथम	01	01	0
15	जन सम्पर्क अधिकारी	91	01	0
16	सहायक नगर नियोजक	01	00	01
17	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–द्वितीय	01	01	0
16	सहायक अनुभागाधिकारी	04	02	02
19	निजी सहायक	05	04	01
20	कनिष्ठ लेखाकार	01	00	01
21	आशुलिपिक	09	07	02

22	सहायक प्रोग्रामर	02	01	01
23	सूचना सहायक	14	13	01
24	ड्राफ्ट्समैन	01	01	00
25	लिपिक ग्रेड–प्रथम	08	00	02
20	लिपिक ग्रेड–द्वितीय	19	18	01
27	वाहन चालक	08	06	00
28	जमादार	02	02	00
20	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	20	20	00
30	प्रोसेस सर्वर	04	04	0
31	अति. पुलिस अधीक्षक	01	00	01
32	उपपुलिस अधीक्षक	02	00	02
33	पुलिस निरीक्षक	01	00	01
34	पुलिस उप निरीक्षक	01	0	01
35	हैड कांस्टेबल	03	0	03
36	कांस्टेबल	07	0	07
कुल		148	121	27

वित्तीय वर्ष 2018–19 में लोकायुक्त सचिवालय हेतु मूल आवंटित/संशोधित बजट एवं इसके मुकाबले हुए वास्तविक व्यय का मदवार विवरण नीचे दिया जा रहा है :–

क्र.सं.	बजट शीर्ष	मूल आवंटन	संशोधित आवंटन	व्यय
1	01–संवेतन	96000000	91000000	88954000
2	03–यात्रा भत्ता	200000	200000	200000
3	04–चिकित्सा भत्ता	400000	1100000	1165000
4	05–कार्यालय व्यय	2315000	2700000	2172000
5	06–वाहनों का क्रय	1000	1000	—
6	07–कार्यालय वाहनों का संचालन एवं संधारण	500000	500000	488000
7	08–वृतिक एवं विशिष्ट सेवाएँ	100000	150000	108000
8	11–विज्ञापन, विक्रय, प्रचार और प्रसार व्यय	1000	1000	—
9	14–सत्कार/आतिथ्य/उपहार व्यय आदि	15000	15000	8000
10	20–कार्यकलाप सम्बन्धी वाहनों का संचालन एवं संधारण	200000	200000	187000
11	21–अनुरक्षण एवं मरम्मत	1000	1000	—
12	31–पुस्तकालय एवं पत्र पत्रिकाओं पर व्यय	100000	100000	96000
13	36–वाहनों का किराया	1920000	2032000	2026000
14	37–वर्दियां तथा अन्य सुविधाएँ	46000	46000	46000
15	41–संविदा व्यय	1960000	2800000	2661000
16	62–कम्प्यूटराइजेशन एवं तत्साम्बंधी संचार व्यय	1000	1000	—
	कुल राशि	**103760000**	**100847000**	**98111000**

अध्याय–1

सम्पादित कार्य

इस अध्याय में प्रतिवेदनाधीन अवधि (दिनांक 01.03.2018 से 07.03.2019) में सम्पादित कार्यों का विवरण दिया जा रहा है ।

समग्र कार्य

परिवादों का विवरण.

दिनांक 01.03.2018 को 4012 परिवाद कार्यवाही हेतु लम्बित थे एवं उक्त दिनांक से 07.03.2019 की अवधि में 4643 परिवाद और प्राप्त हुए। इस प्रकार कुल 8655 परिवादों में से 4841 परिवादों का निस्तारण करने पर दिनांक 07.03.2019 को 3814 परिवाद लम्बित रहे। इनका विवरण परिशिष्ट–1.1 में दिया गया है।

प्रारम्भिक जाँच प्रकरण

दिनांक 01.03.2018 से 07.03.2019 तक की कालावधि में प्रारम्भिक जाँच के कुल 66 प्रकरणों में से शून्य प्रकरण अभिकथन सिद्ध न होने के कारण, 01 प्रकरण अन्वेषण के पर्याप्त आधार न होने के कारण एवं 11 प्रकरण अन्य कारणों से नस्तीबद्ध किये गये, 17 प्रकरण अन्वेषण प्रारम्भ कर दिये जाने के कारण अन्वेषण प्रकरणों के शीर्ष में अन्तरित किये गये और शून्य प्रकरणों में राज्य सरकार को सुझाव भेजे गये/सक्षम प्राधिकारी को धारा 12(1) में अनुशंषा की गई। इस प्रकार उक्त अवधि में कुल 29 प्रारम्भिक जाँच प्रकरणों का निस्तारण किये जाने के पश्चात् दिनांक

07.03.2019 को 37 प्रकरणों में प्रारम्भिक जाँच लम्बित रही। इनका विवरण परिशिष्ट–1.2 में दिया गया है1

अन्वेषण प्रकरण

दिनांक 01.03.2018 से 07.03.2019 तक की कालावधि में कुल 81 अन्वेषण प्रकरणों में से 20 प्रकरण अभिकथन सिद्ध न होने के कारण और 06 प्रकरण अन्य कारणों से नस्तीबद्ध किये तथा 28 प्रकरणों में अन्वेषण पश्चात् सक्षम प्राधिकारियों को अनुशंषा प्रतिवेदन प्रेषित किये गये। इस प्रकार प्रतिवेदनाधीन अवधि में कुल 54 अन्वेषण प्रकरणों का निस्तारण किये जाने के परिणामस्वरूप दिनांक 07.03.2019 को 27 प्रकरणों में अन्वेषण लम्बित रहा, जिनका विवरण परिशिष्ट–1.3 में दिया गया है।

इस सचिवालय को कार्यवाही पर परिवादीगण को प्राप्त अनुतोष के प्रकरण

दिनांक 01.03.2018 से 07.03.2019 तक की कालावधि में 467 प्रकरणों में परिवादीगण को अनुतोष दिलाया गया। उक्त अवधि में अनुतोष प्रदान किये गये प्रकरणों का विभागवार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट–1.4 में दिया गया है जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रकरणों का संक्षिप्त विवरण अध्याय–2" "अनुतोष के प्रकरण" में दिया गया है।

परिशिष्ट 1.1

लम्बित, संस्थित और निस्तारित परिवादों का विवरण
कालावधि – दिनांक 01.03.2018 से 07.03.2019

शीर्ष सं.	विभाग का नाम	दिनांक 01.03.18 को लम्बित परिवाद	दिनांक 01.03.18 से 07.03.19 तक प्राप्त परिवाद	कुल परिवाद (योग कॉलम 1 व 2)	दिनांक 01.03.18 से 07.03.19 तक निस्तारित परिवाद	दिनांक 07.03.19 को लम्बित रहे परिवाद (3–4)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	कृषि	12	44	56	42	14
3	पुलिस	375	680	1,055	719	336
4	सहकारिता	9	61	70	59	11
5	शिक्षा	81	176	257	169	88
6	कॉलेज शिक्षा	14	29	43	34	9
7	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	39	45	84	66	18
8	चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	50	81	131	85	46
9	सार्वजनिक निर्माण	37	47	84	65	19
10	उर्जा (विद्युत कम्पनियां)	83	92	175	151	24
11	राजस्व	478	703	1,181	777	404
12	ग्रामीण विकास एव पंचायती राज	464	765	1,229	694	535
13	अकाल एवं राहत	.	0	.	0	.
14	यातायात	4	12	16	9	7
15	वन	23	47	70	37	33
16 व 17	नगरीय विकास एवं आवासन / स्वायत्त शासन	1,104	843	1,947	887	1,060
18	आबकारी	8	22	30	27	3

19	उद्योग	8	19	27	15	12
20	मुद्रण एवं लेखन	1	0	1	1	.
21	पशुपालन	2	9	11	8	3
22	माथुर आयोग से अंतरित	20	0	28	17	11
23	जल संसाधन	14	22	36	24	12
24	इं.गा.नहर परियोजना	0	5	5	2	3
25	खान आवंटन जाँच	661	9	670	76	594
26	उपनिवेशन	4	8	12	7	5
28	न्याय	1	4	5	5	.
29	जेल	4	4	8	7	1
30	श्रम	6	18	24	22	2
31	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी	49	84	133	09	44
32	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	28	45	73	52	21
33	भू–प्रबन्ध	2	7	9	6	3
34	सचिवालय	24	27	51	30	21
35	विविध	315	582	897	522	375
40	भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो	7	8	15	9	6
41	आयुर्वेद	1	7	8	7	1
42	देवस्थान	9	13	22	14	8
43	रा.रा.प.प.निगम	5	9	14	12	2
44	वाणिज्यिक कर	6	9	15	12	3
45	खान एवं भूविज्ञान	46	57	103	54	49
46	संस्कृत शिक्षा	1	1	2	1	1
47	राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि	7	43	50	21	29
48	तकनीकी शिक्षा	2	6	8	7	1
	योग	4,012	4,643	8,655	4,841	3,814

परिशिष्ट–1.2

प्रारम्भिक जांच प्रकरणों का विवरण
कालावधि – दिनांक 01.03.2018 से 07.03.2019

क्र.सं.	विवरण	प्रकरण संख्या
1	दिनांक 01.03.2018 को लम्बित	17
2	दिनांक 01.03.2018 से 07.03.2019 की अवधि में संस्थित	49
3	योग (क्रम संख्या 1 व 2)	66
4	अभिकथन सिद्ध नहीं होने के कारण नस्तीबद्ध	00
5	विभाग द्वारा पहले ही कार्यवाही प्रारम्भ हो जाने के कारण	01
6	अन्वेषण के पर्याप्त आधार होना नहीं पाये जाने से नस्तीबद्ध	01
7	मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण नस्तीबद्ध	02
8	अन्य कारणों से नस्तीबद्ध	08
9	प्रारम्भिक जांच से अन्वेषण में अन्तरित	17
10	राज्य सरकार को सुझाव भेजकर नस्तीबद्ध	00
11	सक्षम प्राधिकारी को प्रेषित सुझाव/अनुशंसा के प्रकरण	00
12	कुल निस्तारित प्रारम्भिक जांच (योग क्रम संख्या 4–11)	29
13	दिनांक 07.03.2019 को लम्बित प्रारम्भिक जांच	37

परिशिष्ट–1.3

अन्वेषण प्रकरणों का विवरण
कालावधि – दिनांक 01.03.2018 से 07.03.2019

क्र.सं.	विवरण	प्रकरण संख्या
1	दिनांक 01.03.2018 को लम्बित	50
2	दिनांक 01.03.2018 से 07.03.2019 तक की कालावधि में संस्थित प्रकरण	31
3	योग (कम संख्या 1 व 2)	81
4	अभिकथन सिद्ध नहीं होने के आधार पर नस्तीबद्ध	20
5	विभाग द्वारा पहले ही कार्यवाही प्रारम्भ हो जाने के कारण नस्तीबद्ध	00
6	अन्वेषण के पर्याप्त आधार होना नहीं पाये जाने के कारण नस्तीबद्ध	00
7	मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण नस्तीबद्ध	00
8	आरोप प्रमाणित नहीं पाये जाने के कारण नस्तीबद्ध	05
9	अन्य कारणों से नस्तीबद्ध	01
10	सक्षम प्राधिकारी को धारा 12(1) के अन्तर्गत प्रेषित अनुशंषा के प्रकरण	28
11	कुल निस्तारित अन्वेषण प्रकरण (योग कम संख्या 4–10)	54
12	दिनांक 07.03.2019 को लम्बित अन्वेषण प्रकरण	27

परिशिष्ट–1.4

विभागवार अनुतोष प्रकरणों की संख्या
कालावधि – दिनांक 01.03.2018 से 07.03.2019

शीर्ष सं.	विभाग का नाम	संख्या
2	कृषि	2
3	पुलिस	52
4	सहकारिता	2
5	शिक्षा	24
6	कॉलेज शिक्षा	3
7	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	10
8	चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	7
9	सार्वजनिक निर्माण	4
10	उर्जा (विद्युत कम्पनियां)	7
11	राजस्व	104
12	ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज	72
13	अकाल एवं राहत	0
14	यातायात	0
15	वन	4
16 व 17	नगरीय विकास एवं आवासन/ स्वायत्त शासन	53
18	आबकारी	3
19	उद्योग	0
20	मुद्रण एवं लेखन	0
21	पशुपालन	1
22	माथुर आयोग से अंतरित	0
23	जल संसाधन	1

24	इं.गा.नहर परियोजना	1
25	खान आवंटन जाँच	0
26	उपनिवेशन	0
28	न्याय	0
29	जेल	2
30	श्रम	2
31	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी	16
32	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	10
33	भू–प्रबन्ध	1
34	सचिवालय	1
35	विविध	00
40	भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो	1
41	आयुर्वेद	0
42	देवस्थान	1
40	रा.रा.प.प.निगम	0
44	वाणिज्यिक कर	0
48	खान एवं भूविज्ञान	6
48	संस्कृत शिक्षा	0
47	राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि	11
48	तकनीकी शिक्षा	0
योगः–		467

अध्याय–2

इस अध्याय में उन प्रकरणों का विवरण दिया जा रहा है। जिनमें इस सचिवालय में प्राप्त परिवादों में राजस्थान लोकायुक्त तथा उप–लोकायुक्त अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाकर परिवादी की उचित शिकायत का नियमानुसार निराकरण करवाते हुए उसे अनुतोष प्रदान करवाया गया है।

अनुतोष के प्रकरण
कालावधि दिनांक 01.03.2018 से 07.03.2019

एफ.2(2)लोआस / 2017

परिवादी श्री एन.के.कोठारी, निवासी झालरा बैरा, द्वितीय पोल के बाहर, महामंदिर जोधपुर की यह शिकायत थी कि उनकी सेवानिवृत्ति से पूर्व विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा नियम विरूद्ध पदोन्नत किए गए संयुक्त निदेशक, कृषि (अभियांत्रिकी) को पदावनत कराया जाए।

आयुक्त, कृषि निदेशालय, जयपुर से इस सम्बन्ध में प्राप्त रिपोर्ट में यह बताया गया कि गलत तरीके से संयुक्त निदेशक, कृषि (अभियांत्रिकी) के पद पर पदोन्नत किए गए कर्मियों श्री ए.के.अजमेरा, श्री जी.डी.माथुर व श्री दिनेश व्यास को पदावनत कर दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को पूर्णतया अनुतोष प्रदान की गई।

एफ.2(22)लोआस / 2017

परिवादी श्री मुरारीलाल शर्मा पुत्र श्री रुप किशोर शर्मा, निवासी ग्राम पोस्ट ऊंचा गांव, भरतपुर की यह शिकायत थी कि कृषि जिन्सों की नीलामी हेतु निर्मित प्लेटफॉर्म्स पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर व्यवसाय किया जा रहा है।

उप निदेशक, कृषि विपणन, अलवर से इस सम्बन्ध में प्राप्त रिपोर्ट में यह बताया गया कि प्रश्नगत प्लेटफॉर्म्स से समस्त अतिक्रमण हटा दिये गये हैं।

इस प्रकार प्रश्नगत अतिक्रमण हटवाकर परिवादी को पूर्णतया अनुतोष प्रदान किया गया ।

एफ.3(3)लोआस / 2018

परिवादी श्री देवाराम कुम्हार, निवासी सरिया देवी मंदिर के पास, कुम्हार बाड़ा, सिरोही की यह शिकायत थी कि पुलिस कोतवाली, सिरोही में ईश्वरलाल नामक व्यक्ति की हत्या के सम्बन्ध में पंजीकृत करवाई गई रिपोर्ट संख्या 8/2018 में पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है ।

पुलिस अधीक्षक, सिरोही से इस सम्बन्ध में प्राप्त रिपोर्ट में यह बताया गया कि प्रकरण में अनुसंधान उपरान्त आरोपीगण के विरूद्ध धारा 306 का अपराध प्रमाणित पाए जाने पर न्यायालय में आरोप पत्र पेश कर दिए गए हैं।

इस प्रकार आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही करवाकर परिवादी को वांछित अनुतोष प्रदान किया गया ।

एफ.3(31)लोआस / 2015

परिवादी श्री भरत सिंह निवासी मदरपुरा, तहसील व जिला भरतपुर की यह शिकायत थी कि पुलिस थाना सिविल लाइन, अजमेर में पंजीकृत रिपोर्ट संख्या 228/2014 में आरोपी की अग्रिम जमानत निरस्त होने के 11 माह पश्चात् भी उसे गिरफ्तार नहीं किया गया है।

पुलिस अधीक्षक, अजमेर से इस सम्बन्ध में प्राप्त रिपोर्ट में यह बताया गया कि आरोपी के विरूद्ध आरोप प्रमाणित पाए जाने पर उसे गिरफ्तार कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत कर दिए गए हैं।

इस प्रकार आरोपीगण के विरूद्ध कार्यवाही करवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया ।

एफ.3(40)लोआस/2018

परिवादी श्री हनुमान प्रसाद वैष्णव निवासी निमोद, तहसील डूंगर, सवाईमाधोपुर की यह शिकायत थी कि जगदीश मीणा एवं अन्य द्वारा जे.सी.बी. से उनके कच्चे घर तोड़ दिए जाने के सम्बन्ध में थानाधिकारी, मलारना डूंगर द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई।

पुलिस अधीक्षक, सवाईमाधोपुर से इस सम्बन्ध में प्राप्त रिपोर्ट में यह बताया गया कि प्रकरण में अनुसंधान उपरान्त अपराध प्रमाणित पाए जाने पर न्यायालय में आरोपीगण के विरूद्ध आरोप पत्र पेश कर दिए गए हैं।

इस प्रकार आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही करवाकर परिवादी को वांछित अनुतोष प्रदान किया गया ।

एफ.3(58)लोआस/2017

परिवादी सुश्री पार्वती कुमारी निवासी भैसीना, तहसील टोडाभीम, करौली की यह शिकायत थी कि पुलिस थाना टोडाभीम में अपहरण किए जाने के सम्बन्ध में पंजीकृत रिपोर्ट संख्या 207/2016 में पक्षपात पूर्ण जांच कर एफ.आर. लगा दी गई है।

पुलिस अधीक्षक, करौली से इस सम्बन्ध में प्राप्त रिपोर्ट में यह बताया गया कि आरोपी के विरूद्ध अपराध प्रमाणित पाए जाने पर न्यायालय में आरोपपत्र प्रस्तुत कर दिया गया है।

इस प्रकार आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही करवाई जाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया ।

एफ.3(101)लोआस / 2018

परिवादी श्रीमती वीना झगटानी, निवासी 123 सेक्टर 51 ए, भूतल, चण्डीगढ़ की यह शिकायत थी कि उसके भूखण्ड संख्या 48 व 55, एन.इ.बी. एक्सटेन्शन, अलवर पर दूलीचन्द व अन्य द्वारा अतिक्रमण किये जाने के सम्बन्ध में पुलिस थाना एन.इ.बी., अलवर में पंजीकृत रिपोर्ट संख्या 283 / 2018 में पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।

पुलिस अधीक्षक, अलवर से इस सम्बन्ध में प्राप्त रिपोर्ट में यह बताया गया कि प्रकरण में अनुसंधान उपरान्त अपराध प्रमाणित पाए जाने पर आरोपीगण के विरूद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश कर दिए गए हैं।

इस प्रकार आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही करवाकर परिवादिया को वांछित अनुतोष प्रदान किया गया ।

एफ.3(110)लोआस / 2017

परिवादी श्री रामजीलाल यादव निवासी ढ़ाणी बावनावाला, ग्राम खडब, तहसील कोटपूतली, जयपुर की यह शिकायत थी कि उनके पड़ोसी श्री महेश व अन्य द्वारा बार-बार पोल पर चढ़कर उनकी बिजली आपूर्ति बाधित कर दी जाती है। इस सम्बन्ध में सहायक अभियन्ता द्वारा पुलिस थाना कोटपूतली को रिपोर्ट पंजीकृत करने हेतु पत्र लिखा गया परन्तु थानाधिकारी द्वारा रिपोर्ट पंजीकृत नहीं की गई।

पुलिस अधीक्षक, जयपुर ग्रामीण से इस सम्बन्ध में प्राप्त रिपोर्ट में यह बताया गया कि आरोपी के विरूद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 107 व 116 में अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत कर शान्ति बनाए रखने के लिए प्रतिबन्धित करवा दिया गया है।

इस प्रकार आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही करवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया ।

एफ.3(112)लोआस/2018

परिवादी श्री योगाचार्य रामस्वरूप आर्य, निवासी गुढ़कटला, दौसा की यह शिकायत थी कि भू माफियाओं द्वारा उसके साथ मारपीट करने के सम्बन्ध में पुलिस थाना बसवा में पंजीकृत रिपोर्ट संख्या 57/2018 में पुलिस द्वारा कार्यवाही नहीं की जा रही है।

महानिरीक्षक, पुलिस रेंज, जयपुर से इस सम्बन्ध में प्राप्त रिपोर्ट में यह बताया गया कि प्रकरण में अनुसंधान उपरान्त अपराध प्रमाणित पाए जाने पर आरोपीगण के विरूद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश कर दिए गए हैं।

इस प्रकार आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही करवाकर परिवादी को वांछित अनुतोष प्रदान किया गया ।

एफ.3(129)लोआस/2018

परिवादी श्री श्रवणराम निवासी आकेली बी. तहसील डेगाना, नागौर की यह शिकायत थी कि मांगीलाल नामक व्यक्ति ने उसका पुत्र बताकर उसकी मृत्यु का फर्जी प्रमाण–पत्र ग्राम सरपंच व हल्का पटवारी से बनवाकर उसके कुएँ का विद्युत कनेक्शन प्राप्त कर लिया। इस सम्बन्ध में पुलिस थाना डेगाना में पंजीकृत रिपोर्ट संख्या 10/2018 में पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है ।

महानिरीक्षक पुलिस रेंज, अजमेर से इस सम्बन्ध में प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण में अनुसंधान उपरान्त आरोपी के विरूद्ध अपराध प्रमाणित पाए जाने पर न्यायालय में आरोप पत्र पेश कर दिए गए। साथ ही कान सिंह के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा(वर्गीकरण, नियन्त्रण एंव अपील) नियम, 19580 नियमों के अन्तर्गत भी विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है।

इस प्रकार आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही करवाकर परिवादी को वांछित अनुतोष प्रदान किया गया ।

एफ.3(130)लोआस / 2017

परिवादी श्री कुमरलाल लोढ़ा निवासी लखनपुर, तहसील रूदावल, जिला भरतपुर की यह शिकायत थी कि वन विभाग द्वारा पुलिस थाना रूदावल में पंजीकृत रिपोर्ट संख्या 17 / 2017 में वन विभाग एवं पुलिस अधिकारियों द्वारा अवैध खनन के वास्तविक आरोपियों को बचाकर निर्दोष व्यक्तियों को फंसाया गया है।

महानिरीक्षक पुलिस रेंज, भरतपुर से इस सम्बन्ध में प्राप्त रिपोर्ट में यह बताया गया कि परिवादी के विरूद्ध आरोप प्रमाणित नहीं हुआ है। प्रकरण में अन्य 38 आरोपियों के विरूद्ध अपराध प्रमाणित पाए जाने पर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत कर दिये गये हैं।

इस प्रकार आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही करवाकर एवं परिवादी को दोषमुक्त करवाकर अनुतोष प्रदान किया गया ।

एफ.3(142)लोआस / 2018

परिवादी श्रीमती सुनीता धाकड़, निवासी लक्ष्मी खेड़ा, थाना बिजोलिया, जिला भीलवाड़ा की यह शिकायत थी कि पुलिस थाना बिजोलिया में उसके साथ मारपीट करनेवालों के विरूद्ध नामजद पंजीकृत करवाई गई रिपोर्ट संख्या 80 / 2018 में पुलिस द्वारा आरोपी भगवानलाल का नाम नहीं जोड़ा गया और अपराध की वास्तविक धाराएँ नहीं लगाई गई।

पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा से इस सम्बन्ध में प्राप्त रिपोर्ट में यह बताया गया कि प्रकरण में अनुसंधान उपरान्त आरोपी के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाए जाने पर न्यायालय में आरोप पत्र पेश कर दिया गया है।

इस प्रकार आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही करवाकर परिवादिया को वांछित अनुतोष प्रदान किया गया ।

एफ.3(150)लोआस / 2015

परिवादी श्री शंकरलाल तेली निवासी छीपा मोहल्ला रायला, तहसील बनेड़ा, भीलवाड़ा की यह शिकायत थी कि पुलिस थाना, रायला में पंजीकृत रिपोर्ट संख्या 67 / 2012 में अनुसंधान अधिकारी श्री प्रहलाद सिंह द्वारा अभियुक्तगण से मिलीभगत कर निष्पक्ष जांच नहीं की जा रही है ।

इस सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार आरोपी के विरूद्ध आरोप प्रमाणित पाए जाने पर राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एंव अपील) नियम, 1958 नियम 17 के अन्तर्गत कार्यवाही कर दण्डित किया गया एवं आरोपीगण के विरूद्ध न्यायालय मे चार्जशीट पेश की गई।

इस प्रकार आरोपीगण के विरूद्ध कार्यवाही करवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.3(191)लोआस / 2018

परिवादी श्री नवलकिशोर नागोरा, निवासी 90, वार्ड संख्या 60, ईदगाह गेट, रातीडांग, वैशाली नगर, जयपुर की यह शिकायत थी कि पुलिस थाना क्रिश्चियनगंज, अजमेर में पंजीकृत करवाई गई चोरी की रिपोर्ट संख्या 176 / 2018 में पुलिस द्वारा आरोपियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है ।

महानिरीक्षक, पुलिस रेंज, अजमेर से इस सम्बन्ध में प्राप्त रिपोर्ट में यह बताया गया कि प्रकरण में अनुसंधान उपरान्त आरोपियों के विरूद्ध अपराध प्रमाणित पाए जाने पर न्यायालय में आरोप पत्र पेश कर दिए गए ।

इस प्रकार आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही करवाकर परिवादी को वांछित अनुतोष प्रदान किया गया ।

एफ.3(194)लोआस / 2018

परिवादी श्री अमर सिंह, निवासी डोरोली थाना खेरली, जिला अलवर की यह शिकायत थी कि उनकी दो पोतियों के साथ बलात्कार की जघन्य घटना होने पर पुलिस थाना खेरली में नामजद पंजीकृत करवाई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 130 / 20108 में पुलिस द्वारा बलात्कारी अभियुक्तगण को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है।

पुलिस अधीक्षक, अलवर से इस सम्बन्ध में प्राप्त रिपोर्ट में यह बताया गया कि प्रकरण में जांचोपरान्त दोनों अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध प्रमाणित पाए जाने पर न्यायालय में आरोप पत्र पेश कर दिए गए ।

इस प्रकार आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही करवाकर परिवादी को वांछित अनुतोष प्रदान किया गया ।

एफ.3(196)लोआस / 2017

परिवादी श्री रामराय शर्मा निवासी 18, गोविन्द नगर, आगरा रोड, जयपुर की यह शिकायत थी कि पुलिस थाना नांगर राजावतान के ए.एस.आई. श्री उमराव सिंह ने उसके विरूद्ध मोटरसाईकिल से टक्कर मारने का झूठा आरोप लगाकर रिपोर्ट संख्या 110 / 2016 पंजीकृत कर आरोप प्रमाणित कर न्यायालय में आरोपपत्र प्रस्तुत किया है।

पुलिस अधीक्षक, दौसा से इस सम्बन्ध में प्राप्त रिपोर्ट में यह बताया गया कि परिवादी को दोषमुक्त पाया गया है एवं गलत व्यक्ति के विरूद्ध आरोप प्रमाणित मानकर आरोप पत्र प्रस्तुत करने के अपराध में दोषी ए.एस.आई. उमराव सिंह के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 नियम 17 के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है।

इस प्रकार आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही करवाकर एवं परिवादी को दोषमुक्त करवाकर अनुतोष प्रदान किया गया ।

एफ.3(203)लोआस / 2017

परिवादी श्री प्रदीप कुमार मित्तल निवासी 219 गंगासागर आम्रपाली रोड, वैशाली नगर जयपुर की शिकायत थी कि पुलिस थाना वैशाली नगर में पंजीकृत रिपोर्ट संख्या 1045 / 2015 में अभियुक्तगण के विरूद्ध सही ढंग से अनुसंधान नहीं किया गया है।

पुलिस उपायुक्त, जयपुर पश्चिम से इस सम्बन्ध में प्राप्त रिपोर्ट में यह बताया गया कि आरोपी दोनों अभियुक्तगण के विरूद्ध भा0द0सं0 की धारा 420, 406, 467 व 120बी के अपराध प्रमाणित पाए जाने पर आरोप पत्र तैयार किए गए।

इस प्रकार आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही करवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया ।

एफ.3(234)लोआस / 2017

परिवादी श्रीमती जैती विश्नोई निवासी रावर की ढ़ाणी वाया भावी, तहसील बिलाड़ा, जोधपुर की यह शिकायत थी कि पुलिस थाना बिलाड़ा में पंजीकृत रिपोर्ट संख्या 457 / 2014 में अभियुक्तगण से मिलीभगत कर अनुसंधान अधिकारी द्वारा एफ. आर. लगा दी गई, जबकि न्यायालय से प्राप्त सूचना के अनुसार एफ.आर. प्रस्तुत नहीं की गई थी।

पुलिस अधीक्षक, जोधपुर ग्रामीण से इस सम्बन्ध में प्राप्त रिपोर्ट में यह बताया गया कि समय पर न्यायालय में एफ.आर. पेश नहीं करने के लिए दोषी पाए गए थानाधिकारी एवं अन्य दो पुलिसकर्मियों के विरूद्ध सीसीए नियम 17 के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है।

इस प्रकार आरोपीगण के विरूद्ध कार्यवाही करवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया ।

एफ.3(238)लोआस / 2016

परिवादी श्री नेमीचन्द माली निवासी केशव नगर, नयापुरा फलौदी, जिला जोधपुर की यह शिकायत थी कि ओमप्रकाश रंगा विकास क्रेडिट कॉ–ऑपरेटिव, फलौदी द्वारा करोड़ो का घोटाला करने के सम्बन्ध में न्यायालय के आदेश से पुलिस थाना फलौदी में पंजीकृत 15 मुकदमों में पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही नहीं की जा रही है।

पुलिस अधीक्षक, जोधपुर ग्रामीण से इस सम्बन्ध में प्राप्त रिपोर्ट बताया गया है कि प्रकरण में आरोपीगण के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाए जाने पर न्यायालय में आरोपपत्र प्रस्तुत कर दिया गया है।

इस प्रकार आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही करवाकर परिवादी को वांछित अनुतोष प्रदान किया गया ।

एफ.3(262)लोआस / 2017

परिवादी श्री सज्जन सिंह निवासी लीलरिया, धोरा वार्ड संख्या 1, बाड़मेर की यह शिकायत थी कि पुलिस अधीक्षक कार्यालय बाडमेर में कार्यरत लिपिक द्वारा झूठा शपथ पत्र पेश कर भूमि का पट्टा प्राप्त किया गया है।

पुलिस अधीक्षक, बाड़मेर से इस सम्बन्ध में प्राप्त रिपोर्ट में यह बताया गया कि आरोपी लोकसेवक को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एंव अपील) नियम, 1958 नियम 17 के अन्तर्गत दण्डित कर गया है । साथ ही नगर परिषद, बाड़मेर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत पट्टे को निरस्त करने के लिए मामला न्यायालय में पेश कर दिया गया है।

इस प्रकार आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही करवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया ।

एफ.3(300)लोआस / 2017

परिवादी श्री जगदीश बैरवास निवासी सूरगरान, सुभाष बाजार टोंक की यह शिकायत थी कि पुलिस थाना कोतवाली, टोंक में पंजीकृत रिपोर्ट संख्या 25/2016 में आरोपी के विरूद्ध पुलिस द्वारा कार्यवाही नहीं की जा रही है।

पुलिस अधीक्षक, टोंक से इस सम्बन्ध में प्राप्त रिपोर्ट में यह बताया गया कि एस0टी0 एवं पोक्सो एक्ट के अन्तर्गत अपराध प्रमाणित हो जाने पर आरोपी अभियुक्त के विरूद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत कर दिये गये हैं।

इस प्रकार आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही करवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया ।

एफ.3(322)लोआस / 2017

परिवादी श्री पप्पू सिंह रावना राजपूत, निवासी जलारिया, पुलिस थाना आसीन्द, भीलवाड़ा की यह शिकायत थी कि ग्राम पंचायत जिन्द्रास के सरपंच द्वारा फर्जी अंक तालिका के आधार पर चुनाव लड़ने के सम्बन्ध में पुलिस थाना आसींद में पंजीकृत रिपोर्ट संख्या 8/2016 में पुलिस द्वारा कार्यवाही नहीं की जा रही है ।

पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा से इस सम्बन्ध में प्राप्त रिपोर्ट में यह बताया गया कि आरोपी कमलेश कंवर के विरूद्ध अपराध प्रमाणित पाए जाने पर न्यायालय में आरोपपत्र प्रस्तुत कर दिया गया है।

इस प्रकार आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही करवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया ।

एफ.3(334)लोआस / 2018

परिवादी श्री गोपाल लाल गुर्जर निवासी लोहसरी, तहसील व जिला दौसा की यह शिकायत थी कि पुलिस थाना सदर में पंजीकृत प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या

192/2018 में थानाधिकारी श्री राम सिंह द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध कार्यवाही नहीं की जा रही है ।

पुलिस अधीक्षक, दौसा से इस सम्बन्ध में प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण में जांचोपरान्त अपराध प्रमाणित पाए जाने पर 15 आरोपियों के विरूद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत कर दिए गए हैं।

इस प्रकार आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही करवाकर परिवादी को वांछित अनुतोष प्रदान किया गया ।

एफ.3(337)लोआस/2016

परिवादी श्रीमती ममता मीणा, निवासी पावर हाउस के सामने, मेन मार्केट, जगतपुरा, जयपुर की यह शिकायत थी कि पति द्वारा प्रताड़ित करने के सम्बन्ध में महिला पुलिस थाना जयपुर (पूर्व) में पंजीकृत रिपोर्ट संख्या 43/2016 में पुलिस द्वारा कार्यवाही नहीं की जा रही है ।

पुलिस उपायुक्त, जयपुर (पूर्व) से इस सम्बन्ध में प्राप्त रिपोर्ट में यह बताया गया कि अनुसंधान के दौरान पीड़िता एवं उसके पति के मध्य राजीनामा करवाया गया और अब दोनों साथ रह रहे हैं।

इस प्रकार परिवादिया को वांछित अनुतोष प्रदान किया गया ।

एफ.3(362)लोआस/2018

परिवादी श्री पप्पू कुरेशी, निवासी सी–101, पाटोदी हाउस, संजय नगर भट्टा बस्ती, शास्त्री नगर जयपुर की यह शिकायत थी कि आदतन अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में शिकायत लेकर वह समाज के अन्य लोगों के साथ पुलिस थाना शास्त्री नगर गए तो थानाधिकारी श्री महावीर प्रसाद द्वारा आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही न कर प्रार्थीगणों के साथ ही अभद्र भाषा का प्रयोग कर उन्हें अपमानित किया गया ।

पुलिस उपायुक्त, जयपुर (दक्षिण) से इस सम्बन्ध में प्राप्त रिपोर्ट में यह बताया गया कि प्रकरण में जांचोपरान्त 6 आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही कर दोनों समुदायों के लोगों के साथ वार्ता करवाकर साम्प्रदायिक सौहार्द स्थापित करवाया गया ।

इस प्रकार आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही करवाकर परिवादी को वांछित अनुतोष प्रदान किया गया ।

एफ.3(385)लोआस / 2017

परिवादी श्री जितेन्द्र सिंह निवासी बालेसर सत्ता, तहसील बालेसर, जोधपुर की यह शिकायत थी कि पारिवारिक सम्पत्ति के बंटवारे को लेकर हुए विवाद में पुलिस थाना बालेसर में पंजीकृत रिपोर्ट संख्या 21 / 2008 में उसका नाम भी पंजीकृत था जिसमें अन्य के साथ उसे भी दोषी प्रमाणित कर न्यायालय में आरोपपत्र प्रस्तुत कर दिया गया जबकि नाबालिग होने के कारण इसे बाल न्यायालय में पेश करना चाहिए था।

पुलिस अधीक्षक, जोधपुर से इस सम्बन्ध में प्राप्त रिपोर्ट में बताया गया कि न्यायालय द्वारा प्रकरण किशोर न्यायालय में भिजवाया गया जिसका निर्णय भी हो चुका है तथा अपचारी बालक के विरूद्ध आरोपपत्र को पुलिस थाने पर ही लम्बित रखे जाने पर अनुसंधान अधिकारी मंगनाराम व कोर्ट एल.सी. सावलदान की लापरवाही होना पाया गया ।

इस प्रकार आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही करवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया ।

एफ.3(385)लोआस / 2018

परिवादी श्रीमती अनिता वर्मा निवासी वार्ड संख्या 42, न्यू जनता कॉलोनी, पिपराली रोड, सीकर की यह शिकायत थी कि पुलिस थाना उद्योग नगर में पंजीकृत प्रकरण संख्या 391 / 2018 में अनुसंधान अधिकारी श्री राधेश्याम मीणा द्वारा न्यायालय में

चालान पेश करने के लिए रिश्वत की मांग की और रिश्वत नहीं देने पर प्रकरण में एफ.आर. लगाने की धमकी दी गई।

पुलिस अधीक्षक, सीकर से इस सम्बन्ध में प्राप्त रिपोर्ट में यह बताया गया कि प्रकरण में जांचोपरान्त अपराध प्रमाणित पाये जाने पर सीताराम व विवेक के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में पेश कर दिए गए हैं।

इस प्रकार परिवादिया को वांछित अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.3(399)लोआस / 2018

परिवादी श्री गणपतराम खोजा निवासी खांगटा वाया पीपाड़ रोड, जिला जोधपुर की यह शिकायत थी कि राशन डीलर श्री अशोक कुमार के विरूद्ध पुलिस थाना पीपाड़ में पंजीकृत प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 344 / 2015 में दो अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध प्रमाणित पाए जाने पर गिरफ्तार किए जाने बाद भी थानाधिकारी द्वारा उनके विरूद्ध न्यायालय में चार्जशीट पेश नहीं की जा रही है।

पुलिस अधीक्षक, जोधपुर से इस सम्बन्ध में प्राप्त रिपोर्ट में यह बताया गया कि प्रकरण में जांचोपरान्त अपराध प्रमाणित पाए जाने पर अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में पेश कर दिए गए हैं।

इस प्रकार परिवादी को वांछित अनुतोष प्रदान किया गया ।

एफ.3(411)लोआस / 2016

परिवादी श्रीमती तुलसी देवी जाट, निवासी झूठा तहसील रायपुर, पाली की यह शिकायत थी कि पुलिस द्वारा रायपुर में पंजीकृत रिपोर्ट संख्या 131 / 2015 में पुलिस द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही नहीं की जा रही है।

पुलिस अधीक्षक, पाली से इस सम्बन्ध में प्राप्त रिपोर्ट में यह बताया गया कि आरोपीगण के विरूद्ध अपराध प्रमाणित पाए जाने पर न्यायालय में आरोपपत्र प्रस्तुत कर दिया गया है।

इस प्रकार आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही करवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया ।

एफ.3(416)लोआस/2018

श्रीमती सावित्री जाट, निवासी अठवास, तहसील फतेहपुर, जिला सीकर की यह शिकायत थी कि पुलिस थाना लक्ष्मणगढ़ के आरक्षी श्रवण कुमार ने अपने पद का दुरूपयोग करते हुए उसके घर जाने के रास्ते को बन्द करवा दिया। इस सम्बन्ध में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 52/2018 पंजीकृत करवाई गई परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गई।

पुलिस अधीक्षक, सीकर से इस सम्बन्ध में प्राप्त रिपोर्ट में यह बताया गया है कि प्रकरण में जांचोपरान्त अपराध प्रमाणित पाए जाने पर अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया है।

इस प्रकार परिवादिया को वांछित अनुतोष प्रदान किया गया ।

एफ.3(441)लोआस/2017

परिवादी श्री नरपत सिंह राजपूत निवासी राजियासर मीठा, तहसील सुजानगढ़, चूरू की यह शिकायत थी कि बिना कार्य करवाये भुगतान उठाने के सम्बन्ध में सरपंच श्री केशर सिंह के विरूद्ध उप पुलिस अधीक्षक श्री रमेश माचरा को शिकायत की गई, परन्तु उनके द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, अपराध शाखा ए.सी.बी., मुख्यालय राजस्थान, जयपुर से इस सम्बन्ध में प्राप्त रिपोर्ट यह बताया गया कि परिवाद में रिपोर्ट संख्या 245/2015 पंजीकृत कर जांच प्रारम्भ की गई। जांच में आरोपी सरपंच, ग्राम सेवक, तत्कालीन सहायक अभियन्ता आदि के विरूद्ध अपराध प्रमाणित पाए जाने पर आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

इस प्रकार आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही करवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया ।

एफ.3(480)लोआस / 2017

परिवादी श्री कोमल प्रसाद निवासी बिच्छीदौना वाया मलारना स्टेशन, तहसील मलारनाडूंगर, सवाईमाधोपुर की यह शिकायत थी कि श्री प्रयाग नारायण के विरूद्ध फर्जी पहचान पत्र बनाकर वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने पर पुलिस अधीक्षक एवं जिला कलक्टर, सवाई माधोपुर को शिकायत की गई परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गई ।

पुलिस अधीक्षक सवाईमाधोपुर एवं विकास अधिकारी, पंचायत समिति बौंली से इस सम्बन्ध में प्राप्त रिपोर्ट में यह बताया गया कि आरोपी के विरूद्ध अपराध प्रमाणित पाए जाने पर आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया है।

इस प्रकार आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही करवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया ।

एफ.3(525)लोआस / 2016

परिवादी श्री रामस्वरूप साईं निवासी तिलकनगर, सागर रोड, बीकानेर की यह शिकायत थी कि तहसीलदार, उप निवेशन, तहसील कोलायत द्वारा आधारहीन व काल्पनिक तथ्यों के आधार पर पुलिस थाना बज्जू में पंजीकृत रिपोर्ट संख्या 158 / 2015 में अनुसंधान अधिकारी द्वारा गलत अनुसंधान कर आर0एस0एम0एन0 विभाग को 3 करोड़ की राजस्व की हानि पहुंचाई गई है।

पुलिस अधीक्षक, बीकानेर से इस सम्बन्ध में प्राप्त रिपोर्ट में यह बताया गया है कि आरोपीगण के विरूद्ध अपराध प्रमाणित पाए जाने पर न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त दोषी पाए जाने पर तत्कालीन खान प्रबन्धक श्री शिशुपाल सिंह के विरूद्ध सीसीए नियम 16 के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ कर आरोप पत्र जारी किए गए हैं और पेनल्टी राशि की वसूली की कार्यवाही विचाराधीन है।

इस प्रकार आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही करवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया ।

एफ.3(526)लोआस / 2014

परिवादी श्री वासुदेव प्रसाद शर्मा, निवासी महूरी, हाल आबाद मनिया, धौलपुर की यह शिकायत थी कि उसकी आराजी खसरा संख्या 495 रकबा 16 बिस्वा को अभियुक्तगण अवैध पट्टे के आधार पर हड़पना चाहते हैं । पुलिस थाना मनिया में इस सम्बन्ध में पंजीकृत रिपोर्ट संख्या 95 / 2006 में पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।

पुलिस अधीक्षक, धौलपुर से इस सम्बन्ध में प्राप्त रिपोर्ट में यह बताया गया कि आरोपी के विरूद्ध धारा 420, 467, 468, 471, 120बी भा0द0सं0 में अपराध प्रमाणित पाए गए हैं तथा शीघ्र ही चालान पेश किया जा रहा है ।

इस प्रकार आरोपीगण के विरूद्ध कार्यवाही करवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया ।

एफ.3(538)लोआस / 2017

परिवादी श्रीमती संगीता जांगिड़, निवासी फरडोद, तहसील जायल, नागौर की यह शिकायत थी कि पुलिस थाना रोल में श्रवण राम के विरूद्ध बलात्कार के आरोप में पंजीकृत प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 81 / 2017 में थानाधिकारी द्वारा अभियुक्त से रिश्वत लेकर राजीनामा करने व अपने बयान बदलने के लिए परिवादी को धमकाया जा रहा है ।

पुलिस अधीक्षक नागौर से इस सम्बन्ध में प्राप्त रिपोर्ट में यह बताया गया कि अभियुक्त के विरूद्ध आरोप प्रमाणित पाए जाने पर न्यायालय में आरोपपत्र प्रस्तुत कर दिया गया है।

इस प्रकार आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही करवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.3(542)लोआस / 2017

परिवादी श्रीमती किस्मत जाट निवासी भावठड़ी सूरजगढ़, झुंझुनूं की यह शिकायत थी कि उसके घर में घुसकर उनके साथ मारपीट करने वालों के विरूद्ध पुलिस थाना सूरजगढ़ को सूचित किया गया परन्तु पुलिस द्वारा अभियुक्तगण से मिलीभगत कर परिवादी के घर के सदस्यों को दं0प्र0सं0 की धारा 151 में गिरफ्तार कर लिया गया ।

पुलिस अधीक्षक, झुंझुनूं से इस सम्बन्ध में प्राप्त रिपोर्ट में यह बताया गया कि न्यायालय के आदेश से परिवादी पक्ष की ओर से पुलिस थाना सूरजगढ़ में रिपोर्ट संख्या 310 / 2017 पंजीकृत करवाई गई जिसमें आरोपीगण के विरूद्ध अपराध साबित पाए जाने पर आरोपपत्र प्रस्तुत किया गया है।

इस प्रकार आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही करवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.3(562)लोआस / 2017

परिवादी श्रीमती सुमन देवी निवासी 1750, गणेश नगर, चौधरी कॉलोनी, तेजाजी मन्दिर के पास, सीकर रोड, जयपुर की यह शिकायत थी कि उसके पति व ससुराल पक्ष द्वारा प्रताड़ित कर उसे घर से बाहर निकालने के सम्बन्ध में पुलिस थाना हरमाड़ा में प्रस्तुत किये गये परिवाद में पुलिस द्वारा आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही नहीं की जा रही है।

पुलिस उपायुक्त, जयपुर (पश्चिम) से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार आरोपीगण के विरूद्ध अपराध प्रमाणित पाए जाने पर चार्जशीट न्यायालय में पेश कर दी गई ।

इस प्रकार आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही करवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया ।

एफ.3(574)लोआस / 2017

परिवादी श्रीमती चिरमोली जाटव निवासी लेहरिन का पुरा, थाना कंचनपुर, धौलपुर की यह शिकायत थी कि पुलिस थाना कंचनपुर मेंपंजीकृत रिपोर्ट संख्या 268 / 2017 में पुलिस द्वारा कार्यवाही नहीं की जा रही है ।

पुलिस अधीक्षक, धौलपुर से इस सम्बन्ध में प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार आरोपीगण के विरूद्ध अपराध प्रमाणित पाए जाने पर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया है।

इस प्रकार आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही करवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया ।

एफ.3(585)लोआस / 2017

दैनिक समचार पत्र 'राजस्थान पत्रिका' में दिनांक 28.11.2017 को प्रकाशित खबर "दुष्कर्म की रिपोर्ट पंजीकृत कराने गए तो धक्के देकर निकाला" पर इस सचिवालय द्वारा स्वप्रस्तावानुसार प्रसंज्ञान लेकर जांच प्रारम्भ की गई ।

पुलिस अधीक्षक, झालावाड़ से इस सम्बन्ध में प्राप्त रिपोर्ट में यह बताया गया कि आरोपी विजय सिंह के विरूद्ध पोक्सो एक्ट व एस.सी.एक्ट का अपराध प्रमाणित पाए जाने पर न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त अभद्र व्यवहार करने वाले लोक सेवकगण के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एंव अपील) नियम, 1958 नियम के अन्तर्गत कार्यवाही कर उन्हें दण्डित किया गया एवं असंचयी प्रभाव से एक वार्षिक वेतन वृद्धि रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया है।

इस प्रकार आरोपीगण के विरूद्ध कार्यवाही करवाकर पीड़ित पक्ष को अनुतोष प्रदान करवाई ।

एफ.3(615)लोआस / 2017

परिवादी श्रीमती अणछीबाई निवासी खेमली, तहसील मावली, जिला उदयपुर की यह शिकायत थी कि उसके साथ मारपीट करने पर पुलिस थाना डबोक में पेश किए गए परिवाद पर मुलजिमों के विरूद्ध पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई।

पुलिस अधीक्षक, उदयपुर से इस सम्बन्ध में प्राप्त रिपोर्ट में यह बताया गया कि आरोपीगण के विरूद्ध आरोप प्रमाणित पाए जाने पर न्यायालय में आरोपपत्र प्रस्तुत कर दिया गया है।

इस प्रकार आरोपीगण के विरूद्ध कार्यवाही करवाकर परिवादी को वांछित अनुतोष प्रदान किया गया ।

एफ.3(618)लोआस / 2017

परिवादी श्री पूनम चन्द जैन निवासी बटक भैंरूपाड़ा, बून्दी की यह शिकायत थी कि पुलिस थाना कोतवाली बून्दी में कार्यरत मुख्य आरक्षी श्री सूबेसिंह द्वारा बिना अधिकार के एम0वी0एक्ट के अन्तर्गत नियम विरूद्ध चालान बनाकर 300 रूपए वसूल किए गए।

पुलिस अधीक्षक, बून्दी से इस सम्बन्ध में प्राप्त रिपोर्ट में यह बताया गया कि आरोपी लोकसेवक के विरूद्ध आरोप प्रमाणित पाए जाने पर उन्हें राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एंव अपील) नियम, 1958 नियम 17 के अन्तर्गत कार्यवाही कर दण्डित किया गया है।

इस प्रकार आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही करवाकर परिवादी को वांछित अनुतोष प्रदान किया गया ।

एफ.3(643)लोआस/2015

परिवादी श्री पूरणचन्द गुप्ता, निवासी रामनगर कॉलोनी, राजगढ़, अलवर की यह शिकायत थी कि जलसा मॉल में दो दुकानों का पूर्ण भुगतान करने पर कब्जा नहीं दिए जाने के सम्बन्ध में पुलिस थाना मालवीया नगर, जयपुर में पंजीकृत रिपोर्ट संख्या 242/2015 में पुलिस द्वारा आरोपियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है ।

इस सम्बन्ध में पुलिस उपायुक्त, जयपुर पूर्व से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार आरोपीगण के विरूद्ध अपराध प्रमाणित पाए जाने पर गिरफ्तार कर एवं एक आरोपी के गिरफ्तार नहीं होने पर मफरूरी में आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया है।

इस प्रकार आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही करवाकर परिवादी को वांछित अनुतोष प्रदान किया गया ।

एफ.3(665)लोआस/2017

परिवादी श्री उम्मेदराम निवासी कलाउ, तहसील शेरगढ़, जोधपुर की यह शिकायत थी कि पुलिस थाना देचू में पंजीकृत रिपोर्ट संख्या 230/2017 में पुलिस द्वारा कार्यवाही नहीं की जा रही है ।

इस सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, जोधपुर ग्रामीण से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार आरोपीगण के विरूद्ध भा.द.सं. की धारा 455, 380 व 120 बी के अपराध प्रमाणित पाए गए ।

इस प्रकार आरोपीगण के विरूद्ध कार्यवाही करवाकर परिवादी को वांछित अनुतोष प्रदान किया गया ।

एफ.3(667)लोआस/2017

परिवादी श्री नरेश कुमार निवासी 2, जवाहर नगर, सवाईमाधोपुर की यह शिकायत थी कि पुलिस थाना मानटाउन में पंजीकृत रिपोर्ट संख्या 297/2017 में

अनुसंधान पूर्ण हो जाने उपरान्त भी आरोपियों के विरूद्ध चार्जशीट पेश नहीं की जा रही है ।

इस सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, सवाईमाधोपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार आरोपीगण के विरूद्ध अपराध साबित होने पर न्यायालय में चार्जशीट पेश कर दी गई है ।

इस प्रकार आरोपीगण के विरूद्ध कार्यवाही करवाकर परिवादी को वांछित अनुतोष प्रदान किया गया ।

एफ.3(695)लोआस/2017

परिवादी श्री पूनमचन्द जैन निवासी बटक भैरूपाड़ा, बून्दी की यह शिकायत थी कि पुलिस थाना नगर फोर्ट, टोंक में कार्यरत मुख्य आरक्षी दशरथ सिंह द्वारा अधिकृत नहीं होने पर भी एम.वी.एक्ट के अन्तर्गत नियम विरूद्ध चालान बनाकर अवैध वसूली की जा रही है ।

इस सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, टोंक से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार आरोपी लोक सेवक के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाऐं नियम 1958 अपराध साबित पाए जाने पर नियम 17 के अन्तर्गत कार्यवाही कर भविष्य में सतर्कता से कार्य करने की चेतावनी से दण्डित किया गया ।

इस प्रकार आरोपी लोक सेवक के विरूद्ध कार्यवाही करवाकर परिवादी को वांछित अनुतोष प्रदान किया गया ।

एफ.3(748)लोआस/2017

परिवादी श्री पूनमचन्द जैन निवासी बटक भैरूपाड़ा, बून्दी की यह शिकायत थी कि पुलिस थाना नगर फोर्ट, टोंक में कार्यरत मुख्य आरक्षी अचल सिंह द्वारा अधिकृत नहीं होने पर भी एम.वी.एक्ट के अन्तर्गत नियम विरूद्ध चालान बनाकर अवैध वसूली की जा रही है ।

इस सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, टोंक से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार आरोपी लोक सेवक के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाऐं नियम 1958 अपराध साबित पाए जाने पर नियम 17 के अन्तर्गत कार्यवाही कर आरोप पत्र जारी कर दिए गए हैं ।

इस प्रकार आरोपी लोक सेवक के विरूद्ध कार्यवाही करवाकर परिवादी को वांछित अनुतोष प्रदान किया गया ।

एफ.3(776)लोआस / 2017

परिवादी श्री भागमल धनकड़ निवासी 3, प्रताप नगर, तेजाजी मन्दिर के पास, सांगानेर जयपुर की यह शिकायत थी कि पुलिस थाना शिवदासपुरा मेंपंजीकृत रिपोर्ट संख्या 60 / 2009 में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की पालना में मुलजिमों के विरूद्ध कार्यवाही नहीं की जा रही है ।

इस सम्बन्ध में पुलिस उपायुक्त, जयपुर दक्षिण से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार आरोपीगण के विरूद्ध अपराध प्रमाणित पाए जाने पर माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार कार्यवाही कर न्यायालय में आरोप पत्र पेश कर दिए गए ।

इस प्रकार आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही करवाकर परिवादी को वांछित अनुतोष प्रदान किया गया ।

एफ.3(804)लोआस / 2016

परिवादी श्री दीदारसिंह निवासी दलियावाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर की यह शिकायत थी कि पुलिस थाना लालगढ़ जाटान मेंपंजीकृत रिपोर्ट संख्या 113 / 2016 व 114 / 2016 में अनुसंधान अधिकारी द्वारा मुल्जिमान को लाभ पहुंचाया जा रहा है ।

इस सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार रिपोर्ट संख्या 114 / 2016 में अदम वकू पाए जाने पर एफ.आर. दी गई और 113 / 2016 में

आरोपीगण के विरूद्ध अपराधी प्रमाणित पाए जाने पर भादसं. धारा 307,341,323 व 34 तथा आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ की गई ।

इस प्रकार आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही करवार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया ।

एफ.3(815)लोआस/2015

परिवादी श्री करणीसिंह, निवासी सारोठिया, तहसील सुजानगढ़ चूरू की यह शिकायत थी कि पुलिस थाना साण्डवा में पंजीकृत रिपोर्ट संख्या 51/15 में अनुसंधान अधिकारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चूरू श्री केशर सिंह द्वारा निष्पक्ष जांच नहीं की जा रही है ।

इस सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, चूरू से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुजानगढ़ से जांच करवाई गई । जिसमें आरोपीगण के विरूद्ध अपराध प्रमाणित पाए जाने न्यायालय में चार्जशीट पेश कर दी गई ।

इस प्रकार आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही करवाकर परिवादी को वांछित अनुतोष प्रदान किया गया ।

एफ.3(817)लोआस/2017

परिवादी श्री अरविन्द राठी निवासी एच-461 कीर्तिनगर, भोपालपुरा रोड़, शास्त्रीनगर, भीलवाड़ा की यह शिकायत थी कि पंजीकृत रिपोर्ट संख्या 151/2018 में आरोपियों के दबाव में आकर अनुसंधान अधिकारी द्वारा कार्यवाही नहीं की जा रही है ।

इस सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण में अनुसंधान उपरान्त आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया एवं उनके विरूद्ध अपराध प्रमाणित पाए जाने पर न्यायालय में आरोप पत्र पेश कर दिए गए ।

इस प्रकार आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही करवाकर परिवादी को वांछित अनुतोष प्रदान किया गया ।

एफ.4(27)लोआस / 2017

परिवादी श्री चर्चिल माथुर, निवासी एच–92, ग्रीन पार्क, जामडोली आगरा रोड़, जयपुर की यह शिकायत थी कि उनकी स्वर्गीय माता श्रीमती रीता माथुर का वरिष्ठ सहायक, राजस्थान राजय सहकारी उपभोक्ता संघ, जयपुर द्वारा बकाया वेतन, उपार्जित अवकाश आदि का भुगतान नहीं किया जा रहा है ।

इस सम्बन्ध में प्रबंध संचालक, राजस्थान सहाकरी उपभोक्ता संघ लिमिटेड, जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार देय समस्त राशि का भुगतान कर दिया गया है ।

इस प्रकार परिवादी को समस्त बकाया राशि का भुगतान दिलवाकर अनुतोष प्रदान किया गया ।

एफ.4(42)लोआस / 2015

परिवादी श्री सतीश चन्द्र शुक्ला, निवासी सी–807 मेवाड़ अपार्टमेन्ट, प्रताप नगर, जयपुर की यह शिकायत थी कि अरबन को–ऑपरेटिव बैंक अजमेर द्वारा जमाराशि रूपए 5,64,000 रूपए का पिछले पांच वर्ष से भुगतान नहीं किया जा रहा है ।

इस सम्बन्ध में दी अजमेर अरबन को–ऑपरेटिव बैंक से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार समस्त राशि का भुगतान कर दिया गया है ।

इस प्रकार परिवादी को पूर्ण भुगतान दिलवाकर अनुतोष प्रदान किया गया ।

एफ.5(6)लोआस / 2018

परिवादी श्री प्रताप सिंह चौहान निवासी आमनेर, राजसमन्द की यह शिकायत थी कि दिनांक 01.02.2016 से 09.05.2016 तथा दिनांक 11.08.2016 से 09.10.2016 तक की अवधि का संविदा प्राध्यापक का वेतन मूल पेंशन के बराबर बनाते हुए एरियर राशि का भुगतान दिलवाया जावे ।

इस सम्बन्ध में जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, राजसमन्द से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार देय समस्त राशि का भुगतान कर दिया गया है ।

इस प्रकार परिवादी को समस्त बकाया राशि का भुगतान दिलवाकर अनुतोष प्रदान किया गया ।

एफ.5(12)लोआस / 2018

परिवादी श्री ओमप्रकाश शर्मा, निवासी गोवर्धन गेट, कुम्हेर भरतपुर की यह शिकायत थी कि वरिष्ठ अध्यापक, रा.आ.उ.मा.वि. पपरेरा भरतपुर से सेवानिवृत्ति पश्चात् पेंशन भुगतान नहीं किया जा रहा है ।

इस सम्बन्ध में जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, भरतपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी की पेंशन स्वीकृत की जा चुकी है ।

इस प्रकार परिवादी की पेंशन स्वीकृत करवाकर अनुतोष प्रदान किया गया ।

एफ.5(22)लोआस / 2018

परिवादी श्री सुरेश शर्मा निवासी चैनपुरा, तहसील निवाई, टोंक की यह शिकायत थी कि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भांवती में प्रधानाध्यापक आदि द्वारा सामूहिक भोज हेतु विद्यालय को बन्द करवा दिया जाता है एवं स्टॉफ समय पर नहीं आता है ।

इस सम्बन्ध में जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, टोंक से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार दोषी अध्यापकगण के विरूद्ध सीसीए नियम 17 के अन्तर्गत कार्यवाही कर दण्डित किया जा चुका है ।

इस प्रकार दोषी लोक सेवकगण के विरूद्ध कार्यवाही करवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया ।

एफ.5(36)लोआस / 2018

परिवादी श्री अशोक कुमार शर्मा निवासी 18 / 488, न्यू आदर्श कॉलोनी, भरतपुर की यह शिकायत थी कि प्रधानाचार्य राजकीय माध्यमिक विद्यालय द्वारा उनके सेवानिवृत्ति पश्चात् भी यात्रा भत्ता बिलों का भुगतान नहीं किया जा रहा है ।

इस सम्बन्ध में जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, भरतपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार देय बकाया राशि का भुगतान कर दिया गया है ।

इस प्रकार परिवादी को बकाया राशि का भुगतान दिलवाकर अनुतोष प्रदान किया गया ।

एफ.5(42)लोआस / 2018

परिवादी श्री लक्ष्मण प्रसाद पाराशर, निवासी पाण्डेय मोहल्ला डीग, भरतपुर की यह शिकायत थी कि सेवानिवृत्ति पश्चात् भी उनको वरिष्ठ वेतनमान संशोधित स्वीकृति जारी नहीं की जा रही है ।

इस सम्बन्ध में निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार संशोधित स्वीकृति जारी कर दी गई है ।

इस प्रकार परिवादी को संशोधित स्वीकृति जारी करवाकर अनुतोष प्रदान किया गया ।

एफ.5(73)लो.आ.स. / 2017

परिवादी कुमारी कविता निवासी मोहनपुरा, दांतारामगढ़, सीकर की यह शिकायत थी कि पंचायत सहायक के पद के चयन के साक्षात्कार में श्री बजरंग लाल, प्रधानाचार्य, राजकीय आदर्श माध्यमिक विद्यालय, दांतारामगढ द्वारा अनियमितताएँ की गई हैं ।

इस सम्बन्ध में निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार आरोपी लोक सेवक बजरंग लाल के विरूद्ध सीसीए नियम 16 के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई ।

इस प्रकार आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही करवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया ।

एफ.5(85)लो.आ.स. / 2017

परिवादी श्री रामेश्वर गोदारा, निवासी ग्राम शेरेरा, बीकानेर की यह शिकायत थी कि संस्कार पब्लिक उच्च प्राथमिक विद्यालय द्वारा शिक्षा का अधिकार नियमों की पालना नहीं की जा रही है ।

इस सम्बन्ध में संयुक्त निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार आरोप प्रमाणित पाए जाने पर विद्यालय की मान्यता निरस्त कर दी गई ।

इस प्रकार आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही करवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया ।

एफ.5(87)लो.आ.स. / 2017

परिवादी श्रीमती माडी देवी, निवासी खेड़ापा वाया बावड़ी, जोधपुर की यह शिकायत थी कि उनके पति के निधन पर ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, औसियां द्वारा वेतन निर्धारण कर संशोधित पेंशन नहीं दी जा रही है ।

इस सम्बन्ध में अतिरिक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, जोधपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार आवश्यक कार्यवाही कर संशोधित पेंशन जारी कर दी गई है ।

इस प्रकार संशोधित पेंशन जारी करवाकर परिवादिया को अनुतोष प्रदान किया गया ।

एफ.5(96)लो.आ.स./2017

परिवादी श्रीमती तारा शर्मा निवासी बाई जी की कोठी, झालाना जयपुर की यह शिकायत थी कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयानुसार कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय द्वारा उसके शैक्षणिक दस्तावेज सत्यापन हेतु जिला शिक्षा अधिकारी एवं प्रधानाचार्य अनिल विद्या मन्दिर को नहीं भिजवाए जा रहे हैं ।

इस सम्बन्ध में सहायक सचिव, शासन सचिवालय से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार आवश्यक कार्यवाही कर परिवादिया को नौकरी प्रदान की जा चुकी है ।

इस प्रकार परिवादिया को अनुतोष प्रदान किया गया ।

एफ.5(107)लो.आ.स./2017

परिवादी श्री महेन्द्र कुमार सोलंकी की यह शिकायत थी कि प्राधानाचार्य, राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय ददरेवा, राजगढ़, चूरू के ग्राम पंचायत सहायकों के चयन में भारी अनियमितता के कारण उसका चयन नहीं किया गया ।

इस सम्बन्ध में जिला कलक्टर, चूरू से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार आवश्यक कार्यवाही कर परिवादी का ग्राम पंचायत सहायक के पद पर चयन कर लिया गया है ।

इस प्रकार परिवादी को नियुक्ति दिलवाकर अनुतोष प्रदान किया गया ।

एफ.5(109)लो.आ.स./2018

परिवादी श्री रामावतार व्यास, वार्ड संख्या 25, सैनिक कॉलेज के पीछे, बांदीकुई दौसा की यह शिकायत थी कि सेवानिवृत्ति पश्चात् उन्हें उपार्जित अवकाश आदि का भुगतान नहीं दिया जा रहा है ।

इस सम्बन्ध में जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, अलवर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार देय समस्त बकाया राशियों के बिल बनाकर कोषालय को भिजवा दिए गए हैं । अब कोई बकाया शेष नहीं है ।

इस प्रकार परिवादी को बकाया राशि का भुगतान दिलवाकर अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.5(124)लो.आ.स./2017

परिवादी श्री रामनिवास जाट, ई–36, इन्दिरा नगर, झुंझुनू की यह शिकायत थी कि प्रधानाचार्य पद से सेवा निवृत्त उनकी पत्नी को देय ए.सी.पी. (आश्वासित कैरियर प्रगति) का भुगतान नहीं किया जा रहा है ।

इस सम्बन्ध में संयुक्त निदेशक कार्मिक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादिया का देय ए.सी.पी. स्वीकृत कर दिया गया है ।

इस प्रकार परिवादी को देय ए.सी.पी. का भुगतान दिलवाकर अनुतोष प्रदान किया गया ।

एफ.5(125)लो.आ.स./2017

परिवादी श्री भागचन्द माली, प्रधानाध्यापक, ज्योति बाल विद्या मन्दिर, सावर केकड़ी, अजमेर की यह शिकायत थी कि शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 2015–16 का आर.टी.ई. पुनर्भरण राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है ।

इस सम्बन्ध में अतिरिक्त निदेशक प्रशासन, शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को देय राशि का भुगतान कर दिया गया है ।

इस प्रकार परिवादी को आर.टी.ई. के तहत पुनर्भरण राशि का भुगतान दिलवाकर अनुतोष प्रदान किया गया ।

एफ.5(146)लो.आ.स./2017

परिवादी श्री तुलसीराम ब्राहम्मण निवासी कमरियन का पुरा, राजाखेड़ा, धौलपुर की यह शिकायत थी कि सियाराम बाल विद्या मन्दिर, कमरियन का पुरा द्वारा चारागाह भूमि खसरा संख्या 1428/733 पर विद्यालय निर्माण कर मान्यता प्रदान की गई है ।

इस सम्बन्ध में निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार आवश्यक जांच पश्चात् विद्यालय की क्रमोन्नति आगामी आदेश तक तत्काल प्रभाव से रोकी दी गई है ।

इस प्रकार विद्यालय के विरूद्ध कार्यवाही करवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया ।

एफ.5(160)लो.आ.स./2017

परिवादी श्रीमती लीली मिश्रा निवासी 137 हरिओम नगर, जोधपुर की यह शिकायत थी कि उनके सेवानिवृत्ति पश्चात् भी शिक्षा विभाग द्वारा चयनित वेतनमान एवं ए.सी.पी. का लाभ नहीं दिया जा रहा है ।

इस सम्बन्ध में अतिरिक्त निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादिया को देय समस्त परिलाभ आदि का भुगतान किया जा चुका है ।

इस प्रकार परिवादिया को देय भुगतान दिलवाकर अनुतोष प्रदान किया गया ।

एफ.5(178)लो.आ.स./2017

परिवादी श्री कैलाश चन्द सैनी निवासी वार्ड संख्या 25, गिर्राज मैरीज होम के पास, बांदीकुई, दौसा की यह शिकायत थी कि प्रधानाध्यापक पद से सेवानिवृत्ति पश्चात् देय पेंशन परिलाभों का भुगतान नहीं दिया जा रहा है ।

इस सम्बन्ध में जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, दौसा से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को देय समस्त राशि का भुगतान कर दिया गया है ।

इस प्रकार परिवादी को पेंशन आदि का भुगतान दिलवाकर अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.5(197)लो.आ.स./2017

परिवादी श्री अशोक कुमार निवासी गाँव मिलकपुर, तहसील बहरोड़, जिला अलवर की यह शिकायत थी कि श्री वीरेन्द्र कुमार शर्मा, बीईईओ नीमराणा द्वारा शिक्षकों के साथ दुर्व्यवहार करने तथा कार्य समय में ठेकेदारी की रही है ।

इस सम्बन्ध में निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार आरोपी लोक सेवक के विरूद्ध कार्यवाही कर भविष्य में सावधानी से कार्य करने आदि की चेतावनी दी गई ।

इस प्रकार परिवादी आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही करवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया ।

एफ.5(201)लो.आ.स./2017

परिवादी श्री देवलाल निवासी अर्जुनपुरा, तहसील लाडपुरा, कोटा की यह शिकायत थी कि उनके पुत्र की मार्कशीट में पिता का नाम गलत इन्द्राज होने पर शिक्षा विभाग द्वारा दुरूस्त नहीं किया जा रहा है ।

इस सम्बन्ध में प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, अर्जुनपुरा, कोटा से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी के चाहे अनुसार त्रुटि दुरूस्त कर दी गई है ।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया ।

लोकायुक्त सचिवालय में प्रतिवेदनाधीन अवधि में स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के पदों की संख्या का विवरण निम्नानुसार है:–

कालावधि दिनांक 08.03.2019 से 31.12.2021

क्र.सं.	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी	रिक्त पद
1	प्रमुख सचिव	01	00	00
2	सचिव	01	01	00
3	प्रमुख निजी सचिव	01	00	00
4	संयुक्त सचिव	06	00	00
5	विशेषाधिकारी–जे	01	00	00
6	विशेषाधिकारी–आर	01	00	00
7	संयुक्त विधि परामर्शी	01	01	0
8	उप सचिव	05	01	00
9	सहायक सचिव	06	01	00
10	निजी सचिव	02	02	0
11	पुस्तकालयाध्यक्ष	01	01	0
12	अतिरिक्त निजी सचिव	03	02	01
13	अनुभाग अधिकारी	05	03	00
14	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–प्रथम	01	01	00
15	जन सम्पर्क अधिकारी	01	00	00
16	सहायक नगर नियोजक	01	00	00
17	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–द्वितीय	01	01	0
18	सहायक अनुभागाधिकारी	04	01	00

19	निजी सहायक	05	03	05
20	कनिष्ठ लेखाकार	01	01	00
21	आशुलिपिक	09	02	09
22	सहायक प्रोग्रामर	02	01	0
23	सूचना सहायक	14	08	01
24	ड्राफट्समैन	01	00	09
25	लिपिक ग्रेड–प्रथम	03	07	00
20	लिपिक ग्रेड–द्वितीय	10	15	02
27	वाहन चालक	00	08	00
28	ज्मादार	02	01	01
29	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	20	18	09
30	प्रोसेस सर्वर	04	04	0
31	अति. पुलिस अधीक्षक	01	00	09
32	उपपुलिस अधीक्षक	02	00	0
33	पुलिस निरीक्षक	01	00	00
24	पुलिस उप निरीक्षक	01	0	09
35	हैड कांस्टेबल	03	0	00
36	कांस्टेबल	07	0	0
कुल		146	78	05

वित्तीय वर्ष 2019–20 में लोकायुक्त सचिवालय हेतु मूल आवंटित / संशोधित बजट एवं इसके मुकाबले हुए वास्तविक व्यय का मदवार विवरण नीचे दिया जा रहा है :–

क्र.सं.	बजट शीर्ष	मूल आवंटन	संशोधित आवंटन	व्यय
1	01–संवेतन	93000000	73000000	68201000
2	03–यात्रा भत्ता	200000	50000	43000
3	04–चिकित्सा भत्ता	400000	400000	379000
4	05–कार्यालय व्यय	2300000	1500000	774000
5	06–वाहनों का क्रय	1000	1000	–
6	07–कार्यालय वाहनों का संचालन एवं संधारण	500000	100000	53000
7	08–वृतिक एवं विशिष्ट सेवाएँ	100000	100000	62000
8	11–विज्ञापन, विक्रय, प्रचार और प्रसार व्यय	100000	25000	–
9	14–सत्कार / आतिथ्य / उपहार व्यय आदि	15000	10000	–
10	20–कार्यकलाप सम्बन्धी वाहनों का संचालन एवं संधारण	200000	100000	52000
11	21–अनुरक्षण एवं मरम्मत	1000	1000	–
12	31–पुस्तकालय एवं पत्र पत्रिकाओं पर व्यय	100000	30000	23000
13	36–वाहनों का किराया	2112000	950000	921000
14	37–वर्दियां तथा अन्य सुविधाएँ	54000	54000	44000
15	41–संविदा व्यय	3000000	2200000	1837000
16	62–कम्प्यूटराइजेशन एवं तत्सम्बंधी संचार व्यय	1000	1000	–
	कुल राशि	**102084000**	**78522000**	**72369000**

वित्तीय वर्ष 2020–21 में लोकायुक्त सचिवालय हेतु मूल आवंटित/संशोधित बजट एवं इसके मुकाबले हुए वास्तविक व्यय का मदवार विवरण नीचे दिया जा रहा है :–

क्र.सं.	बजट शीर्ष	मूल आवंटन	संशोधित आवंटन	व्यय
1	01–संवेतन	80000000	55000000	53339000
2	03–यात्रा भत्ता	100000	10000	—
3	04–चिकित्सा भत्ता	400000	400000	396000
4	05–कार्यालय व्यय	2000000	500000	439000
5	06–वाहनों का क्रय	1000	1000	—
6	07–कार्यालय वाहनों का संचालन एवं संधारण	180000	80000	75000
7	08–वृतिक एवं विशिष्ट सेवाएँ	100000	40000	4000
8	11–विज्ञापन, विक्रय, प्रचार और प्रसार व्यय	100000	10000	—
9	14–सत्कार/आतिथ्य/उपहार व्यय आदि	15000	10000	2000
10	20–कार्यकलाप सम्बन्धी वाहनों का संचालन एवं संधारण	100000	50000	31000
11	21–अनुरक्षण एवं मरम्मत	1000	1000	—
12	31–पुस्तकालय एवं पत्र पत्रिकाओं पर व्यय	50000	50000	38000
13	36–वाहनों का किराया	290000	1000	—
14	37–वर्दियां तथा अन्य सुविधाएँ	51000	51000	51000
15	41–संविदा व्यय	1100000	50000	42000
16	62–कम्प्यूटराइजेशन एवं तत्सम्बंधी संचार व्यय	1000	1000	—
	कुल राशि	84489000	56255000	54417000

वित्तीय वर्ष 2021–22 में लोकायुक्त सचिवालय हेतु मूल आवंटित/संशोधित बजट एवं इसके मुकाबले हुए वास्तविक व्यय का मदवार विवरण नीचे दिया जा रहा है :–

क्र.सं.	बजट शीर्ष	मूल आवंटन	संशोधित आवंटन	व्यय
1	01–संवेतन	65000000	63000000	46533583
2	03–यात्रा भत्ता	100000	100000	93402
3	04–चिकित्सा भत्ता	400000	600000	559104
4	05–कार्यालय व्यय	1000000	2000000	1485459
5	06–वाहनों का क्रय	1000	1000	—
6	07–कार्यालय वाहनों का संचालन एवं संधारण	120000	220000	198538
7	08–वृतिक एवं विशिष्ट सेवाएँ	100000	50000	9264
8	11–विज्ञापन, विक्रय, प्रचार और प्रसार व्यय	50000	15000	—
9	14–सत्कार/आतिथ्य/उपहार व्यय आदि	15000	10000	1319
10	20–कार्यकलाप सम्बन्धी वाहनों का संचालन एवं संधारण	100000	120000	90150
11	21–अनुरक्षण एवं मरम्मत	1000	1000	—
12	31–पुस्तकालय एवं पत्र पत्रिकाओं पर व्यय	50000	50000	16834
13	36–वाहनों का किराया	1000	5000	—
14	37–वर्दियां तथा अन्य सुविधाएँ	51000	51000	50550
15	41–संविदा व्यय	1000	200000	—
16	62–कम्प्यूटराइजेशन एवं तत्सम्बंधी संचार व्यय	1000	1000	—
	कुल राशि	66991000	66424000	49038203

अध्याय–3

सम्पादित कार्य

इस अध्याय में प्रतिवेदनाधीन अवधि (दिनांक 08.03.2019 से 31.12.2021) में सम्पादित कार्यों का विवरण दिया जा रहा है ।

समग्र कार्य

परिवादों का विवरण.

दिनांक 08.03.2019 को 3814 परिवाद कार्यवाही हेतु लम्बित थे एवं उक्त दिनांक से 31.12.2021 की अवधि में 5996 परिवाद और प्राप्त हुए। इस प्रकार कुल 9810 परिवादों में से 5043 परिवादों का निस्तारण करने पर दिनांक 31.12.2021 को 4767 परिवाद लम्बित रहे। इनका विवरण परिशिष्ट–3.1 में दिया गया है।

प्रारम्भिक जाँच प्रकरण

दिनांक 08.03.2019 से 31.12.2021 तक की कालावधि में लम्बित, संस्थित एवं निस्तारित प्रारम्भिक जाँच प्रकरणों का विवरण परिशिष्ट–3.2 मे दिया गया है, जिसके अनुसार दिनांक 08.03.2019 को 37 प्रकरणों में प्रारम्भिक जाँच लम्बित थी। दिनांक 08.03.2019 से 31.12.2021 तक की कालावधि में 05 और प्रकरणों में प्रारम्भिक जाँच संस्थित की गई।

इस प्रकार उक्त कालावधि में प्रारम्भिक जाँच के कुल 42 प्रकरणों में से शून्य प्रकरण अभिकथन सिद्ध न होने के कारण, शून्य प्रकरण अन्वेषण के पर्याप्त आधार न होने के कारण एवं 13 प्रकरण अन्य कारणों से नस्तीबद्ध किये गये और 04 प्रकरण अन्वेषण प्रारम्भ कर दिये जाने के कारण अन्वेषण प्रकरणों के शीर्ष में अन्तरित किये गये। इस प्रकार उक्त अवधि में कुल 17 प्रारम्भिक जाँच प्रकरणों का निस्तारण किये जाने के पश्चात् दिनांक 31.12.2021 को 25 प्रकरणों में प्रारम्भिक जाँच लम्बित रही।

अन्वेषण प्रकरण

दिनांक 08.03.2019 से 31.12.2021 तक की कालावधि में लम्बित, संस्थित एवं निस्तारित प्रकरणों का विवरण परिशिष्ट–3.3 में दिया गया है जिसके अनुसार दिनांक 08.03.2019 को कुल 27 प्रकरणों में अन्वेषण लम्बित था। दिनांक 08.03.2019 से 31.12.2021 तक की कालावधि में 11 और प्रकरणों में अन्वेषण प्रारम्भ किया गया।

इस प्रकार उक्त कालावधि में अन्वेषण के कुल 38 प्रकरणों में से शून्य प्रकरण अभिकथन सिद्ध न होने के कारण, 06 अन्य कारणों से नस्तीबद्ध किये गये और 04 प्रकरणों में अन्वेषण पश्चात् सक्षम प्राधिकारी को धारा 12(1) के अन्तर्गत अनुशंसा प्रतिवेदन प्रेषित किये गये। इस प्रकार प्रतिवेदनाधीन अवधि में कुल 10 अन्वेषण प्रकरणों का निस्तारण किये जाने के परिणामस्वरूप दिनांक 31.12.2021 को 28 प्रकरणों में अन्वेषण लम्बित रहा।

अन्वेषण पश्चात् सक्षम प्राधिकारियों को प्रेषित अनुशंसा प्रतिवेदन के प्रकरण

दिनांक 01.03.2018 से 07.03.2019 तक की कालावधि में कुल 28 प्रकरणों में अन्वेषण के पश्चात् सक्षम प्राधिकारियों को अनुशंसा–प्रतिवेदन प्रेषित किये गये।

दिनांक 03.03.2019 से 31.12.2021 तक की कालावधि में परिशिष्ट–3.3 के अनुसार कुल 04 प्रकरणों में अन्वेषण के पश्चात् सक्षम प्राधिकारियों को अनुशंसा प्रतिवेदन प्रेषित किये गये। इस प्रकरणों का संक्षिप्त विवरण अध्याय–04" "अन्वेषण पश्चात् सक्षम प्राधिकारी को प्रेषित अनुशंसा–प्रतिवेदन के प्रकरण" में दिया गया है।

इस सचिवालय को कार्यवाही पर परिवादीगण को प्राप्त अनुतोष के प्रकरण

दिनांक 08.03.2019 से 31.12.2021 तक की कालावधि में 192 प्रकरणों में परिवादीगण को अनुतोष दिलाया गया। अनुतोष प्रदान किये गये प्रकरणों का विभागवार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट–3.4 में और संक्षिप्त विवरण अध्याय–4 "अनुतोष के प्रकरण" में दिया गया है।

परिशिष्ट 3.1

लम्बित, संस्थित और निस्तारित परिवादों का विवरण
कालावधि – दिनांक 08.03.2019 से 31.12.2021

शीर्ष सं.	विभाग का नाम	दिनांक 08.03.19 को लम्बित परिवाद	दिनांक 08.03.19 से 31.12.21 तक प्राप्त परिवाद	कुल परिवाद (योग कॉलम 1 व 2)	दिनांक 08.03.19 से 31.12.21 तक निस्तारित परिवाद	दिनांक 31.12.21 को लम्बित रहे परिवाद (3–4)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	कृषि	14	42	56	23	33
3	पुलिस	336	990	1,326	974	352
4	सहकारिता	11	88	99	56	43
5	शिक्षा	88	170	258	129	129
6	कॉलेज शिक्षा	9	39	48	33	15
7	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	18	43	61	24	37
8	चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	46	136	182	97	85
9	सार्वजनिक निर्माण	19	101	120	77	43
10	उर्जा (विद्युत कम्पनियां)	24	164	188	108	80
11	राजस्व	404	1,092	1,496	830	666
12	ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज	535	1,015	1,550	590	960
13	अकाल एवं राहत	.	1	1	1	.
14	यातायात	7	21	28	23	5
15	वन	33	43	76	37	39
16 व 17	नगरीय विकास एवं आवासन / स्वायत्त शासन	1,060	883	1,943	927	1,016
18	आबकारी	3	22	25	17	8

19	उद्योग	12	20	35	21	14
20	मुद्रण एवं लेखन	.	0	.	0	.
21	पशुपालन	3	7	10	8	2
22	माथुर आयोग से अंतरित	11	8	18	2	14
23	जल संसाधन	12	31	43	31	12
24	इं.गा.नहर परियोजना	3	3	8	8	1
25	खान आवंटन जाँच	594	0	594	0	594
26	उपनिवेशन	5	5	10	4	6
28	न्याय	.	17	17	17	.
29	जेल	1	4	5	3	2
30	श्रम	2	35	37	18	21
31	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी	44	70	114	88	48
32	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	21	39	60	43	17
33	भू-प्रबन्ध	3	5	9	3	5
34	सचिवालय	21	23	44	27	17
35	विविध	375	503	908	608	300
40	भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो	6	3	14	5	9
41	आयुर्वेद	1	15	16	8	8
42	देवस्थान	8	16	24	16	3
43	रा.रा.प.प.निगम	2	18	20	17	3
44	वाणिज्यिक कर	3	6	9	6	3
45	खान एवं भूविज्ञान	49	56	105	04	41
46	संस्कृत शिक्षा	1	8	8	8	.
47	राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि	29	216	245	118	127
43	तकनीकी शिक्षा	1	5	8	3	3
योग		3,814	5,996	9,810	5,043	4,767

परिशिष्ट–3.2

प्रारम्भिक जांच प्रकरणों का विवरण
कालावधि – दिनांक 08.03.2019 से 31.12.2021

क्र.सं.	विवरण	प्रकरण संख्या
1	दिनांक 08.03.2019 को लम्बित	37
2	दिनांक 08.03.2019 से 31.12.2021 की अवधि में संस्थित	05
3	योग (क्रम संख्या 1 व 2)	42
4	अभिकथन सिद्ध नहीं होने के कारण नस्तीबद्ध	00
5	विभाग द्वारा पहले ही कार्यवाही प्रारम्भ हो जाने के कारण	00
6	अन्वेषण के पर्याप्त आधार होना नहीं पाये जाने से नस्तीबद्ध	00
7	मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण नस्तीबद्ध	01
8	अन्य कारणों से नस्तीबद्ध	12
9	प्रारम्भिक जांच से अन्वेषण में अन्तरित	04
10	राज्य सरकार को सुझाव भेजकर नस्तीबद्ध	00
11	सक्षम प्राधिकारी को प्रेषित सुझाव/अनुशंषा के प्रकरण	00
12	कुल निस्तारित प्रारम्भिक जांच (योग क्रम संख्या 4–11)	17
13	दिनांक 31.12.2021 को लम्बित प्रारम्भिक जांच	25

परिशिष्ट–3.3

अन्वेषण प्रकरणों का विवरण
कालावधि – दिनांक 08.03.2019 से 31.12.2021

क्र.सं.	विवरण	प्रकरण संख्या
1	दिनांक 08.03.2019 को लम्बित	27
2	दिनांक 08.03.2019 से 31.12.2021 तक की कालावधि में संस्थित प्रकरण	11
3	योग (क्रम संख्या 1 व 2)	38
4	अभिकथन सिद्ध नहीं होने के आधार पर नस्तीबद्ध	00
5	विभाग द्वारा पहले ही कार्यवाही प्रारम्भ हो जाने के कारण नस्तीबद्ध	00
6	अन्वेषण के पर्याप्त आधार होना नहीं पाये जाने के कारण नस्तीबद्ध	00
7	मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण नस्तीबद्ध	01
8	आरोप प्रमाणित नहीं पाये जाने के कारण नस्तीबद्ध	03
9	अन्य कारणों से नस्तीबद्ध	02
10	सक्षम प्राधिकारी को धारा 12(1) के अन्तर्गत प्रेषित अनुशंषा के प्रकरण	04
11	कुल निस्तारित अन्वेषण प्रकरण (योग क्रम संख्या 4–10)	10
12	दिनांक 31.12.2021 को लम्बित अन्वेषण प्रकरण	28

परिशिष्ट–3.4

विभागवार अनुतोष प्रकरणों की संख्या
कालावधि – दिनांक 08.03.2019 से 31.12.2021

शीर्ष सं.	विभाग का नाम	संख्या
2	कृषि	1
3	पुलिस	11
4	सहकारिता	1
5	शिक्षा	8
6	कॉलेज शिक्षा	1
7	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	1
8	चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	4
9	सार्वजनिक निर्माण	0
10	ऊर्जा (विद्युत कम्पनियां)	0
11	राजस्व	23
12	ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज	27
13	अकाल एवं राहत	0
14	यातायात	0
15	वन	0
16 व 17	नगरीय विकास एवं आवासन/ स्वायत्त शासन	38
18	आबकारी	0
19	उद्योग	1
20	मुद्रण एवं लेखन	0
21	पशुपालन	0
22	माथुर आयोग से अंतरित	0
23	जल संसाधन	1
24	इं.गा.नहर परियोजना	1

25	खान आवंटन जाँच	0
26	उपनिवेशन	0
28	न्याय	0
29	जेल	0
30	श्रम	0
31	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी	0
32	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	2
33	भू–प्रबन्ध	0
34	सचिवालय	0
35	विविध	3
40	भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो	0
41	आयुर्वेद	0
42	देवस्थान	1
43	रा.रा.प.प.निगम	0
44	वाणिज्यिक कर	0
45	खान एवं भूविज्ञान	0
46	संस्कृत शिक्षा	0
47	राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि	63
48	तकनीकी शिक्षा	0
योगः–		192

अध्याय–4

अन्वेषण पश्चात् सक्षम प्राधिकारी को प्रेषित अनुशंसा प्रतिवेदन के प्रकरण

एफ.17(49)लोआस/2017

परिवादी श्री सी.एल. कोठारी पुत्र श्री मानमल कोठारी, निवासी 10, महावीर कॉलोनी, पुष्कर रोड, अजमेर का अभिकथन था कि अजमेर विकास प्राधिकरण के तत्कालीन सचिव श्री के.सी. वर्मा, तत्कालीन कार्यालय सहायक श्री फूलचन्द धोबी, तत्कालीन कनिष्ठ लिपिक श्री खेम सिंह रावत तथा नगर निगम अजमेर के तत्कालीन विधि सहायक श्री हजारीराम सीरवी द्वारा उनके स्वामित्व के भूखण्ड संख्या 1089 वर्गगज के दस्तावेज प्राप्त किए बिना एक दिवस में श्री सीरवी के यू.ओ. नोट पर किसी अन्य को आवंटित कर दिया गया तथा उक्त लोक सेवकगण उन्हें उक्त भूखण्ड को समर्पण करने एवं उसके संबंध में लंबित वाद वापिस लेने के लिए दबाव बना रहे हैं ।

परिवादी के उक्त आरोपों के संबंध में अभिलेख पर आए साक्ष्य, तर्क विवेचन एवं लोक सेवकों के स्पष्टीकरण एवं साक्ष्य में प्रकट स्थिति को देखते हुए तत्कालीन सचिव श्री के.सी. वर्मा, तत्कालीन कार्यालय सहायक श्री फूलचन्द धोबी, तत्कालीन कनिष्ठ लिपिक श्री खेम सिंह रावत तथा नगर निगम अजमेर के तत्कालीन विधि सहायक श्री हजारीराम सीरवी द्वारा अपनी पदीय शक्ति के दुरूपयोग व पदीय कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही किया जाना प्रमाणित पाए जाने पर इनके विरूद्ध राजस्थान लोकायुक्त तथा उप–लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 12 (1) के अधीन विद्यमान

व प्रवृत्त अनुशासनिक नियमों के तहत वांछित अनुशासनिक कार्यवाही किए जाने हेतु सक्षम प्राधिकारी को सिफारिश की गई ।

एफ.17(190)लोआस / 2017

परिवादी श्री राजेन्द्र कुमार बड़ाया, निवासी प्लॉट संख्या 6 / 68, विद्याधर नगर, जयपुर का अभिकथन था कि जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के जोन–2 के तत्कालीन प्रवर्तन अधिकारी श्री किशोर सिंह भदोरिया एवं श्री बनवारी लाल मिश्रा की मिलीभगत से विद्याधर नगर जयपुर में स्थित भूखण्ड संख्या 6 / 67 पर बिना अनुमति के एवं प्राधिकरण के बॉयलाज के विपरीत निर्माण किया जा रहा है ।

परिवादी के उक्त आरोपों के संबंध में अभिलेख पर आए साक्ष्य, तर्क विवेचन एवं लोक सेवकों के स्पष्टीकरण एवं साक्ष्य में प्रकट स्थिति को देखते हुए तत्कालीन प्रवर्तन अधिकारी श्री किशोर सिंह भदोरिया एवं श्री बनवारी लाल मिश्रा द्वारा अपनी पदीय शक्ति के दुरूपयोग व दायित्वों के प्रति लापरवाही किया जाना प्रमाणित पाए जाने पर इनके विरूद्ध राजस्थान लोकायुक्त तथा उप–लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 12 (1) के अधीन विद्यमान व प्रवृत्त अनुशासनिक नियमों के तहत वांछित अनुशासनिक कार्यवाही किए जाने हेतु सक्षम प्राधिकारी को सिफारिश की गई ।

एफ.35(153)लोआस / 2017

परिवादी श्री सोहन सिंह पुत्र श्री बीधाराम जाटव, निवासी बयाना दरवाजा, वैर, भरतपुर का अभिकथन था कि बबलू उर्फ गोविन्द नामक व्यक्ति ने पुलिस थाना वैर में उसके विरूद्ध फर्से से चोट मारकर लहुलुहान करने की झूठी रिपोर्ट संख्या 144 / 2017 दर्ज करवाई । जिसमें पुलिस द्वारा मेडिकल करवाने पर प्रश्नगत चोट कुचला हुआ घाव एवं साधारण प्रकृति का पाया गया, परन्तु बबलू से मिली भगत कर श्री सतीश

चन्द, तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भरतपुर, श्री बीधाराम, तत्कालीन सहायक उप निरीक्षक, पुलिस थाना वैर ने डॉ. मनीष कोसिनवार, अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क.) तथा डॉ. दीपक शर्मा, तत्कालीन चिकित्सा अधिकारी एवं मेडिकल ज्यूरिष्ट, राजकीय चिकित्सालय, वैर से झूठी मेडिकल रिपोर्ट बनवाकर परिवादी को झूठे आरोप में फसाया जा रहा है ।

परिवादी के उक्त आरोपों के संबंध में डॉ. दीपक शर्मा के विरूद्ध सीसीए नियम 17 के अन्तर्गत कार्यवाही कर उन्हें दण्डित कर दिए जाने उपरान्त् प्रकरण समाप्त कर दिया गया एवं अभिलेख पर आए साक्ष्य, तर्क विवेचन एवं लोक सेवकों के स्पष्टीकरण एवं साक्ष्य में प्रकट स्थिति को देखते हुए श्री सतीश चन्द, तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भरतपुर, श्री बींधाराम, तत्कालीन सहायक उप निरीक्षक, पुलिस थाना वैर एवं मेडिकल ज्यूरिष्ट डा. मनीष कोसिनवार के विरूद्ध अपनी पदीय शक्ति के दुरूपयोग व दायित्वों के प्रति लापरवाही किया जाना प्रमाणित पाए जाने पर इनके विरूद्ध राजस्थान लोकायुक्त तथा उप–लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 12 (1) के अधीन विद्यमान व प्रवृत अनुशासनिक नियमों के तहत वांछित अनुशासनिक कार्यवाही किए जाने हेतु सक्षम प्राधिकारी को सिफारिश की गई ।

एफ.45(40)लोआस / 2014

"राजस्थान पत्रिका" नाम दैनिक समाचार पत्र में दिनांक 13.03.2015 "लगा 600 करोड़ का चूना", 14.03.2015 "चारों कम्पनियों को एक ही दिन में आवंटन", 16. 03.2015 "500 छोटी खानों का भी आवंटन" व 17.03.2015 "केन्द्र अध्यादेश जारी कर रहा था, तब राजस्थान में हो रहा था खान आवंटन" के विभिन्न शीर्षकों में प्रकाशित खबर पर इस सचिवालय द्वारा स्वः प्रस्तावित प्रसंज्ञान लिया गया । चूंकि खान आवंटन में किए गए घोटालों के विभिन्न प्रकरणों की इस सचिवालय द्वारा पूर्व से ही जांच की जा रही थी, इसलिए उन प्रकरणों में माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा जारी आदेश

संख्या 7233 दिनांक 17.10.2015 के अनुसरण में यह पूरक जांच की गई । इसमें श्री सोहन लाल रेगर, तत्कालीन खनिज अभियन्ता, जैसलमेर एवं श्री राजेश हाड़ा, तत्कालीन सहायक खनिज अभियन्ता, निम्बाहेड़ा के विरूद्ध खनन पट्टा आवंटन प्रक्रिया में की गई अनियमितताओं बाबत अन्वेषण किया गया ।

उक्त आरोपों के संबंध में अभिलेख पर आए साक्ष्य, तर्क विवेचन एवं लोक सेवकों के स्पष्टीकरण एवं साक्ष्य में प्रकट स्थिति को देखते हुए श्री सोहन लाल रेगर, तत्कालीन खनिज अभियन्ता, जैसलमेर एवं श्री राजेश हाड़ा, तत्कालीन सहायक खनिज अभियन्ता, निम्बाहेड़ा द्वारा अकर्मण्यता एवं घोर लापरवाही किया जाना प्रमाणित पाए जाने पर इनके विरूद्ध राजस्थान लोकायुक्त तथा उप–लोकायुक्त अधिनियम, 1970 की धारा 12 (1) के अधीन विद्यमान व प्रवृत्त अनुशासनिक नियमों के तहत वांछित अनुशासनिक कार्यवाही किए जाने हेतु सक्षम प्राधिकारी को सिफारिश की गई ।

अनुतोष के प्रकरण

कालावधि दिनांक 08.03.2019 से 31.12.2021

एफ.2(6)लोआस/2017

परिवादी श्री रावतराम पुत्र श्री टिकूराम चौधरी निवासी प्लॉट नं. 101, हस्तिनापुर, सी पाच्यावाला, जयपुर की यह शिकायत थी कि लोकसेवक श्री ओमप्रकाश शर्मा, विपणन अधिकारी एवं सुरेश जैन, लिपिक, कृषि उपज मण्डी समिति, मालपुरा द्वारा विधि विरूद्ध बिना मण्डी शुल्क चुकाये एवं बिना टर्न ओवर वाले को आरक्षित दर के स्थान पर डीएलसी की आधी दर पर भूखण्ड आवंटित कर मण्डी समिति को 23,09,770/–रूपये का आर्थिक नुकसान पहुंचाया।

इस सम्बन्ध में कार्मिक (क–3/जांच) विभाग से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार दोषी लोकसेवक श्री ओमप्रकाश शर्मा, तत्कालीन सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, मालपुरा के विरूद्ध सीसीए 16 के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई।

इस प्रकार परिवादी की समस्या का निराकरण कर पूर्ण अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.3(64)लोआस/2019

परिवादी भंवरलाल पुत्र श्री रूपा गुर्जर, निवासी पदपुरा, तहसील माण्डलगढ़, जिला भीलवाड़ा की यह शिकायत थी कि उसने ओमप्रकाश नामक व्यक्ति को पचास हजार रूपए उधार दिए थे, जो उसने नहीं लौटाए। इस सम्बन्ध में पुलिस थाना मांडलगढ़ के मुख्य आरक्षी ने दोनों पक्षों को बुलवाकर समझौता करवाया और ओमप्रकाश ने मुख्य आरक्षी को 50000 रूपए दे दिए, परन्तु आरक्षी द्वारा परिवादी को रूपए नहीं लौटाए।

इस सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को उसके 50000 रूपए लौटा दिए गए हैं और परिवादी ने इस प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही किए जाने से इन्कार कर दिया।

इस प्रकार परिवादी को उसके 50,000 रूपए दिलवाकर अनुतोष प्रदान की गई।

एफ.3(149)लोआस / 2018

परिवादी श्री नरेश बैरवा पुत्र श्री शिवदयाल बैरवा, निवासी बन्धावल थाना बौंली, जिला सवाईमाधोपुर की यह शिकायत थी कि पुलिस थाना दत्तावास, जिला टोंक ने उसे थाने पर बुलाकर डरा–धमका कर उसके दहेज का सामान मंगवाया गया।

इस सम्बन्ध में जिला पुलिस अधीक्षक, टोंक से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार दोनों पक्षों (परिवादी एवं उसकी पत्नी) की मीटिंग करवाकर उनका राजीनामा करवाया गया और उनका सामान भी लौटा दिया गया।

इस प्रकार परिवादी की समस्या का पूर्ण रूप से निराकरण किया गया।

एफ.3(414)लोआस / 2018

परिवादिया श्रीमती मीनाक्षी यादव निवासी क्वार्टर नं. 3 पुलिस थाना मानसरोवर, जयपुर की यह शिकायत थी कि महिला थाना, अलवर में उनके द्वारापंजीकृत करवाए गए प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री सुरेन्द्र सिंह द्वारा मुलजिमान से मिलकर धाराएं हटाये जाने व मुलजिमों का नाम निकाल देने के सम्बन्ध में कार्यवाही का निवेदन किया गया।

इस सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, सिविल राईट्स, राज. जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार आरोपीगण के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 498ए, 406, 323, 504, व 509 भादसं. का अपराध प्रथमदृष्ट्या में प्रमाणित पाए जाने पर चालान न्यायालय में पेश किया जा चुका हैं।

इस प्रकार परिवादिया की समस्या का निराकरण कर अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.3(566)लोआस/2018

परिवादी श्री अजयपाल मेघवाल पुत्र श्री ओखाराम मेघवाल निवासी मुकाम पोस्ट उम्मेदाबाद, तहसील एवं जिला जालौर की यह शिकायत थी कि पुलिस चौक उम्मेदावार के इन्चार्ज श्री हनुवन्त सिंह ने अपने पद का दुरूपयोग करते हुए भ्रष्टाचार किया।

इस सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, जालौर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार आरोप प्रमाणित पाए जाने पर हनुवन्त सिंह, ए.एस.आई. के विरूद्ध सीसीए नियम 17 के अन्तर्गत कार्यवाही कर दण्डित किया गया।

इस प्रकार दोषी लोक सेवक को दण्डित करवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान की गई।

एफ.3(577)लोआस/2015

परिवादी श्री राजू राजवंशी पुत्र श्री कालीचरण राजवंशी, मजदूर किसान भवन, शांति नगर, हटवाड़ा रोड़ जयपुर की यह शिकायत थी कि जयपुर शहर में प्री-पेड ऑटो बूथ के संचालन में प्रशासनिक एवं वित्तीय अनियमितताएँ की जा रही है।

इस सचिवालय द्वारा पुलिस यातायात विभाग, जयपुर, महानिदेशक पुलिस एवं प्रमुख सचिव, यातायात राजस्थान जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। तथ्यात्मक रिपोर्ट में आरोप प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाए जाने पर इस सचिवालय स्तर पर प्रारम्भिक स्तर पर जांच की गई। इसमें परिवादी एवं उसके गवाहों तथा अतिरिक्त पुलिस यातायात, जयपुर के बयान पंजीकृत किए गए। सम्बन्धित अभिलेखों का निरीक्षण किया गया। वित्तीय लेन-देनों का ऑडिट करवाया गया। ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार सम्बन्धित रिकवरी कर राज कोष में राशि जमा करवाई गई। इसके पश्चात् जयपुर शहर में चल रहे सभी प्री-पेड बूथों का संचालन वित्तीय प्रावधानों के संहिताकरण तथा विधिक स्वरूप प्रदान किए जाने तक प्री-पेड बूथों का संचालन पुलिस उपायुक्त,

यातायात जयपुर द्वारा आदेश क्रमांक 2724 दिनांक 24.05.2019 पारित का आस्थगित कर दिया गया।

इस प्रकार परिवादी की समस्या का निराकरण किया गया और जयपुर शहर के प्री–पेड बूथ संचालन में हो रहे भ्रष्टाचार को भी रोका गया।

एफ.3(47)लोआस / 2021

परिवादी श्रीमती गुड्डी कंवर पत्नी श्री चैन सिंह निवासी ग्राम डोगरी पोस्ट मोजमाबाद, जयपुर की यह शिकायत थी कि उनके देवर द्वारा परिवादिया एवं उसके पति के साथ मार–पीट करने के सम्बन्ध में पुलिस थाना फागी में पंजीकृत मुकदमा संख्या 158 में पुलिस द्वारा कार्यवाही नहीं की जा रही।

इस सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, जयपुर ग्रामीण से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण में निष्पक्ष कार्यवाही की गई एवं आरोप प्रमाणित पाए जाने पर चार्जशीट संख्या 98 / 2021 दिनांक 26.04.2021 को किता कर दी गई।

इस प्रकार परिवादिया को पूर्ण रूप से अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.3(149)लोआस / 2018

परिवादी श्री दीनदयाल पुत्र श्री आशाराम, ग्राम पोस्ट फागलवा, तहसील धोद, जिला सीकर की यह शिकायत थी कि पलसाना, ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. के पक्ष में स्वीकृति कार्यालय एवं गोदाम भवन का निर्माण रजिस्ट्रार सहकारी समितियॉ, राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी स्वीकृति की शर्त संख्या 9 के अनुसार नहीं करने के कारण स्वीकृति निरस्त करवाने का इस सचिवालय से अनुरोध किया।

इस सम्बन्ध में अतिरिक्त रजिस्ट्रार प्रथम, कार्यालय रजिस्ट्रार सहकारी समितियॉ, राजस्थान, जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार नियम विरुद्ध निर्माण करने के कारण प्रश्नगत स्वीकृति निरस्त कर दी गई और समिति को 8 लाख रूपए तत्कालीन केन्द्रीय सहकारी बैंक को लौटाने हेतु निर्देशित कर दिया गया।

इस प्रकार परिवादी की समस्या का पूर्ण रूप से निराकरण किया गया।

एफ.3(366)लोआस / 2018

परिवादी इन्दर हरकावत पुत्र श्री मोतीचंद, निवासी 501, पैराडाईस गार्डन, ए–25, तिलक नगर, जयपुर की यह शिकायत थी कि पुलिस थाना श्याम नगर, जयपुर मेंपंजीकृत प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 64 / 2016 में उन्हें एवं उनके मित्रगण को गवाह के रूप में सम्मिलित करने की धमकी देकर अनावश्यक परेशान किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में पुलिस उपायुक्त, जयपुर दक्षिण से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी एवं उनके मित्रगणों का गवाही में नाम नहीं लिखा गया है एवं प्रकरण में एफ. आर. लगाकर न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया है। साथ ही परिवादी से कोई पूछताछ नहीं की जा रही है।

इस प्रकार परिवादी को पूर्ण रूप से अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.3(452)लोआस / 2016

परिवादी श्रीमती मधु अग्रवाल पत्नी श्री महेन्द्र कुमार, निवासी 3–सी–23, प्रथमतल, मालवीय नगर, जयपुर की यह शिकायत थी कि सम्पत्ति विवाद में पुलिस थाना शिवदासपुरा, शिप्रापथ, सदर जयपुर एवं मालवीय नगर में पंजीकृत प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या क्रमशः 38 / 2015, 497 / 15, 350 / 15 एवं 179 / 2015 में पुलिस द्वारा अभियुक्तगण से मिलकर सही अनुसंधान नहीं किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में पुलिस उपायुक्त, जयपुर पूर्व से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अनुसंधान पश्चात् तीन प्रकरणों में एफ.आर. न्यायालय में पेश कर दी गई और मालवीय नगर मेंपंजीकृत रिपोर्ट में आरोपी मनोज कुमार एवं नीरू अग्रवाल के विरूद्ध अपराध प्रमाणित पाया गया।

इस प्रकार परिवादी को पूर्ण रूप से अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.3(508)लोआस / 2018

परिवादी श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा पुत्र श्री महावीर शर्मा, निवासी ग्राम गोपालपुरा, तहसील कोटपुतली, जिला जयपुर की यह शिकायत थी कि पुलिस थाना सरूण्ड, जयपुर ग्रामीण के हैड कांस्टेबल श्री गौरीशंकर द्वारा उन्हें गैर कानूनी रूप से परेशान कर गलत मुकदमों में फंसाया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में जिला पुलिस अधीक्षक, जयपुर ग्रामीण से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी के आरोप प्रमाणित पाए जाने उपरान्त दोषी लोक सेवक श्री गौरीशंकर, हैड कांस्टेबल के विरूद्ध सीसीए नियम 17 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई।

इस प्रकार परिवादी की समस्या का पूर्ण रूप से निराकरण किया गया।

एफ.4(11)लोआस / 2020

परिवादी श्री दीनदयाल पुत्र श्री आशाराम, ग्राम पोस्ट फागलवा, तहसील धोद, जिला सीकर की यह शिकायत थी कि पलसाना, ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. के पक्ष में स्वीकृति कार्यालय एवं गोदाम भवन का निर्माण रजिस्ट्रार सहकारी समितियॉ, राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी स्वीकृति की शर्त संख्या 9 के अनुसार नहीं करने के कारण स्वीकृति निरस्त करवाने का इस सचिवालय से अनुरोध किया।

इस सम्बन्ध में अतिरिक्त रजिस्ट्रार प्रथम, कार्यालय रजिस्ट्रार सहकारी समितियॉ, राजस्थान, जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार नियम विरूद्ध निर्माण करने के कारण प्रश्नगत स्वीकृति निरस्त कर दी गई और समिति को 8 लाख रूपए तत्कालीन केन्द्रीय सहकारी बैंक को लौटाने हेतु निर्देशित कर दिया गया।

इस प्रकार परिवादी की समस्या का पूर्ण रूप से निराकरण किया गया।

एफ.5(54)लोआस / 2018

परिवादी श्रीमती कंचन बाला पत्नी श्री देवी सिंह, प्लॉट ए, सेक्शन-7, न्यू पावर हाऊस रोड़ा, जोधपुर की यह शिकायत थी कि अध्यापिका के पद से सेवा निवृत्त होने पर उनकी राज्य बीमा पॉलिसी का भुगतान नहीं किया गया।

इस सम्बन्ध में अतिरिक्त निदेशक प्रशासन, प्रारंभिक शिक्षा एवं पंचायती राज (प्रा.शि.) राजस्थान, बीकानेर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादिया को उनकी राज्य बीमा पॉलिसी का भुगतान किया जा चुका है।

इस प्रकार परिवादिया की समस्या का पूर्ण रूप से निराकरण किया गया।

एफ.5(92)लोआस / 2018

परिवादी श्रीमती रेखा देवी मंडल पत्नी श्री जयपाल मंडल, ग्राम लेदौर कला, पोस्ट मण्डाखेड़ा, तहसील मासलपुर, करौली की यह शिकायत थी कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय करणपुर में सहायक कर्मचारी के पद पर कार्यरत उनके पति को छठे एवं सातवें वेतन आयोग से लाभाविन्त करते हुए वेतन स्थिरीकरण करवाए जाने का इस सचिवालय से अनुरोध किया।

इस सम्बन्ध में जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक करौली से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादिया के पति को देय छठे एवं सावतें वेतन आयोग से लाभान्वित कर वेतन स्थिरीकरण कर दिया गया।

इस प्रकार परिवादिया की समस्या का पूर्ण निराकरण कर अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.5(99)लोआस / 2018

परिवादी श्री रामस्वरूप वर्मा निवासी पंचायत समिति के सामने वाली गली, वार्ड संख्या 22, शक्ति विहार कॉलोनी, बहरोड़ अलवर की यह शिकायत थी कि उनकी सेवा

पुस्तिका गायब हो जाने के कारण सेवानिवृति पश्चात् उन्हें वेतन स्थिरीकरण का लाभ नहीं मिला।

इस सम्बन्ध में जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, अलवर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को देय वेतन स्थिरीकरण का लाभ दे दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी की समस्या का पूर्ण निराकरण कर अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.5(107)लोआस / 2015

परिवादी श्री नन्द सिंह राठौड़ पुत्र श्री अनोप सिंह, प्रताप कॉलोनी, स्टेशन रोड़, भीनमाल, जालोर द्वारा यह शिकायत की गई कि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय वागावास, भीनमाल में श्री पंकज कुमार जीनगर नामक अध्यापक ने विभाग से मिलीभगत कर नियम विरूद्ध तरीके से पद पर रहते हुए बी.एड. की। इसके लिए दोषी कर्मियों के विरूद्ध कार्यवाही करने का इस सचिवालय से अनुरोध किया गया।

इस सम्बन्ध में अतिरिक्त निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार दोषी लोकसेवकगण प्रधानाध्यापक शंकर लाल को भविष्य में सावधानी बरतने की चेतावनी दी गई। श्री पंकज कुमार, क.लि. को एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोक कर दण्डित किया गया। गोविन्दराम तत्कालीन प्रधानाध्यापक को परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित किया गया।

इस प्रकार दोषी लोकसेवकण के विरूद्ध अनुशासनात्मक के परिणामस्वरूप उन्हें दण्डित कर परिवादी को पूर्ण अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.5(115)लोआस / 2018

परिवादी श्रीमती पुष्पलता शर्मा पत्नी श्री लादूराम जोशी, पुष्प कुटीर, महादेव कॉलोनी, जलचक्की रोड़, कांकरौली जिला राजसमन्द की यह शिकायत थी कि जिला

शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, राजसमन्द द्वारा उनकी सेवा पुस्तिका गुम कर दिए जाने के कारण उन्हें वर्ष 1988–89 की वेतन वृद्धि नहीं मिल रही है।

जिला शिक्षा अधिकारी, राजसमन्द से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादिया को उनका संशोधित स्थिरीकरण कर बकाया भुगतान राशि 15,552 रूपए उनके बैंक खाते में दिनांक 25.04.2019 को जमा करवा दिया गया।

इस प्रकार परिवादिया की समस्या का पूर्ण रूप से निराकरण किया गया।

एफ.5(130)लोआस / 2018

परिवादी श्री विक्रम सिंह मुदगल, भार्गव चश्में वालों का मकान, पुराने डाकखाने के पीछे, भरतपुर की यह शिकायत थी कि प्रधानाचार्य के पद से सेवा निवृत्त होने के 3 वर्ष पश्चात् भी उनके यात्रा भत्ता बिलों का भुगतान नहीं किया गया।

इस सम्बन्ध में जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक, भरतपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को उनके समस्त बकाया यात्रा भत्ता बिलों का भुगतान किया जा चुका है।

इस प्रकार परिवादी की समस्या का पूर्ण रूप से निराकरण किया गया।

एफ.5(146)लोआस / 2018

परिवादी श्री ओम प्रकाश हरिजन, निवासी करेड़ा, भीलवाड़ा की यह शिकायत थी कि उनके पिता श्री मांगीलाल हरिजन की राजकीय सेवा में रहते हुए देहांत के पश्चात् विभाग द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति नहीं दी जा रही है।

इस सम्बन्ध में निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को राजकीय सेवा में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान कर दी गई है।

इस प्रकार परिवादी को राजकीय सेवा में अनुकम्पा नियुक्ति दिलवाकर अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.6(10)लोआस/2017

परिवादी श्रीमती ज्योति सिन्हा, 104, शान्ति कुंज, अलवर की यह शिकायत थी कि प्रधानाचार्य के पद से सेवानिवृत्त होने के पश्चात् आयुक्त, कॉलेज शिक्षा द्वारा पेंशन आदि का भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में विशेषाधिकारी, निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राज. जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादिया को देय पेंशन एवं अन्य परिलाभों का भुगतान किया जा चुका है।

इस प्रकार परिवादिया को पेंशन आदि का पूर्ण भुगतान दिलवाकर अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.7(25)लोआस/2018

परिवादी श्री गिरधारीराम पुत्र श्री नारायणराम जाट, निवासी खानपुर, तहसील लाडनूं, नागौर की यह शिकायत थी कि राशन डीलर श्यामसिंह उचित मूल्य दुकानदार, खानपुर, आसोटा द्वारा गंभीर अनियमिता बरती जा रही है।

इस सम्बन्ध में जिला रसद अधिकारी, नागौर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार श्री श्यामसिंह एवं नरेन्द्र सिंह के विरूद्ध राजस्थान खाद्यान एवं आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनिमयन) 1976 के खण्ड 8 एवं 9 द्वारा पदृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया। साथ ही डीलर्स द्वारा जमा करवाई गई 1000/–रूपये राशि राज्यहित में जब्त की गई।

इस प्रकार परिवादी की समस्या का पूर्ण निराकरण कर अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.8(56)लोआस / 2018

परिवादी श्रीमती रजनी सोनी पत्नी श्री उदयसिंह सोनी, निवासी ए–20, कर्मचारी कॉलोनी, अशोक विहार, अलवर की यह शिकायत थी कि सेवानिवृत्ति पश्चात् उन्हें पेंशन एवं अन्य परिलाभ नहीं मिल रहे हैं।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर की रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को उनके समस्त पेंशन परिलाभ एवं पेंशन का भुगतान कर दिया गया।

इस प्रकार परिवादिया को उनकी पेंशन एवं पेंशन परिलाभ का भुगतान दिलवाकर अनुतोष प्रदान की।

एफ.8(57)लोआस / 2017

परिवादी श्री सत्यनारायण माली पुत्र श्री रामलाल माली, निवासी गली नं. 1, दाऊजी की पोल के सामने, सुथाला चौपासनी रोड़, जोधपुर की यह शिकायत थी कि उनकी सेवानिवृत्ति के पश्चात् चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा उनकी रोकी गई राशि एवं अन्य पेंशन परिलाभ आदि का भुगतान दिलाए जाने की इस सचिवालय से प्रार्थना की।

इस सम्बन्ध में प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, डॉ. सम्पूर्णानन्द आयुर्विज्ञान महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, जोधपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार नियमानुसार देय समस्त राशि का दिनांक 12.06.2019 को भुगतान कर दिया गया।

इस प्रकार परिवादी को उसकी बकाया राशि एवं अन्य पेंशन परिलाभ का भुगतान दिलाकर उसकी समस्या का निराकरण किया गया।

एफ.8(80)लोआस / 2017

परिवादी श्री गंगाराम पुत्र श्री मोहनलाल जाट, हनुमान मन्दिर के पीछे, नगर रोड़, डीग, भरतपुर सेवानिवृत्त स्वास्थ्य निरीक्षक की यह शिकायत थी कि उन्हें वर्ष 2009 से 31.12.2015 तक के बकाया यात्रा भत्तों का भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर की रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को उनके समस्त यात्रा भत्तों की बकाया राशि का भुगतान कर दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को उनकी समस्त बकाया राशि भुगतान दिलवाकर अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.11(20)लोआस / 2019

परिवादी श्री बाबूलाल मीणा पुत्र श्री रंगलाल मीणा, निवासी मारजा नदी तहसील मलारना डूंगर, सवाईमाधोपुर की यह शिकायत थी कि सार्वजनिक मार्ग पर किए गए अतिक्रमण को हटवाया जावे।

इस सम्बन्ध में जिला कलक्टर, सवाई माधोपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत आम रास्ते से अतिक्रमण हटवाकर नई सी.सी. रोड़ का निर्माण करवाया गया।

इस प्रकार सार्वजनिक मार्ग अतिक्रमण मुक्त करवाकर परिवादी को पूर्ण अनुतोष प्रदान किया।

एफ.11(53)लोआस / 2018

परिवादी श्री रामदेव विश्नोई, निवासी 5 / 56, इन्दिरा विस्तार कॉलोनी, एफसीआई गोदाम के पास, नागौर की यह शिकायत थी कि जिला कलक्टर, नागौर कार्यालय द्वारा उनके बन्दूक व शस्त्र अनुज्ञा पत्र नहीं लौटाये गये हैं।

इस सम्बन्ध में जिला पुलिस अधीक्षक, नागौर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को वांछित शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण करके दे दिया गया।

इस प्रकार परिवादी को वांछित अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.11(134)लोआस / 2019

परिवादी श्री मुकेश अग्रवाल, निवासी बनीपार्क, जयपुर की यह शिकायत थी कि उप पंजीयक (नवन), पंजीयन एवं मुद्राक विभाग, जयपुर द्वारा पंजीबद्ध किये गये विक्रय पत्र लौटाने के लिए उनसे पैसे की मांग की गई।

इस सम्बन्ध में महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान, अजमेर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार मुवक्किल द्वारा विभाग द्वारा पंजीयन हेतु मांगी गई राशि को जमा कराकर विक्रय पत्र प्राप्त कर लिया है।

इस प्रकार परिवादी की समस्या का निराकरण कर पूर्ण अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.11(124)लोआस / 2019

परिवादी श्री कल्याण सहाय बैरवा पुत्र श्री सोहन लाल निवासी लवाण, दौसा की यह शिकायत थी कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत पात्रता रखने उपरान्त भी उनका नाम खाद्य सूची में नहीं जोड़ा जा रहा है।

इस सम्बन्ध में जिला कलक्टर, दौसा से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी का नाम खाद्य सूची में जोड़ा जा चुका है।

इस प्रकार परिवादी के चाहे अनुसार उनका नाम खाद्य सूची में जुड़वाकर उनको अनुतोष प्रदान की गई।

एफ.11(201)लोआस / 2019

परिवादी श्री हरिनारायण मीणा, द्वारा तन खोहल्या के खसरा नं. 754 रकबा 0.03 हैक्टेयर सिवायचक भूमि पर गीताराम मीणा एवं श्री कंवरपाल द्वारा अतिक्रमण

करने एवं रास्ता बंद किये जाने का आरोप लगाते हुए अतिक्रमण हटाने के सम्बन्ध में इस सचिवालय से कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया था।

इस सम्बन्ध में जिला कलक्टर, टोंक से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत अतिक्रमण को दिनांक 26.8.2020 को हटा दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी की समस्या का निराकरण कर पूर्ण अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.11(222)लोआस / 2012

परिवादी श्री विजेन्द्र कुमार सोनी पुत्र श्री शिशुपाल सैनी, निवासी माताजी की ढ़ाणी, तन डाणियाँ, पंचायत नवलगढ़, झुंझुनू ने राजकीय गोचर भूमि खसरा संख्या 77 में 1 बीघा भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण किए जाने के सम्बन्ध में यह परिवाद प्रस्तुत किया गया।

इस सम्बन्ध में संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप–1) विभग, जयपुर की रिपोर्ट के अनुसार श्री इंद्राज सिंह, श्री घनश्याम शर्मा, श्री पंकज शर्मा तत्कालीन तहसीलदार के विरूद्ध सीसीए नियम 16 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही कर भविष्य में और तत्परता से कार्य करने की हिदायत दी गई।

इसके अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुंझुनू से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार श्री जय प्रकाश शर्मा एवं श्री जगदीश प्रसाद गोयल, तत्कालीन पटवारी के विरूद्ध आरोप प्रमाणित पाए जाने पर असंचयी प्रभाव से दो वेतन वृद्धि रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया।

इस प्रकार दोषियों को सजा दिलवाकर अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.11(291)लोआस/2020

परिवादी श्री अब्दुल हमीद देशवाली पुत्र श्री नूर मोहम्मद निवासी बड़ा मोहल्ला, सरवाड़, अजमेर से शिकायत थी कि खसरा संख्या 723 की सरकारी सिवायचक भूमि पर अवैध कब्जा कर किए गए अतिक्रमण को हटवाया जावे।

इस सम्बन्ध में जिला कलक्टर, अजमेर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार आरोप प्रश्नगत अतिक्रमण हटा दिया गया।

इस प्रकार प्रश्गत अतिक्रमण हटवाकर परिवादी को पूर्ण अनुतोष प्रदान की गई।

एफ.11(341)लोआस/2017

परिवादी श्रीमती शान्ति देवी शर्मा पत्नी श्री रामकिशोर शर्मा, निवासी दाऊजी के मंदिर के पास, मु.पो. सिकराय, दौसा ने सिकराय बाईपास घुमाव पर स्थित उसकी खातेदारी भूमि व उससे सटे सरकारी नाले की भूमि पर अतिक्रमण किए जाने के सम्बन्ध में यह परिवाद दायर किया।

इस सम्बन्ध में जिला कलक्टर, दौसा से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 03.07.2019 के अनुसार प्रश्नगत भूमि खसरा संख्या 2310/1070 (नया खसरा संख्या 1509) पर काबिज अतिक्रमण हटा दिया गया एवं मौके पर कब्जे राज के पोस्टर चिपकाकर अतिक्रमियों को भविष्य में अतिक्रमण नहीं करने हेतु प्रतिबन्धित किया गया।

सिकराय बाईपास घुमाव पर स्थित नाले की भूमि पर प्रश्नगत अतिक्रमण हटाए जाने से पूर्व जगदीश पुत्र टीड्या राम व सुरजन पुत्र छंगाराम द्वारा सिविल न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया, जो अभी विचाराधीन है।

इस प्रकार खसरा संख्या 2310/1070 की भूमि से अतिक्रमण हटाकर परिवादिया को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.11(388)लोआस / 2018

परिवादी श्री गंगाराम सैनी पुत्र श्री नानगराम सैनी, निवासी ग्राम हरसौला अरनिया, घोलामाटा वाले बसवा, दौसा का अभिकथन था कि उसकी भूमि पर पत्थरगढी करने के सम्बन्ध में पारित आदेश की उप खण्ड अधिकारी, बांदीकुई द्वारा पालना नहीं की जा रही है।

इस सम्बन्ध में जिला कलक्टर, दौसा से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी द्वारा पत्थरगढ़ी करवा ली गई।

इस प्रकार प्रश्नगत परिवादी की समस्या का निराकरण कर अनुतोष प्रदान की गई।

एफ.11(392)लोआस / 2017

परिवादी श्री गोरधन चौधरी पुत्र श्री प्रेमाराम चौधरी, वाया पोस्ट शुभदण्ड, तहसील लूणी, जोधपुर ने ग्राम सुबदण्ड से रोहिचाकलां व चाली जाने वाले रास्ते पर किए गए अतिक्रमण को सक्षम प्रशासन द्वारा कार्यवाही नहीं करने पर इस सचिवालय में परिवाद दायर किया गया।

इस सम्बन्ध में जिला कलक्टर, जोधपुर से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 11.06.2019 के अनुसार मौके पर परिवादी की उपस्थिति में प्रश्नगत दोनों अतिक्रमण पूर्ण रूप से हटाकर मार्ग ग्राम पंचायत को सुपुर्द कर दिया गया। मौका रिपोर्ट पर परिवादी ने अपने हस्ताक्षर से संतुष्टि भी व्यक्त की।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा अतिक्रमण हटवाकर परिवादी को पूर्ण रूप से अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.11(410)लोआस / 2015

परिवादी श्री अम्बालाल पुत्र श्री सोहनलाल, निवासी भाटियों का मोहल्ला, मेड़ता सिटी, नागौर ने ग्राम पंचायत सोगावास के अधीन ग्राम बिजाण्डा की ढ़ाणी में वहाँ के 42 निवासीगण द्वारा गोचर भूमि एवं आम रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण किए जाने पर अतिक्रमण हटवाने हेतु इस सचिवालय में परिवाद दायर किया। परिवाद राजस्थान लोकायुक्त तथा उप–लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 9(2) के अन्तर्गत अपेक्षित शपथ पत्र से समर्थित नहीं होने पर प्रकरण सार्वजनिक महत्व की चरागाह एवं आम रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण किए जाने से सम्बन्धित होने के कारण माननीय लोकायुक्त महोदय द्वारा दिनांक 24.09.2015 को "स्व–प्रेरणा" से प्रसंज्ञान लेते हुए जांच प्रारम्भ कर दी गई।

इस सम्बन्ध में जिला कलक्टर, नागौर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अतिक्रमियों के विरूद्ध धारा 91 के तहत प्रकरण पंजीकृत किया और परीक्षण कर पाया कि कुछ परिवार सामूहिक रूप से बाड़े से घिरे हुए मकान में रहते हैं, इसलिए वास्तव में 19 कच्चे / पक्के अतिक्रमण चिन्हित किए गए हैं, जो 40–50 वर्ष पुराने हैं तथा पक्के मकान बने हुए हैं। इनमें से 8 लोगों ने कच्चे बाड़े बनाकर अतिक्रमण कर रखा था, जिन्हें दिनांक 14.10.2016 को भौतिक रूप से बे–दखल कर दिया गया है।

उप खण्ड अधिकारी, मेड़ता ने भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के बेदखली आदेश पारित किए, जिसके विरूद्ध अप्रार्थीण ने सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेड़ता के न्यायालय में मुकदमा दीवानी विविध प्रस्तुत किया जिसमें न्यायालय द्वारा मौके पर यथास्थिति बनाए रखने के आदेश पारित किया गया। प्रकरण अभी न्यायालय में लंबित है।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा 8 प्रकरणों में पूर्ण अनुतोष तथा शेष में प्रकरण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाकर आंशिक अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.11(471)लोआस/2018

परिवादी श्री विवेक कुमार शर्मा पुत्र श्री चिम्मनलाल शर्मा, निवासी ग्राम बगोला, तहसील राजगढ़, अलवर ने आराजी खसरा संख्या 3631/0.78 गैर मुमकिन पहाड़ पर अतिक्रमण करने के सम्बन्ध में शिकायत की।

इस सम्बन्ध में जिला कलक्टर, राजसमन्द से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत अतिक्रमण हटा दिया गया।

इस प्रकार प्रश्नगत अतिक्रमण हटवाया जाकर परिवादी को पूर्णतया अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.11(537)लोआस/2018

परिवादी श्री सरदार सिंह पुत्र श्री हमेर सिंह, निवासी मावलों का गुडा, पंचायत टाडावाडा गुजरान, तहसील गढ़बोर, राजसमन्द ने चारागाह (गोचर) भूमि से अतिक्रमण हटवाए जाने की इस सचिवालय से प्रार्थना की।

इस सम्बन्ध में जिला कलक्टर, राजसमन्द से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत अतिक्रमण हटा दिया गया।

इस प्रकार प्रश्नगत अतिक्रमण हटवाया जाकर परिवादी को पूर्णतया अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.11(546)लोआस/2018

परिवादी श्री उम्मीद सिंह राजपूत पुत्र श्री श्याम सिंह निवासी खाखड़ बॉस, गुढ़ाचंद जी तहसील नादौती, जिला करौली की शिकायत थी कि न्यायालय द्वारा यथास्थिति के आदेश प्रभावी होने के उपरान्त भी प्रश्नगत भूमि का जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेचान कर दिया।

इस सम्बन्ध में जिला कलक्टर, करौली से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार आरोप प्रमाणित पाए जाने पर पंजीयन लिपिक श्री सतीश शर्मा के विरूद्ध सीसीए नियम 17 के अन्तर्गत दण्डित कर एक वार्षिक वेतन वृद्धि रोके जाने से दण्डित किया गया।

इस प्रकार दोषीकर्मी को दण्डित कर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.11(592)लोआस/2018

परिवादी श्री गुगनराम अहीर पुत्र श्री उमराव सिंह अहीर निवासी रसलपुर अहिरान, पोस्ट पचेरी कलां, तहसील बुहाना, झुंझुनू ने गैर मुमकिन सार्वजनिक रास्ते पर अतिक्रमण के सम्बन्ध में इस सचिवालय में शिकायत की।

इस सम्बन्ध में जिला कलक्टर, झुंझुनू से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत अतिक्रमण हटा दिया गया और मौके पर कोई अतिक्रमण शेष नहीं रहा।

इस प्रकार प्रश्नगत सार्वजनिक आम रास्ते की भूमि अतिक्रमण मुक्त करवाकर परिवादी को वांछित अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.11(601)लोआस/2018

परिवादी श्री जुगल किशोर शर्मा पुत्र श्री बनवारी लाल निवासी मुकाम पोस्ट बामनवास, तहसील खंडेला, सीकर द्वारा खसरा संख्या 130 चरागाह भूमि पर निर्माण कर किए गए अतिक्रमण को हटवाने का इस सचिवालय से अनुरोध किया गया।

इस सम्बन्ध में जिला कलक्टर, सीकर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अतिक्रमियों को मौके से बेदखल कर दिया गया।

इस प्रकार प्रशगत परिवादी की समस्या का निराकरण कर अनुतोष प्रदान की गई।

एफ.11(626)लोआस/2018

परिवादी श्री रामलाल कुम्हार पुत्र श्री गोलू कुम्हार निवासी ग्राम कंवरवास, तहसील टोडारायसिंह, टोंक ने उनके पिता को आवंटित भूमि के सम्बन्ध में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित आदेश की पालना नहीं करने के सम्बन्ध में इस सचिवालय में शिकायत की।

इस सम्बन्ध में जिला कलक्टर, टोंक से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत भूखण्ड का नामान्तकरण परिवादी के नाम पंजीकृत कर दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को उसके हक में भूखण्ड का नामान्तकरण करवाकर परिवादी की समस्या का निराकरण कर अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.11(738)लोआस/2017

परिवादी श्री कन्हैयालाल पलोड़, निवासी 2–ए–36, आर.सी.व्यास कॉलोनी, भीलवाड़ा ने राजस्व ग्रामपुर, भीलवाड़ा की गैर खातेदारी की आराजी संख्या 3834/1 के उसे खातेदारी के अधिकार नहीं दिए जाने के सम्बन्ध में इस सचिवालय से शिकायत की।

इस सम्बन्ध में जिला कलक्टर, भीलवाड़ा से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत परिवादी की व्यथा का निराकरण कर दिया गया है, जिससे परिवादी स्वयं भी संतुष्ट है।

इस प्रकार परिवादी को पूर्ण अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.11(755)लोआस/2017

परिवादी श्री वीरेन्द्र सिंह परमार पुत्र श्री हुकम सिंह निवासी ग्राम पोस्ट तसीमों, तहसील सैपऊ, धौलापुर द्वारा आराजी खसरा संख्या 2119 व 2122 की सिवायचक भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटावाने का इस सचिवालय से अनुरोध किया गया।

इस सम्बन्ध में जिला कलक्टर, धौलपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत अतिक्रमण को हटाकर भौतिक कब्जा प्राप्त कर लिया गया।

इस प्रकार प्रश्नगत अतिक्रमण हटवाकर परिवादी की समस्या का निराकरण कर अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.11(634)लोआस / 18

परिवादी श्री रवि कुमार चमार पुत्र श्री विजय सिंह निवासी ग्राम भीटेडा, तहसील बहरोड़, जिला अलवर ने यह शिकायत ग्राम भीटेडा में आम रास्ते पर अतिक्रमण किए जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत की।

जिला कलक्टर, अलवर से इस सम्बन्ध में प्राप्त रिपोर्ट में बताया गया कि अतिक्रमण हटवा दिया गया।

इस प्रकार प्रश्नगत अतिक्रमण हटवाकर परिवादी को पूर्ण अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.11(642)लोआस / 18

परिवादी श्री राजेन्द्र प्रसाद सैनी पुत्र श्री देवाराम माली, निवासी स्वामी का बास, तहसील चाकसू, जिला जयपुर ने यह शिकायत चारागाह भूमि पर किए गए अतिक्रमण को नहीं हटाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत की।

जिला कलक्टर, जयपुर से इस सम्बन्ध में प्राप्त रिपोर्ट में बताया गया कि अतिक्रमण हटाकर मौके से अतिक्रमियों को बेदखल कर दिया गया है।

इस प्रकार प्रश्नगत अतिक्रमण हटवाकर परिवादी को पूर्ण अनुतोष प्रदान की गई।

एफ.12(5)लोआस/2019

परिवादी श्री एल.आर. जांगिड़ पुत्र श्री रामलाल जांगिड़ निवासी ए–205, मालवीया नगर, जयपुर ने ग्राम पंचायत जैतूसर पंचायत समिति श्रीमाधोपुर, सीकर के वार्ड संख्या 04 में सार्वजनिक चौक में चबूतरा बनाकर अतिक्रमण किये जाने के सम्बन्ध में शिकायत की।

इस सम्बन्ध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, सीकर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत अतिक्रमण हटाया जाकर सार्वजनिक भूमि को आवागमन के लिए खुलवा दिया गया।

इस प्रकार प्रश्नगत अतिक्रमण हटवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.12(30)लोआस/2019

परिवादी भगवती कुमारी पुत्री श्री खेताराम भाटी, मेन बाजार समदड़ी, बाड़मेर ने ग्राम पंचायत समदड़ी के ग्राम विकास अधिकारी एवं सरपंच आदि के विरूद्ध मन्दिर भूमि पर अवैध कब्जा कर नियम विरूद्ध पट्टा बनवाने की शिकायत की। इस सम्बन्ध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बाड़मेर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार नियम विरूद्ध जारी पट्टा निरस्त करते हुए मंदिर की भूमि ग्राम पंचायत को सौंप दी गई।

इस प्रकार नियम विरूद्ध जारी पट्टा निरस्त कर अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.12(93)लोआस/2015

परिवादी मुकेश जाट पुत्र श्री खानाराम जाट निवासी ग्राम पंचायत भासू, तहसील टोडारायसिंह, टोंक द्वारा पंचायत समिति के कर्मियों द्वारा फर्जी दस्तावेज बनाकर विभिन्न सरकारी योजनाओं का अनैतिक तरीके लाभ उठवाए जाने के सम्बन्ध में शिकायत की गई।

इस सम्बन्ध में जिला कलक्टर, टोंक से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार दोषी लोक सेवक श्री धीरज कुमार मीणा, ग्राम सेवक के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए दोहरा भुगतान की गई राशि ब्याज सहित वसूल कर ली गई।

इस प्रकार नियम विरूद्ध दोहरे भुगतान की सम्बन्धित से वसूली कर राजकोष में जमा करवाकर अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.12(124)लोआस / 2017

परिवादी श्री रामलाल पुत्र अर्जुन लाल यादव, ग्राम कोलवा, पोस्ट, मुंडरू, सीकर ने ग्राम पंचायत कोलवा, तहसील श्रीमाधोपुर में श्री सरदार सिंह यादव द्वारा अपने खातेदारी भूमि के समीप नदी बहाव क्षेत्र में कम से कम 10 बीघा जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर उसमें खेती करने का आरोप लगाया एवं इस सम्बन्ध में इस सचिवालय से कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया था।

इस सम्बन्ध में जिला कलक्टर, सीकर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत खसरा संख्या 613 किस्म गैर मुमकिन नदी पर किये गये अतिक्रमण के सम्बन्ध में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही की जाकर अतिक्रमण हटा दिया गया।

इस प्रकार परिवादी की समस्या का निराकरण कर अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.12(10)लोआस / 2019

परिवादी श्री गुरनाम सिंह पुत्र श्री जगतार सिंह, ग्राम राहरान, तहसील पहाड़ी, जिला भरतपुर का अभिकथन था कि ग्राम सचिव आदि द्वारा उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना में अन्तर्गत मिलने वाली तीसरी किश्त की राशि का भुगतान नहीं किया गया।

इस सम्बन्ध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, भरतपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत राशि का उनके बैंक खाते में भुगतान कर दिया गया।

इस प्रकार परिवादी को उनको देय राशि का भुगतान दिलवाकर अनुतोष प्रदान की गई।

एफ.12(152)लोआस/2018

परिवादी श्री उमाशंकर शर्मा निवासी महलुनी, दौसा द्वारा कुछ अधिकारियों की हठधर्मिता के कारण उसका परिवार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना हेतु पात्र है लेकिन इसके लाभ से वंचित रखा है। सम्बन्ध कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया।

इस सम्बन्ध में जिला कलक्टर, दौसा से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी का नाम खाद्य सुरक्षा योजना सूची में जोड़ दिया गया हैं।

इस प्रकार परिवादी की व्यथा का निराकरण कर पूर्ण अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.12(164)लोआस/2018

परिवादिया श्रीमती भावना गुर्जर पत्नी श्री प्रकाश चन्द गुर्जर, ग्राम बरवाड़ा, तहसील विराटनगर, जयपुर ने ग्राम पंचायत पालड़ी में कमेटी द्वारा प्रार्थिया का चयन आंगनबाड़ी सहायिका के लिए किया गया था, परन्तु सचिव श्री मुकेश कुमार रैगर द्वारा 50,000/–रूपये की मांग की गई। परिवादिया द्वारा रिश्वत नहीं देने पर किसी गैर कानूनी कार्यवाही करते हुए परिवादिया को नियुक्ति नहीं दी गई। इस सम्बन्ध में इस सचिवालय से प्रकरण में जांच कर कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया था।

इस सम्बन्ध में जिला परिषद्, जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार लोक सेवक श्री मुकेश कुमार गुर्जर के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एंव अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अधीन अनुशासनात्मक कार्यवाही कर एक वार्षिक वेतनवृद्धि रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया।

इस प्रकार परिवादिया को उसके परिवाद में अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.12(182)लोआस/2020

परिवादी श्री अलताफ हुसैन निवासी सरदारगढ़, राजसमन्द द्वारा ग्राम सरदारगढ के सार्वजनिक नाले पर जगदीश चन्द खटीक, मोहम्मद हुसैन व सरीफन बेगम आदि अतिक्रमण कर रहे हैं। अतिक्रमण हटाए जाने सम्बन्ध कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया।

इस सम्बन्ध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, राजसमन्द से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अतिक्रमण हटा दिया गया हैं।

इस प्रकार परिवादी की समस्या का निराकरण कर पूर्ण अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.12(190)लोआस/2019

परिवादी श्री महेन्द्र कुमार निवासी ग्राम जुबलीगंज, पोस्ट मनादन तहसील शिवगंज सिरोही ने ग्राम जुबलीगंज में जल भराव एवं गन्दगी से वहाँ के निवासीगण के आवा–गमन में बाधा एवं स्वास्थ्य पर दुषप्रभाव पड़ने के सम्बन्ध में इस सचिवालय में शिकायत पंजीकृत की।

इस सम्बन्ध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, सिरोही से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार पानी भराव की समस्या का कारण जानकर उसे दुरूस्त कर दिया गया। जिससे अब वहाँ पानी भराव नहीं होता है।

इस प्रकार परिवादी की समस्या का निराकरण अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.12(397)लोआस/2018

परिवादी श्री पाबूदान रेवाड़ी पुत्र श्री प्रभु रेवाड़ी निवासी ग्राम मोहनपुरा, तहसील इंद्रगढ़, बूंदी ने ग्राम मोहनपुरा में सार्वजनिक चौक में 8' बाई 10' का चबूतरा बना कर किए गए अतिक्रमण हटाने के सम्बन्ध में शिकायत पंजीकृत करवाई।

इस सम्बन्ध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, बूंदी से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा प्रश्नगत अवैध निर्माण हटा दिया गया।

इस प्रकार राजकीय भूमि पर किया गया अतिक्रमण हटवाकर परिवादी को पूर्ण अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.12(420)लो.आ.स./2018

परिवादी श्री रामनारायण चौधरी पुत्र श्री पुसाराम चौधरी, निवासी 124, लक्ष्मण नगर सी, बनाड़ रोड, जोधपुर का अभिकथन था कि पंचायत समिति पीपाड़ शहर, जोधपुर द्वारा मुख्यमंत्री आवास योजना में श्रीमती रामेश्वरी पत्नी हड़मानराम नायक को नियम विरूद्ध तरीके से एक लाख रूपए की तीसरी किश्त जारी कर वित्तीय अनियमितता की गई।

इस सम्बन्ध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, जोधपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार आरोप प्रमाणित पाए जाने पर तत्कालीन ग्राम सेवक व पदेन सचिव श्री रामनिवास प्रजापत के विरूद्ध सीसीए नियम 17 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई और एक लाख रूपए की वसूली के आदेश पारित किए गए।

इस प्रकार दोषी लोक सेवक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही एवं एक लाख रूपए की वसूली के आदेश करवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.12(421)लोआस/2018

परिवादी श्री भगवानलाल पुत्र श्री मानाजी कुमावत, निवासी रायपुर, तहसील रायपुर, जिला भीलवाड़ा द्वारा ग्राम पंचायत रायपुर के सचिव द्वारा पद के दुरूपयोग एवं भ्रष्टाचार किए जाने की शिकायत की गई।

इस सम्बन्ध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, भीलवाड़ा से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार आरोप प्रमाणित पाए जाने पर श्री सचिन कुमार चौबे, सचिव, के विरूद्ध सीसीए नियम 17 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई।

इस प्रकार दोषी लोक सेवक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.12(440)लोआस / 2018

परिवादी श्री चुन्नीलाल रैगर निवासी मोही, राजसमन्द द्वारा ग्राम पंचायत मोही में बार–बार अनुरोध किये जाने के पश्चात् भी सीसी रोड, ग्रेवल सड़क निर्माण नहीं करवाया गया एवं इस सम्बन्ध मे ग्राम विकास अधिकारी के विरूद्ध अकर्मण्यता का आरोप लगाते हुए कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गया।

इस सम्बन्ध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, राजसमन्द से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत निर्माण कार्य ग्राम पंचायत द्वारा कार्य प्रारंभ कर दिया गया हैं। परिवादी भी इस निर्माण कार्य से संतुष्ट हैं।

इस प्रकार परिवादी की समस्या का निराकरण कर पूर्ण अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.12(441)लोआस / 2017

परिवादी श्री रोशन अली पुत्र श्री इस्माईल खान, ग्राम नाबोसबेरा, पोस्ट नवातला, तहसील पचपदरा, बाड़मेर ने विकास अधिकारी पंचायत समिति पाटोदी के विरूद्ध आरोप लगाया कि प्रशासन एवं स्थापना समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के विरूद्ध शिलान्यास पट्टिका पर भिन्न नाम लिखवाए गए हैं।

इस सम्बन्ध में संयुक्त सचिव एवं उपायुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार विकास अधिकारी श्री हरफूल सिंह के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही कर एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दंडित किया गया एवं अवांछित लोगों के नाम पट्टिका से हटा दिए गए।

इस प्रकार परिवादी की समस्या का पूर्ण रूप से निराकरण किया गया।

एफ.12(466)लोआस/2018

परिवादी श्री सुभाष प्रजापति, मु.पो. बागोर, तहसील माण्डल, जिला भीलवाड़ा ने श्री ज्ञानमल खटीक, जो बॉलीबाल के राजकीय प्रशिक्षक/अधिकारी हैं, के विरूद्ध नियम विरूद्ध तरीके से अपने पुत्र के नाम रियायती दर पर भूखण्ड का पट्टा जारी करवाने की शिकायत की।

इस सम्बन्ध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, भीलवाड़ा से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार नियम विरूद्ध पट्टा जारी करने के लिए दोषी ग्राम सचिव के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही सीसीए नियम के अन्तर्गत दण्डित किया गया। नियम विरूद्ध जारी पट्टे के निरस्तीकरण की विधि अनुसार कार्यवाही की जा रही है।

इस प्रकार परिवादी की समस्या का निराकरण कर अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.12(481)लोआस/2018

परिवादी श्री विक्रम सिंह पुत्र श्री नत्थी सिंह बंजारा, निवासी नगला बंजारा, हन्तरा पंचायत समिति, नदबई, भरतपुर की समस्या थी कि शौचालय निर्माण की राशि का नियमानुसार भुगतान जारी करने के लिए उसके द्वारा रिश्वत नहीं देने पर पंचायत समिति द्वारा उसे मिलने वाली सामाजिक सुरक्षा पेंशन रोक दी गई।

इस सम्बन्ध में जिला कलक्टर, भरतपुर को कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने के परिणामस्वरूप परिवादी को उसके शौचालय निर्माण की किश्त एवं देय सामाजिक सुरक्षा पेंशन का भुगतान मिल गया।

इस प्रकार परिवादी की समस्या का पूर्ण रूप से निराकरण किया गया।

एफ.12(492)लोआस/2018

परिवादी श्री महेन्द्र सिंह भागौड़ा निवासी विजयपुरा, करौली द्वारा ग्राम पंचायत विजयपुरा में इंटरलॉक कार्य में ग्राम सचिव एवं सरपंच की मिलीभगत से घटिया

सामग्री का उपयोग हुआ। नाली निर्माण भी नहीं करवाया गया, इस सम्बन्ध में कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया।

इस सम्बन्ध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, करौली से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत निर्माण कार्य में ग्राम पंचायत द्वारा अपेक्षित सुधार कर लिया गया हैं।

इस प्रकार परिवादी की समस्या का निराकरण कर पूर्ण अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.12(526)लोआस / 2018

परिवादी श्रीमती लीलाबाई पत्नी श्री तेजमल कुम्हारसरी, निवासी फलबड़ौद, ग्राम पंचायत कुम्माखेड़ी, पंचायत समिति छीपाबड़ौद, बारां ने विकास अधिकारी के विरूद्ध मुख्यमंत्री बी.पी.एल. आवास योजना के अन्तर्गत द्वितीय किश्त का भुगतान नहीं करने की शिकायत की।

इस सम्बन्ध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, बारा से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादिया को देय द्वितीय किश्त का भुगतान कर दिया गया।

इस प्रकार परिवादी को वांछित भुगतान दिलवाकर पूर्ण अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.12(535)लोआस / 2018

परिवादी श्री रामनारायण चौधरी निवासी खांगटा, पीपाड़ शहर, जोधपुर द्वारा यह शिकायत की गई कि वाटरशैड योजना के तहत ग्राम पंचायत खांगटा में पानी का टांका निर्माण में खेत के खसरों के नम्बर नहीं लिखे गए जबकि नियमानुसार लिखने चाहिएं। इस सम्बन्ध में लोकपाल वाटरशैड, जोधपुर द्वारा अवार्ड पारित कर सचिव व अध्यक्ष जलग्रहण उप समिति खांगटा के विरूद्ध 1000/–रूपये की अलग–अलग शास्ति आरोपित की और राजस्व विभाग से खसरा संख्या प्राप्त कर टांके पर लिखने के

आदेश पारित किए गए, परन्तु सहायक अभियन्ता तथा परियोजना प्रबन्धक डब्ल्यूसीडीसी, जोधपुर द्वारा लोकपाल के आदेश की पालना नहीं की जा रही हैं।

इस सम्बन्ध में अधीक्षण अभियन्ता एवं पदेन परियोजना प्रबन्धक वाटरशैड सैल कम डाटा सेंटर जोधपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार निर्णय दिनांक 25.11.2014 की पालना में उप समिति (जलग्रहण) खांगटा, जोधपुर–37 के अध्यक्ष एवं सचिव के विरूद्ध 1–1 हजार रूपये की आरोपित शास्ति जमा करवाई जा चुकी हैं। रिकार्ड का संधारण सहायक अभियन्ता कार्यालय में किया जा चुका हैं।

इस प्रकार परिवादी की समस्या का निराकरण कर पूर्ण अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.12(558)लोआस / 2018

परिवादी श्री मक्कखन लाल मीणा पुत्र श्री जैंसी मीणा, निवासी हदायली, तहसील लालसोट, जिला दौसा द्वारा पंचायत समिति लालसोट के विकास अधिकारी द्वारा महात्मा गॉधी नरेगा योजनान्तर्गत केटल शेड निर्माण की स्वीकृति प्रदान नहीं करने के सम्बन्ध में इस सचिवालय में शिकायत पंजीकृत की।

इस सम्बन्ध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, दौसा से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी द्वारा आवश्यक कार्यवाही पूर्ण कर देने पश्चात् वांछित स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

इस प्रकार परिवादी को वांछित केटल शेड निर्माण की स्वीकृति दिलवाकर अनुतोष प्रदान की गई।

एफ.12(607)लोआस / 2017

परिवादी श्री पूरणमल प्रजापत, ग्राम व पोस्ट अलोद, जिला बूंदी ने ग्राम पंचायत अलोद द्वारा विधि विरूद्ध काटे गए पट्टों को निरस्त करने आदि के सम्बन्ध में इस सचिवालय से अनुरोध किया।

इस सम्बन्ध में अधिशाषी अधिकारी, जिला परिषद्, बून्दी से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण में विधि अनुसार कार्यवाही करते हुए दोषी कर्मियों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रस्तावित की गई।

इस प्रकार परिवादी की शिकायत पर कार्यवाही कर अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.12(623)लोआस / 2016

परिवादी श्री रेशम खान पुत्र श्री अरबाब खान, निवासी–ग्राम पोस्ट बुढिया, रामसर, बाड़मेर द्वारा ग्राम पंचायत बुढिया के सरपंच सलमान खान, ग्राम सेवक सादुल सिंह व जे.ई.एन आमिन खान के विरूद्ध शौचालय व टांके के निर्माण में लाखों का गबन का आरोप लगाते हुए प्रकरण में जांच कर कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया।

इस सम्बन्ध में जिला परिषद, बाड़मेर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार दोषी लोकसेवक श्री दिलीप सिंह, ग्राम विकास अधिकारी, एवं पृथ्वी सिंह, कनिष्ठ सहायक के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की जाकर एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया जा चुका है।

इस प्रकार परिवादी की समस्या का निराकरण कर अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.12(147)लोआस / 2019

परिवादी श्री हनुमंत सिंह शेखावत, निवासी वार्ड संख्या 18, ग्राम सिरोही, तहसील नीमकाथाना, सीकर द्वारा आम रास्ते पर अतिक्रमण कर कब्जा किए जाने के सम्बन्ध में यह परिवाद पंजीकृत करवाया।

इस सम्बन्ध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, सीकर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत अतिक्रमण हटवा दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी की समस्या का निराकरण कर अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.12(430)लोआस / 2018

परिवादी श्री जीतेन्द्र सिंह शेखावत पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह, निवासी ग्राम सुल्ताना, तहसील चिड़ावा, जिला झुंझुनू का अभिकथन था कि ग्राम पंचायत सुलताना में पंचायत के खर्चे पर वार्ड पंच श्री राजू लाम्बा के घर ट्यूब वैल लगवाया गया है। जिससे राजकीय राशि का दुरूपयोग हुआ है। इस सम्बन्ध में कार्यवाही करने का इस सचिवालय से अनुरोध किया गया।

इस सम्बन्ध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, झुंझुनू से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत ट्यूबवैल लगाने वाली कम्पनी मै. जगदम्बा कंस्ट्रक्शन को ग्राम पंचायत द्वारा किया गया भुगतान फर्म द्वारा ग्राम पंचायत कार्यालय में दिनांक 19.10.2018 को 2,82,956 रूपए एवं ब्याज राशि रूपए 15123 दिनांक 26.02.2019 को जमा करवा दिए गए हैं। अब कोई राशि शेष नहीं है।

इस प्रकार परिवादी की समस्या का निराकरण कर अनुतोष प्रदान किया गया। साथ ही राजकोष को हुए नुकसान की पूर्ति भी की जा चुकी है।

एफ.12(303)लोआस / 2018

परिवादी श्री भवानी राम धाकड़ पुत्र श्री नन्दलाल धाकड़, निवासी ग्राम पोस्ट मोइक ग्राम, तहसील रामगंजमंडी, कोटा ने ग्राम पंचायत मोड़क पंचायत समिति खैराबाद जिला कोटा में नाले निर्माण में घटिया सामग्री के उपयोग करने से 40–50 फीट नाला बारिश में बह जाने एवं आगे भी बह जाने की आशंका के सम्बन्ध में शिकायत पंजीकृत करवाई।

इस सम्बन्ध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, कोटा से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार नाले के क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत करवादी गई। गुणवत्ता पर संतोष व्यक्त करते हुए डिजाईन सेक्शन अपर्याप्त लिया जाना बताया गया। इसके लिए दोषी कनिष्ठ तकनीकी सहायक नवीन शर्मा को एक हजार रूपए की शास्ति से दण्डित

किया गया एवं भविष्य में इस प्रकार की गलती दोहराने पर पद मुक्त करने की चेतावनी जारी की गई।

इस प्रकार परिवादी की समस्या का पूर्ण रूप से निराकरण किया गया।

एफ.12(82)लोआस / 2016

परिवादी मुरारी पुत्र श्री भूपसिंह, निवासी ग्राम सतवास, तहसील कामां, जिला भरतपुर का अभिकथन था कि ग्राम पंचायत सतवास के पूर्व सरपंच श्री गंगाश्याम से 6,81,184 रूपए की वसूली की जानी थी, जो नहीं की जाकर राज कोष को वित्तीय हानि पहुंचाई जा रही है।

इस सम्बन्ध में संभागीय आयुक्त, भरतपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार श्री गंगाश्याम दोषी पाए जाने पर 5 वर्ष तक कालावधि के लिए अस्थाई रूप से अयोग्य घोषित कर दिया गया है तथा सचिव इन्दर सिंह एवं पूर्व सचिव के वेतन से 25000 रूपए वसूल कर राजकोष में जमा करवाए तथा पर्यवेक्षणीय लापरवाही का दोषी मानते हुए विकास अधिकारी, पंचायत समिति कामां को असंचयी प्रभाव से एक वेतन वृद्धि रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया।

इस प्रकार परिवादी को वांछित दोषी कर्मियों के विरूद्ध कार्यवाही कर यथायोग्य दण्डित कर अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.12(484)लोआस / 2016

परिवादी श्री हणुता राम पुत्र श्री गणेश राम निवासी वपु–बराल–वाया शिश्वु, तहसील एवं जिला सीकर का अभिकथन था कि ग्राम जुराठड़ा में मिलीभगत कर गोचर भूमि, कृषि भूमि एवं गांव की आबादी भूमि पर नियम विरूद्ध तरीके से पट्टे जारी कर दिए गए।

इस सम्बन्ध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर पालिका सीकर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार नियम विरूद्ध पट्टे जारी करने के लिए उत्तरदायी ग्राम सेवक श्री बनवारी

लाल सैनी के विरूद्ध सीसीए नियम 17 के अन्तर्गत कार्यवाही कर दण्डित किया गया। साथ ही जारी किए गए गलत पट्टे भी निरस्त कर दिए गए हैं।

इस प्रकार दोषी लोक सेवक को दण्डित कर एवं जारी गलत पट्टे निरस्त करवाकर परिवादी को पूर्ण अनुतोष प्रदान की गई।

एफ.16(18)लोआस/2014

परिवादी श्री रविन्द्र केसवानी, 11बी, खवास जी का बाग, दुर्गापुरा जयपुर ने बरकत नगर टोंक फाटक में होटल बी.एल. के पास हरि नारायण अजमेर द्वारा सरकारी भूमि पर सीढ़िया बनाकर अतिक्रमण कर लिए जाने के सम्बन्ध में इस सचिवालय से शिकायत की।

इस सम्बन्ध में उप निदेशक क्षेत्रीय, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। दोषियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई गई।

इस प्रकार परिवादी की शिकायत पर कार्यवाही कर अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.16(77)लोआस/2014

परिवादी श्री इन्द्रचन्द्र मीणा पुत्र स्व. श्री भंवर लाल मीणा, निवासी मकान नं. 4088, दर्जियों का रास्ता, सूरजपोल, गलता रोड़ जयपुर द्वारा भवन संख्या 861, लालजी सांड का रास्ता, किशनपोल बाजार जयपुर में आवासीय भवन को तोड़कर बिना अनुमति के 5 मंजिला व्यवसायिक निर्माण किए जाने के सम्बन्ध में परिवाद दायर किया गया।

इस सम्बन्ध में उपायुक्त, हवामहल जोन पश्चिम, नगर निगम जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार निगम द्वारा भवन को सीज कर नियमानुसार कार्यवाही की गई एवं निर्माणकर्ता द्वारा स्वयं नियम विरूद्ध निर्मित तल की छत को पंचर कर दिया गया।

इस प्रकार नियम विरूद्ध निर्माण के सम्बन्धमें कार्यवाही कर परिवादी को आंशिक अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.16(153)लोआस/2014

परिवादी श्री अशोक कुमार सिन्धी पुत्र श्री किशनचन्द सिन्धी, डांग वालों का मोहल्ला, सवाईमाधोपुर ने नगर परिषद्, सवाईमाधोपुर द्वारा पट्टा जारी नहीं करने के सम्बन्ध में इस सचिवालय में परिवाद दायर किया।

इस सम्बन्ध में आयुक्त, नगर परिषद्, सवाईमाधोपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को नियमानुसार नजराना राशि जमा करवाकर पट्टा प्राप्त करने हेतु आदेश जारी कर दिए गए। साथ ही पट्टा जारी करने में विलम्ब करने वाले कर्मी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई गई।

इस प्रकार नगर परिषद् से पट्टा जारी करने के आदेश पारित करवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान की गई।

एफ.16(211)लोआस/2018

परिवादी गोपाल चौहान पुत्र श्री मोहनलाल चौहान, 555, ज्योति नगर, चांदणा भाखर, जोधपुर की शिकायत थी कि उनके पड़ौसी ने भवन निर्माण के दौरान सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर लिया है।

इस सम्बन्ध में आयुक्त, नगर निगम, जोधपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत अवैध निर्माण/कब्जा सीज कर मौका स्थल पर नगर निगम का बोर्ड लगाकर अतिक्रमण हटा दिया गया।

इस प्रकार परिवादी की समस्या का पूर्ण रूप से निराकरण किया गया।

एफ.16(263)लोआस / 2017

परिवादी श्री हरीश राठौड़, निवासी–भवानीमण्डी, झालावाड़ द्वारा नगरपालिका, भवानीमण्डी के अधिशाषी अधिकारी एवं नगरपालिका प्रशासन के विरूद्ध अवैध दुकानों के आवंटन एवं अतिक्रमण करवाने आरोप लगाते हुए इस सम्बन्ध में इस सचिवालय से कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया था।

इस सम्बन्ध में उप निदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग, कोटा से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अतिक्रमण स्थान पर नगरपालिका द्वारा अतिक्रमण हटाकर सम्पत्ति का बोर्ड लगा दिया है।

इस प्रकार परिवादी की समस्या का निराकरण कर पूर्ण अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.16(347)लोआस / 2018

परिवादी श्री बजरंग लाल, अशोक स्तम्भ के पास, वार्ड संख्या 22, रतनगढ़, चूरू उसके मकान के मुख्य द्वारा के बिलकुल सामने नगर पालिका रतनगढ़ द्वारा लगाए गए विज्ञापन बोर्ड को हटवाने के सम्बन्ध में इस सचिवालय से अनुरोध किया गया।

इस सम्बन्ध में उप निदेशक क्षेत्रीय, स्थानीय निकाय विभाग, बीकानेर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत विज्ञापन बोर्ड हटा दिया गया।

इस प्रकार परिवादी की समस्या का पूर्णतया निराकरण अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.16(349)लोआस/2016

परिवादी श्री राधेश्याम माहुर, 4, मराठा कॉलोनी, छावनी, टोंक द्वारा मराठा कॉलोनी में आम रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण कर तीन मंजिला भवन निर्माण किए जाने की इस सचिवालय को शिकायत की गई।

इस सम्बन्ध में सहायक निदेशक सतर्कता, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार तत्कालीन आयुक्त, सभापति, कनिष्ठ अभियन्ता, कनिष्ठ लिपिक एवं कनिष्ठ लेखाकार नगर परिषद् टोंक, के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई गई।

इस प्रकार दोषी कर्मियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही कर परिवादी को अनुतोष प्रदान की गई।

एफ.16(360)लोआस/2018

परिवादी श्री उमाशंकर पुत्र श्री रामविलास योगी, गर्ल्स स्कुल के सामने, आलनपुर, सवाईमाधोपुर द्वारा यह शिकायत की गई कि स.मा. स्थित श्रीधर अग्रवाल का बजरिया स्थित प्लॉट नं. 20–21, बैंक ऑफ बड़ौदा, बजरिया, सवाईमाधोपुर के पिछे स्थित मकान को नगर परिषद् सवाईमाधोपुर द्वारा मनमानी एवं अनियमितता पूर्वक कैलाश चंद गोयल पुत्र श्योजीराम के नाम वाणिज्य पट्टाजारी कर दिया। उक्त भूमि पर 2 मंजिला निर्माण के बावजूद खाली वाणिज्य भूखण्ड मानकर पट्टाजारी कर भ्रष्टाचार किया गया। इसके सम्बन्ध में इस सचिवालय से प्रकरण में जांच कर कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया।

इस सम्बन्ध में उप निदेशक क्षेत्रीय, स्थानीय निकाय विभाग, भरतपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्लॉट/दुकान संख्या 20 व 21 नीलामी के द्वारा नक्षत्र सिंह को विक्रय किए गए जिसकी राशि उसके द्वारा नगरपरिषद् में जमा करवाये जाने के पश्चात् कालान्तर में नक्षत्र द्वारा उक्त दुकाने कुलदीप को, कुलदीप द्वारा श्रीधर को और श्रीधर द्वारा कैलाश को जरिये विक्रय –पत्र/इकरारनामा विक्रय किये गये।

नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग के पत्र अनुसार अंतिम क्रेता को पट्टे जारी किए गए हैं।

इस सम्बन्ध में परिवादी से आपत्ति मांगी गई उसके द्वारा रिपोर्ट के सम्बन्ध में आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। इस प्रकार परिवादी को उसके परिवाद में अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.16(369)लोआस/2018

परिवादी श्री महेश कुमार परेवा, निवासी 286, श्यामपुरी, राजगंज, जयपुर द्वारा परिवादी की कम्पनी मेसर्स परेवा कन्स्ट्रक्शन द्वारा वर्ष 2012 में हवामहल जोन (पूर्व) जयपुर में नगर के मेनहोल व सीवर लाईन मरम्मत का कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण करने के पश्चात् भी भुगतान नहीं किये जाने के सम्बन्ध में इस सचिवालय से कार्यवाही का अनुरोध किया।

इस सम्बन्ध में आयुक्त, नगर निगम, जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रस्तुत बिल राशि का पूर्ण भुगतान कर दिया गया।

इस प्रकार परिवादी को देय भुगतान दिलवाकर पूर्ण अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.16(421)लोआस/2013

परिवादी श्री मनोज कुमार शर्मा पुत्र श्री विशन स्वरूप शर्मा, ए–909 ए–बी सेक्टर, आजासद नगर, भीलवाड़ा ने पुराने आर.टी.ओ. कार्यालय के सामने आवासीय परिसर में नियम विरूद्ध तरीके से वाणिज्यिक परिसर का निर्माण किए जाने के सम्बन्धमें शिकायत की थी।

इस सम्बन्ध में जिला कलक्टर, भीलवाड़ा एवं नगर परिषद् भीलवाडा से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार सम्बन्धित कर्मियों को भविष्य में सतर्कता से कार्य करने हेतु चेतावनी दी गई और प्रश्नगत निर्माण के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही की गई है, जिससे परिवादी भी संतुष्ट है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.16(451)लोआस/2018

परिवादी श्री लक्ष्मी नारायण मीणा पुत्र श्री सरदारा राम मीणा, वार्ड नं. 5, 77 नं. रेलवे फाटक वाला रास्ता, नीमकाथाना, सीकर की शिकायत थी आम रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण की शिकायत अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, नीमकाथाना को किए जाने उपरान्त भी अतिक्रमण नहीं हटाया गया।

सहायक निदेशक (सतर्कता), स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर से इस सम्बन्ध में प्राप्त रिपोर्ट में यह बताया गया है कि प्रश्नगत आम रास्ता अतिक्रमण से मुक्त कर दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी की समस्या का पूर्ण रूप से निराकरण किया गया।

एफ.16(464)लोआस/2018

परिवादी श्री ख्वाजा मोहम्मद पुत्र श्री हमीद खां, निवासी प्लॉट नं. 163 बी, रानी कॉलोनी, निवारू रोड, झोटवाड़ा ने सांभरलेक में श्री मकबूल खान भाटी द्वारा उम्मेद खां कायमखानी के मकान मे पश्चिम दिशा में रोड छोड़कर सरकारी भूमि पर 26*26 फीट की बाउन्ड्रीवाल बनाकर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर पुख्ता निर्माण कर लिया। जिसकी शिकायत नगरपालिका सांभरलेक के अधिशाषी अधिकारी को करने पर कोई कार्यवाही नहीं किये जाने की शिकायत की गई।

इस सम्बन्ध में उप निदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवाद में वर्णित अतिक्रमण को नगरपालिका, सांभरलेक द्वारा हटा दिया गया हैं।

इस प्रकार परिवादी की समस्या का निराकरण कर पूर्ण अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.16(477)लोआस / 2016

परिवादी श्री प्रकाश चन्द शर्मा पुत्र श्री बालकिशन शर्मा, शास्त्री नगर कॉलोनी, विजयनगर, अजमेर द्वारा नगर पालिका, विजय नगर अजमेर के अधिकारीगण के विरूद्ध पद का दुरूपयोग करने एवं भ्रष्टाचार करने के सम्बन्ध में उन्हें दण्डित करने का इस सचिवालय से अनुरोध किया गया।

इस सम्बन्ध में निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्थानीय निकाय विभाग, राज. जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार नगर पालिका विजयनगर, के तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी, अध्यक्ष आदि के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई।

इस प्रकार दोषी अधिकारी/कर्मचारीगण के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.16(478)लोआस / 2018

परिवादी श्रीमती छोटी पत्नी श्री कैलाश, निवासी शंकरपुरा चौराहा, जिन्सी, टोंक द्वारा बिना नगर परिषद की अनुमति के ठेले आदि लगाकर किए गए अतिक्रमण को हटवाने का इस सचिवालय से अनुरोध किया गया।

इस सम्बन्ध में उप निदेशक क्षेत्रीय, स्थानीय निकाय विभाग, अजमेर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत अतिक्रमण हटा दिया गया।

इस प्रकार प्रश्नगत अतिक्रमण हटवाया जाकर आवागमन का रास्ता सुगम कर परिवादिया को अनुतोष प्रदान किया।

एफ.16(480)लोआस / 2018

परिवादी श्री पूनमचन्द जैन पुत्र श्री धर्मचन्द जैन, बटक भैरू पाडा, बून्दी द्वारा एच.सी. संख्या 772, पुलिस थाना कोतवाली के विरूद्ध सीट बेल्ट नहीं लगाने का गलत

चालान बनाकर राशि वसूल करने का आरोप लगाते हुए उनके विरूद्ध कार्यवाही करने का इस सचिवालय से अनुरोध किया गया।

इस सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, बून्दी से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार मुख्य आरक्षी को प्रशमन राशि वसूल करना नियम विरूद्ध पाए जाने पर उनके विरूद्ध सीसीए नियम 17 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई।

इस प्रकार दोषी कर्मी के विरूद्ध सीसीए नियम 17 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही कर अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.16(500)लोआस/2018

परिवादी श्री नाथूलाल कुम्हार पुत्र श्री प्रभूलाल कुम्हार, निवासी कंकाली माता रोड़, टोंक द्वारा सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण कर आवागमन मार्ग को सकड़ा करने के सम्बन्ध में शिकायत की गई।

इस सम्बन्ध में उप निदेशक क्षेत्रीय, स्थानीय निकाय विभाग, अजमेर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत मार्ग अतिक्रमण मुक्त कर दिया गया।

इस प्रकार सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमण हटवाकर परिवादी को पूर्ण अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.16(526)लोआस/2018

परिवादी श्री दिनेश कुमार शर्मा पुत्र नारायणलाल शर्मा, निवासी लाठी, टोडारायसिंह द्वारा यह शिकायत की गई कि उसके द्वारा खरीदशुदा प्लॉट मि.नं. 51/2023 के अनुसार रसीद क्रमांक 51 द्वारा पट्टा स्थानान्तरण हेतु 2666/–रूपये नगरपालिका में दिनांक 19.5.2014 को जमा करवा दिये जाने पश्चात् आदिनांक पट्टा स्थानान्तरण की कार्यवाही नगरपालिका द्वारा नहीं की गई।

इस सम्बन्ध में उप निदेशक क्षेत्रीय, स्थानीय निकाय विभाग, अजमेर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी की मांग के अनुसार नगरपालिका द्वारा परिवादी को नामान्तरण प्रमाण–पत्र जारी कर दिया गया हैं।

इस प्रकार परिवादी की समस्या का निराकरण कर पूर्ण अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.16(144)लोआस / 2014

परिवादी श्री अनिल सिंह शेखावत, बी–53, यशपथ, तिलक नगर, जयपुर ने खसरा संख्या 47, ग्राम सोड़ाला की लगभग 1000 वर्गगज भूमि, जो सिविल लाईन में लुहारू हाऊस गौरव नगर से लगती हुई सरकारी भूमि है और इसका बाजार मूल्य 25 करोड़ रूपए है, का पट्टा उपायुक्त जोन–1, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा जारी किया गया है, को निरस्त करवाया जाए।

इस सम्बन्ध में जयपुर विकास प्राधिकरण से प्राप्त रिपोर्ट संख्या 3126 दिनांक 03.10.2019 के अनुसार प्रश्नगत पट्टा निरस्त कर दिया गया।

इस प्रकार प्रश्नगत पट्टा निरस्त करवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया। साथ ही 25 करोड़ रूपए की राजकीय भूमि को भी बचाया गया।

एफ.16(169)लोआस / 2018

परिवादी श्री महेश कुमार परेवा, निवासी 266, श्यामपुरी, राजगंज, जयपुर द्वारा परिवादी की कम्पनी मेसर्स परेवा कन्स्ट्रक्शन द्वारा वर्ष 2012 मे हवामहल जोन (पूर्व) जयपुर में नगर के मेनहोल व सीवर लाईन मरम्मत का कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण करने के पश्चात् भी भुगतान नहीं किये जाने के सम्बन्ध में इस सचिवालय से कार्यवाही का अनुरोध किया।

इस सम्बन्ध में आयुक्त, नगर निगम, जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रस्तुत बिल राशि का पूर्ण भुगतान कर दिया गया।

इस प्रकार परिवादी को देय भुगतान दिलवाकर पूर्ण अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.17(6)लोआस / 2017

परिवादी श्री गिर्राज प्रसाद सैनी, 183–186, पवन पुत्र 'एच' कॉलोनी, मीनावाला, सिरसी रोड़, जयपुर ने अलवर नम्बर 1 एन.ई.बी. विस्तार योजना के अन्तर्गत उनकी तथा 6 अन्य लोगों की अवाप्त की गई भूमि, जिसका वर्ष 1996 में अवॉर्ड जारी किए जाने उपरान्त भी आवासन मण्डल द्वारा परिवादी को विकसित भूखण्ड विलम्ब से उपलब्ध करवाया गया और आरक्षित दर से डेढ़ गुणा अधिक राशि वसूल की गई। अधिक वसूली गई राशि लौटाए जाने के सम्बन्ध में परिवादी ने इस सचिवालय से प्रार्थना की।

इस सम्बन्ध में आवासन मण्डल से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी एवं अन्य प्रभावी सभी लोगों को आरक्षित दर से अधिक वसूली गई राशि लौटा दी गई।

इस प्रकार परिवादी की समस्या का पूर्ण रूप निराकरण कर अनुतोष प्रदान की गई।

एफ.17(11)लोआस / 2018

परिवादी श्रीमती उर्मिला देवी शर्मा पत्नी श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा, 150–ए, अशोक विहार, जगतपुरा, जयपुर ने जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर, जोन–9 कार्यालय में भू–खण्ड के समस्त दस्तावेज एवं 60,000/– रूपए जमा करवाए जाने बाद भी पट्टाजारी नहीं करने के सम्बन्ध में इस सचिवालय में परिवाद दायर किया।

इस सम्बन्ध में सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर की रिपोर्ट के अनुसार परिवादिया को दिनांक 28.02.2019 को पट्टा जारी कर दिया गया।

इस प्रकार परिवादिया को जमीन का पट्टा दिलवाकर उसकी समस्या का निराकरण किया गया।

एफ.17(33)लोआस/2018

परिवादी के.पी.बजाज पुत्र श्री बजरंगलाल, निवासी 152, किशन नगर, श्याम नगर, जयपुर ने खसरा संख्या 308 की सरकारी भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटवाने के सम्बन्ध में इस सचिवालय से अनुरोध किया गया।

इस सम्बन्ध में सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत अतिक्रमण ध्वस्त कर दिया गया।

इस प्रकार प्रश्नगत अतिक्रमण हटवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान की गई।

एफ.17(37)लोआस/2017

परिवादी श्रीमती सुमन लता बांगड़, 2/326, विद्याधर नगर, उत्सव मैरिज गार्डन के सामने, जयपुर ने विधान सभा समूह आवास विस्तार योजना हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा उसकी अवाप्त की गई भूमि के बदले भू–खण्ड उपलब्ध नहीं करवाने के सम्बन्ध में इस सचिवालय में शिकायत की गई।

इस सम्बन्ध में सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादिया को वास्तविक आवंटित भूमि का पट्टा जारी कर दिया गया।

इस प्रकार परिवादिया को भूखण्ड उपलब्ध करवाकर पूर्ण अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.17(38)लोआस/2019

परिवादी श्री शंकर लाल शर्मा पुत्र श्री लल्लूराम, निवासी खौराश्याम दास, तहसील आमेर, जिला जयपुर द्वारा बलाई समाज की शमशान भूमि पर अतिक्रमण किए जाने के सम्बन्धमें परिवाद दायर किया गया।

इस सम्बन्ध में सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत अतिक्रमण हटा दिया गया।

इस प्रकार शमशान भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाकर परिवादी को पूर्ण अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.17(40)लोआस / 2019

परिवादी श्री रविन्द्र सिंह, निवासी म.नं. 56 गुरनानक नगर, गजसिंहपुरा, श्रीगंगानगर द्वारा यह शिकायत की गई कि नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर द्वारा वर्ष 1997 में सद्भावना नगर योजना में भूखण्ड सं 8ई5 13.85 वर्ग मी. 580 /—रू प्रति वर्ग की दर से आवंटित किया गया था। वहां गन्दा व सीवरेज का पानी भरा होने के कारण कब्जा नहीं दिया गया था व सन् 2018 में पानी सूखने के बाद कब्जे के लिये आवेदन किया गया तो लीज राशि जमा करवाने हेतु कहा गया जो कि दिनांक 01.11.2018 को जमा करवा दी गई, फिर भी न्यास के कर्मचारियों / अधिकारियों द्वारा कब्जा व पट्टा नहीं दिया गया।

इस सम्बन्ध में नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार पट्टा जारी कराने के क्रम में शास्ति राशि न्यास में जमा करवाकर पट्टा प्राप्त कर सकता है।

इस प्रकार परिवादी की समस्या का निराकरण कर पूर्ण अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.17(62)लोआस / 2017

परिवादी श्री दर्शन कुमार शर्मा पुत्र श्री मदनलाल शर्मा, निवासी 11 / 881 चौपासनी हाऊसिंग बोर्ड, जोधपुर ने भू– राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत नोटिस जारी किए जाने बाद भी तहसीलदार पीपाड़ शहर द्वारा अतिक्रमियों से मिलीभगत कर अतिक्रमण नहीं हटाने के सम्बन्ध में शिकायत की।

इस सम्बन्ध में आयुक्त, नगर निगम जोधपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार पालिका अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए भवन को सील किया गया और आवश्यक स्थान पर अवैध निर्माण को तोडा गया।

इस प्रकार परिवादी अतिक्रमण हटवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान की गई।

एफ.17(102)लोआस / 2018

परिवादी श्री राजेश रावत पुत्र श्री प्रभु दयाल रावत, निवासी वार्ड संख्या 13, रावतों का मोहल्ला, कस्बा चौमू, जयपुर ने खसरा संख्या 6791 व 6792 की राजकीय भूमि पर अतिक्रमण कर लिए जाने के सम्बन्ध में इस सचिवालय में शिकायत की।

इस सम्बन्ध में सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत अतिक्रमण हटा दिया गया।

इस प्रकार प्रश्नगत अतिक्रमण हटवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान की गई।

एफ.17(131)लोआस / 2018

परिवादी भरत सिंह निवासी जीवन मंदिर कॉलोनी, लोहागल, अजमेर ने खसरा संख्या 1328 व 1329 की भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटवाने के सम्बन्ध में इस सचिवालय से अनुरोध किया गया।

इस सम्बन्ध में सचिव, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर, से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत अतिक्रमण ध्वस्त कर दिया गया।

इस प्रकार प्रश्नगत अतिक्रमण हटवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान की गई।

एफ.17(157)लोआस / 2018

परिवादी श्री महेश गहलोत, निवासी गहलोतों का बास, जोधपुर द्वारा जोधपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों व कर्मचारियों पर चैयरमैन, जोविप्रा के निवास स्थान के आस–पास सड़क निर्माण के रख–रखाव दायित्व पुरानी टैण्डर फर्म का होने सड़क निर्माण नगर निगम के अधीन आने के बावजूद टैण्डर निकालकर व साथ ही कई चौराहों व गणेश मंदिर के सौन्दर्यीकरण के कार्यों में करोड़ों रुपये के भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाते हुए कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया।

इस सम्बन्ध में जोधपुर विकास प्राधिकरण से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार सड़क को गौरव पथ बनाने के दिये गये तकमीन अनुसार पीडब्ल्यूडी द्वारा कार्य को पूर्ण करवा दिया गया हैं तथा सड़क को थीम वारियर के रूप में विकसित करने के दिये गये निर्देश अनुसार तकमीना बनाकर प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर निविदा स्वीकृति के उपरान्त कार्यादेश की पालना में गुणवत्ता के साथ रिपोर्ट प्रस्तुति कार्य किया जाना बताया गया हैं। रूपये का भुगतान कार्यों की गुणवत्ता जांच सिविलि विभाग एमबीएम इंजिनियरिंग कॉलेज, जोधपुर से प्रत्येक बिल के पारित करने से पूर्व कराकर भुगतान किया गया हैं।

इस प्रकार परिवादी की समस्या का निराकरण कर पूर्ण अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.17(159)लोआस / 2018

परिवादी असलम खान, निवासी प्लॉट संख्या 349–ए, उद्योग नगर, झोटवाड़ा, जयपुर ने नगर निगम जयपुर व जयपुर विकास प्राधिकरण की मिलीभगत से जीरो सैट बैक पर अवैध निर्माण किए जाने के सम्बन्ध में इस सचिवालय में शिकायतपंजीकृत करवाई।

इस सम्बन्ध में सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर की रिपोर्ट के अनुसार निर्माणकर्ता द्वारा स्वयं अवैध निर्माण हटा दिया गया।

इस प्रकार अवैध निर्माण को हटवाकर परिवादी की समस्या का निदान किया गया।

एफ.17(167)लोआस / 2018

परिवादी कनहैयालाल नागदा पुत्र श्री शंकर लाल निवासी बुजदा, देवारी गिरवा, उदयपुर ने नगर विकास न्यास की आराजी संख्या 1579 की भूमि पर अवैध कब्जा करने की इस सचिवालय में शिकायत की।

इस सम्बन्ध में कार्यालय नगर विकास न्यास, उदयपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत अतिक्रमण हटा दिया गया।

इस प्रकार प्रश्नगत अतिक्रमण हटवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान की गई।

एफ.17(194)लोआस / 2018

परिवादी श्री सुनील सिंघल, निवासी सी 311, सिद्धार्थ नगर, जयपुर द्वारा यह शिकायत की गई कि उनकी माता श्रीमती शांति सिंघल का कयशुदा प्लॉट ई–52, शास्त्रीनगर, जोधपुर के विक्रय किए जाने अनुमति जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जारी नहीं की जा रही हैं। इस सम्बन्ध में इस सचिवालय से कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया था।

इस सम्बन्ध में आयुक्त, नगर निगम जोधपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार उनके पत्र दिनांक 10.07.2019 से परिवादी को बेचान अनुमति जारी की जा चुकी हैं।

इस प्रकार परिवादी की समस्या का निराकरण कर पूर्ण अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.17(226)लोआस / 2017

परिवादी श्री नोरतमल बम्ब, निवासी किशनावतों की खेड़ी, भीलवाड़ा द्वारा उसकी संयुक्त खातेदारी की भूमि को नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा द्वारा पटेल नगर विस्तार योजना हेतु आवाप्त की गई हैं परन्तु मुआवजा / विकसित भूखण्ड नहीं दिया गया। इस सम्बन्ध में इस सचिवालय से कार्यवाही का निवेदन किया गया।

इस सम्बन्ध में नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादीगण के पक्ष में भू–खण्ड परिवर्तन कर भू–खण्डों का पंजीयन कराया जा चुका है।

इस प्रकार परिवादी को भू–खण्ड उपलब्ध करवाकर पूर्ण अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.17(712)लोआस/2017

परिवादी श्रीमती गायत्री देवी निवासी 25, चैतन्य विहार, गोपालपुरा बाई पास, जयपुर ने भूखण्ड संख्या 24 पर जयपुर विकास प्राधिकरण की मिलीभगत से नियम विरूद्ध निर्माण कर व्यवसायिक गतिविधियॉ संचालित करने के सम्बन्ध में शिकायत की।

इस सम्बन्ध में सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार नियम विरूद्ध संचालित व्यवसायिक गतिविधियॉ बन्द करवा दी गई।

इस प्रकार परिवादी की समस्या का निराकरण कर अनुतोष प्रदान की गई।

एफ.17(27)लोआस/2019

परिवादी श्री अनिल कुमार अग्रवाल, निवासी 3, आई.ओ.सी. पम्प, सहकार मार्ग, जयपुर का अभिकथन था कि जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा नागरिक सेवा केन्द्र में प्लॉट संख्या ए–28 गोकुल वाटिका गृह निर्माण समिति के भवन मानचित्र अनुमोदित नहीं किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को डिमाण्ड नोटिस जारी कर दिया गया है। परिवादी द्वारा डिमाण्ड राशि जमा करवा देने पर भवन मानचित्र अनुमोदित कर दिया जाएगा।

इस प्रकार परिवादी की समस्या का निराकरण कर अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.17(32)लोआस/2018

परिवादी श्री तरूण कुमार टुटेजा पुत्र श्री अमरचंद निवासी हिन्दूपाड़ा, अलवर ने जरिए मुख्तयारआम खसरा संख्या 353 व 354 में स्थित क्रय किया गया भूखण्ड पर

भूखण्ड मालिकों ने नगर विकास न्यास, अलवर से सांठ–गांठ कर सम्पत्ति खुर्द–बुर्द करने के आरोप लगाए।

इस सम्बन्ध में सचिव, नगर विकास न्यास, अलवर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी के भूखण्ड को छोड़ते हुए ले–आउट पास किया गया है।

इस प्रकार परिवादी की समस्या का निराकरण कर अनुतोष प्रदान की गई।

एफ.17(121)लोआस / 2018

परिवादी श्री श्यामलाल प्रजापत पुत्र श्री बाबूलाल प्रजापत, निवासी डी–105, झालाना डूंगरी, जयपुर का अभिकथन था कि जयपुर विकास प्राधिकरण के स्वामित्व की गोचर भूमि पर निर्माण कर अतिक्रमण किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार खसरा संख्या 504/2 रकबा 78 बीघा 7 बिस्वा में न्यायालय अपीलीय अधिकरण ज.वि.प्रा. का स्थगन आदेश छोड़कर शेष भूमि अतिक्रमण मुक्त करवादी गई।

इस प्रकार परिवादी की समस्या का निराकरण कर अनुतोष प्रदान की गई।

एफ.17(227)लोआस / 2017

परिवादी श्रीमती प्रतिभ हिंगड़ पत्नी श्री ओम प्रकाश हिंगड़, निवासी 4, श्रीराम कॉलेनी, सिविल लाईन्स, भीलवाड़ा का अभिकथन था कि नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा द्वारा उसकी अवाप्त भूमि का नगरीय विकास विभाग, राजस्थान द्वारा स्वीकृति के बावजूद मुआवजा भुगतान नहीं किया जा रहा।

इस सम्बन्ध में सचिव, नगर विकास न्यास, अलवर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी के 33 भूखण्डों में से देवताओं के चबूतरे से प्रभावित 2 भूखण्डों के अवार्ड पंजीयन को रोकते हुए शेष 31 भूखण्डों का अवार्ड पंजीयन खातेदार के पक्ष में किया जा चुका है।

इस प्रकार परिवादी की समस्या का निराकरण कर अनुतोष प्रदान की गई।

एफ.23(56)लोआस / 2016

परिवादी श्री हरिश्चन्द खत्री पुत्र श्री धर्मचंद, निवासी मकान नं. 75, नवाबपुरा, अलवर का कथन था कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के साढ़े तीन वर्ष पश्चात् भी उन्हें संशोधित पेंशन प्राप्त नहीं हुई।

इस सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग राजस्थान, जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को देय संशोधित पेंशन खण्ड अलवर द्वारा स्वीकृत कर भुगतान हेतु पेंशन विभाग को भिजवा दिया गया। विभाग की उक्त रिपोर्ट पर परिवादी ने कोई आपत्ति भी प्रस्तुत नहीं की।

इस प्रकार परिवाद को संशोधित पेंशन का भुगतान दिलवाकर पूर्ण अनुतोष प्रदान की गई।

एफ.24(4)लोआस / 2018

परिवादी श्री मोहन लाल बंसल निवासी 4 एच ए ब्लॉक श्रीगंगानगर का अभिकथन है कि उनके सहायक अभियन्ता के पद से सेवानिवृत्ति पश्चात् मिलने वाले परिलाभ यथा– उपार्जित अवकाश का नकद भुगतान तथा सातवें वेतन आयोग का लाभ एवं अन्य बकाया भुगतान नहीं किया गया है।

इस सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता पश्चिम, सी.ए.डी. बीकानेर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को सातवें वेतन आयोग का एरियर, उपार्जित अवकाश आदि समस्त देय बकाया राशि/परिलाभों का भुगतान कर दिया गया।

इस प्रकार परिवादी को समस्त बकाया राशि का भुगतान दिलवाकर पूर्ण अनुतोष प्रदान की गई।

एफ.32(2)लोआस/2019

परिवादी सुश्री ऊषा मीणा पुत्री श्री प्रभुदयाल मीणा, निवासी ग्राम खुर्रा, तहसील लालसोट, जिला जयपुर द्वारा छात्रवृत्ति नहीं दिए जाने के सम्बन्ध में इस सचिवालय में यह परिवाद दायर किया गया।

इस सम्बन्ध में निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादिया को 52300 रूपए की छात्रवृत्ति का भुगतान कर दिया गया।

इस प्रकार परिवादिया को देय छात्रवृत्ति का भुगतान दिलवाकर पूर्ण अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.32(17)लोआस/2020

परिवादी श्री भरत कुमार पूर्बिया पुत्र स्व. श्री जमनालाल, निवासी ग्राम ओगणा, तहसील झाडोल, उदयपुर का कथन था कि राजस्थान सरकार के आदेश से संचालित लवीना विकास सेवा संस्थान एक ओपन शेल्टर होम को प्रारम्भ से अभी तक कोई अनुदान नहीं दिया गया है। संस्था चालक द्वारा निजी स्तर पर कर्ज लेकर संचालन किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में कार्यवाही करने का इस सचिवालय से अनुरोध किया गया।

इस सम्बन्ध में आयुक्त एवं विशिष्ठ शासन सचिव, बाल अधिकारिता विभाग से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार संस्था को प्रथम किश्त के 4 लाख रुपए का अनुदान दे दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी की समस्या का निराकरण कर अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.35(21)लोआस / 2017

परिवादी श्री मान सिंह मीणा पुत्र श्री सीताराम मीणा, मकान नं. 3 एम.बी., 162 इन्दिरा गाँधी नगर, जगतपुरा, जयपुर की शिकायत थी कि उनकी कॉलोनी में मात्र कुछ मीटर पीने की पाईप लाईन डालनी थी, परन्तु आवासन मण्डल एवं जलदाय विभाग के आपसी विवाद में पाईप लाईन नहीं डाली गई, जिससे पानी की समस्या हो रही है।

इस सम्बन्ध में अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, नगर खण्ड तृतीय (दक्षिण) जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार इन्दिरा गाँधी नगर में बीसलपुर पेयजल वितरित किया जा रहा है।

इस प्रकार परिवादी की समस्या का निराकरण कर अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.35(134)लोआस / 2015

परिवादी श्री शैतान सिंह, निवासी अरठ घोडियावा, सिरोही द्वारा पंचायत कालन्द्री, में स्थित गोचर भूमि व तालाब भूमि, बिलानाम राजस्व भूमि एवं सरकारी एवं सार्वजनिक भूमियों पर किए गए अतिक्रमण के सम्बन्ध में कार्यवाही का निवेदन किया गया।

इस सम्बन्ध में जिला कलक्टर, सिरोही से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अतिक्रमण हटा दिया गया हैं।

इस प्रकार परिवादी समस्या का निराकरण कर पूर्ण अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.35(196)लोआस / 2016

परिवादी श्री पृथ्वी सिंह पुत्र श्री रामेश्वर लाल, निवासी मु.पो. कोलसिया, तहसील नवलगढ़, झुंझुनू ने जिल ग्रहण उप समिति द्वारा की गई अनियमितताओं की जांच हेतु इस सचिवालय से अनुरोध किया गया।

इस सम्बन्ध में संभागीय आयुक्त, जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार दोषी पाए गए लोक सेवकगण तत्कालीन विकास अधिकारी श्रीमती अर्चना मौर्य एवं तत्कालीन सहायक अभियन्ता श्री बनवारी लाल के विरूद्ध सीसीए नियम 17 के अन्तर्गत कार्यवाही कर क्रमशः मौखिक चेतावनी एवं एक वार्षिक वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दंडित किया गया। साथ ही श्री बनवारी लाल, श्रीमती अर्चना मौर्य एवं पी.एस. जाखड को आर्थिक दण्ड से दण्डित किया गया।

इस प्रकार दोषी लोक सेवकगण के विरूद्ध उक्त कार्यवाही कर परिवादी को पूर्ण अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.35(230)लोआस/2016

परिवादी श्री सुरेन्द्र कुमार पड्या, निवासी 38 ए चन्द्र नगर गुर्जर घाटी, जयपुर द्वारा नारहगढ़ वन्यजीव अभ्यारण क्षेत्र में शिव हनुमान मन्दिर स्थिति वन–भूमि पर अतिक्रमी द्वारा देवस्थान विभाग से पंजीकरण करा कर किये गये अतिक्रमण के सम्बन्ध में कार्यवाही का निवेदन किया गया।

इस सम्बन्ध में अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक राजस्थान, जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार वन विभाग द्वारा अतिक्रमियों पर कार्यवाही की जाकर विभाग का ताला व साईनबोर्ड लगाकर कब्जे राज ले लिया गया है। इस प्रकार परिवादी समस्या का निराकरण कर पूर्ण अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.35(331)लोआस/2017

परिवादी श्री किस्तूर राम ग्वाला पुत्र श्री शिवराम ग्वाला, निवासी ग्राम डेगाना, नागौर द्वारा अवैध खनन करने के सम्बन्धमें शिकायत पंजीकृत करवाई गई।

इस सम्बन्ध में जिला मजिस्ट्रेट, नागौर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार ख.प.सं. 7/1991 श्री अमराराम पट्टेधारी को दोषी मानते हुए उनसे 99,012 रूपए की वसूल कर

राजकोष में जमा करवाए गए। शेष आरोपियों के सम्बन्धमें प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन है।

इस प्रकार परिवादी अमराराम पट्टाधारी से 99,012 रूपए वसूल कर राजकोष में जमा करवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान की गई।

एफ.35(445)लोआस/2016

परिवादी श्री प्रेमचन्द सोनी निवासी 4 क्यू 23 आर.सी.व्यास कॉलोनी, भीलवाड़ा द्वारा पेंशन, ग्रेच्युटी आदि का भुगतान नहीं मिलने के सम्बन्ध में यह शिकायत की गई।

इस सम्बन्ध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भीलवाड़ा से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को पेंशन आदि समस्त परिलाभों का भुगतान कर दिया गया।

इस प्रकार परिवादी को पेंशन आदि का भुगतान दिलवाकर पूर्ण अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.35(21)लोआस/2017

परिवादी श्री मान सिंह मीणा पुत्र श्री सीताराम मीणा, मकान नं. 3 एम.बी., 162 इन्दिरा गॉधी नगर, जगतपुरा, जयपुर की शिकायत थी कि उनकी कॉलोनी में मात्र कुछ मीटर पीने की पाईप लाईन डालनी थी, परन्तु आवासन मण्डल एवं जलदाय विभाग के आपसी विवाद में पाईप लाईन नहीं डाली गई, जिससे पानी की समस्या हो रही है।

इस सम्बन्ध में अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, नगर खण्ड तृतीय (दक्षिण) जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार इन्दिरा गॉधी नगर में बीसलपुर पेयजल वितरित किया जा रहा है।

इस प्रकार परिवादी की समस्या का निराकरण कर अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.35(204)लोआस/2018

परिवादी श्री सुखलाल जाट पुत्र श्री रामकिशन जाट, निवासी मुंडियाखेड़ा वाया पसेस्ट चांपानेरी, तहसील भिनाय, अजमेर का अभिकथन था कि आबादी भूमि पर अतिक्रमण कर बनाए गए कच्चे मकान ग्राम पंचायत द्वारा नहीं हटाए जा रहे हैं।

इस सम्बन्ध में जिला कलक्टर, अजमेर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत सभी अतिक्रमण पूर्णतया हटवा दिए गए हैं।

इस प्रकार परिवादी की समस्या का निराकरण कर अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.42(10)लोआस/2018

परिवादी श्री सतीश चंद पालीवाल, निवासी 38, हवामहल बाजार, जयपुर का अभिकथन है कि हवामहल बाजार जयपुर के जीर्णोद्धार, मरम्मत आदि कार्य में गम्भीर अनियमितताएँ एवं भ्रष्टाचार किया गया है।

इस सम्बन्ध में अतिरिक्त आयुक्त, देवस्थान विभाग, उदयपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत कार्य में जी–शिड्यूल एवं शर्तों के अनुसार कार्य नहीं किया जाना पाए जाने पर सम्बन्धितफर्म को देय राशि में से 1,38,996/– रूपए की कटौती की गई।

इस प्रकार परिवादी की समस्या का निराकरण कर अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(2)लोआस/2019

परिवादी श्री कन्हैयालाल चौहान, निवासी 40, विजय नगर बासनी, जोधपुर द्वारा उप निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, पाली द्वारा जी.पी.एफ. खाते में जमा राशि का पूर्ण व सही भुगतान नहीं किये जाने के सम्बन्ध में इस सचिवालय से कार्यवाही का अनुरोध किया गया।

इस सम्बन्ध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार भुगतान राशि का आदेश जारी कर दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को देय भुगतान दिलवाकर पूर्ण अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(04)लोआस / 2015

परिवादी श्री प्रभुदयाल प्रजापति निवासी–अजमेर द्वारा प्रशासन गांव के संग अभियान नवम्बर, 2012 से आदिनांक तक ऑनलाईन पेंशन स्वीकृति कार्य बिलों का भुगतान नहीं किये जाने के संदर्भ में उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ के विरूद्ध इस सचिवालय को कार्यवाही का निवेदन किया गया।

इस सम्बन्ध में जिला कलक्टर प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार बजट प्राप्त होने के पश्चात् परिवादी चाणक्य डाटा प्रोसेसिंग को राशि का भुगतान कर दिया गया।

इस प्रकार परिवादी को देय भुगतान दिलवाकर अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(5)लोआस / 2019

परिवादी श्री रमेशचन्द्र माथुर, निवासी जोधपुर द्वारा संयुक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा.निधि, विभाग, जोधपुर द्वारा जी.पी.एफ. खाते की बकाया राशि भुगतान नहीं किये जाने के सम्बन्ध में इस सचिवालय से कार्यवाही का अनुरोध किया।

इस सम्बन्ध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार भुगतान राशि का आदेश जारी कर दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को देय भुगतान दिलवाकर पूर्ण अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(6)लोआस / 2019

परिवादी सेवानिवृत कर्मचारी श्री उमाशंकर द्विवेदी, निवासी बौनयों का बास, पाली द्वारा उपनिदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा.निधि. विभाग, पाली द्वारा परिवादी के जी.पी. एफ. खाते की बकाया राशि भुगतान नहीं किये जाने के सम्बन्ध में इस सचिवालय से कार्यवाही का अनुरोध किया।

इस सम्बन्ध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार भुगतान राशि का आदेश जारी कर दिया गया है। जो अंशदाता के खाते में जमा हो चुकी हैं।

इस प्रकार परिवादिया की समस्या का पूर्ण निराकरण कर पूर्ण अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(07)लोआस / 2018

परिवादिया श्रीमती समदकंवर पत्नी कानसिंह, निवासी—मेड़, जोधपुर द्वारा उसके पति सैनिक सेवा पूर्ण के पश्चात् जलदाय विभाग में चौकीदार के पद पर कार्य किया तथा सेवा निवृत्त उन्हें दोनों पेंशन मिल रहीं थी लेकिन मृत्यु के पश्चात् राज्य सरकार की पेंशन स्वीकृत नहीं किये जने के संदर्भ में इस सचिवालय को कार्यवाही का निवेदन किया गया।

इस सम्बन्ध में अतिरिक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राज. जोधपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार पारिवारिक पेंशन की अधिकृति जारी कर दी गई हैं।

इस प्रकार परिवादिया की समस्या का पूर्ण निराकरण कर अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(07)लोआस / 2019

परिवादी श्री उगम राज भाटी, निवासी—क्रय विक्रय सहकारी समिति के सामने वाली गली, निमाज रोड, जैतारण, पाली ने उप निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा.निधि. विभाग, पाली द्वारा उसे जी.पी.एफ. खाते में जमा बकाया राशि का भुगतान नहीं किये जाने के सम्बन्ध में इस सचिवालय से कार्यवाही का अनुरोध किया।

इस सम्बन्ध में निदेशालय, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट परिवादी की अवशेष राशि के भुगतान का आदेश जारी कर दिया गया एवं सम्बन्धित अंशदाता के खाते में जमा करवा दी गई हैं।

इस प्रकार परिवादी को देय भुगतान दिलवाकर पूर्ण अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(9)लोआस / 2019

परिवादिया श्रीमती मंजू मनिहार निवासी 1प 47 पुराना हाऊसिंग बोर्ड, पाली ने उप निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा.निधि. विभाग, पाली द्वारा उसके जी.पी.एफ. खाते में बकाया राशि का भुगतान नहीं किये जाने के सम्बन्ध में इस सचिवालय से कार्यवाही का अनुरोध किया।

इस सम्बन्ध में निदेशालय, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अंशदाता को भुगतान का आदेश जारी कर दिया गया हैं।

इस प्रकार परिवादिया को देय भुगतान दिलवाकर अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(09)लोआस / 2020

परिवादी श्री मोहनलाल, निवासी डाबलियों की ढ़ाणी, विशनावास, जोधपुर द्वारा संयुक्त निदेशक (शहर), राज्य बीमा एवं प्रा.निधि. विभाग, जोधपुर द्वारा जी.पी.एफ. खाते पूर्ण राशि का भुगतान नहीं किये जाने के सम्बन्ध में इस सचिवालय से कार्यवाही का अनुरोध किया।

इस सम्बन्ध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निवि विभाग जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार परिवादी को राशि का पूर्ण भुगतान किया जा चुका हैं।

इस प्रकार परिवादी को देय भुगतान दिलवाकर पूर्ण अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(11)लोआस/2018

परिवादी श्रीमती बसंती दवे पत्नी श्री देवराज दवे, निवासी ब्रहम्मपुरी भागी पोल, रंगीला भैंरूजी की गली, जोधपुर ने सेवानिवृत्ति के पश्चात् विभाग द्वारा उन्हें जी.पी.एफ. का पूर्ण भुगतान नहीं किए जाने पर इस सचिवालय से भुगतान दिलाए जाने का अनुरोध किया गया।

इस सम्बन्ध में अतिरिक्त निदेशक सतर्कता, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राज. जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को बकाया जी.पी.एफ. राशि का भुगतान कर दिया गया।

इस प्रकार परिवादी को जी.पी.एफ. राशि का भुगतान दिलवाकर अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(12)लोआस/2019

परिवादी श्री रविन्द्र प्रकाश माथुर पुत्र श्री रोशन प्रकाश माथुर, निवासी 23/567 चौपासनी हाऊसिंग बोर्ड, जोधपुर ने सेवानिवृत्ति के पश्चात् विभाग द्वारा उन्हें जी.पी.एफ. का पूर्ण भुगतान नहीं किए जाने पर इस सचिवालय से भुगतान दिलाए जाने का अनुरोध किया गया।

इस सम्बन्ध में अतिरिक्त निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राज. जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को बकाया जी.पी.एफ. राशि का भुगतान कर दिया गया।

इस प्रकार परिवादी को जी.पी.एफ. राशि का भुगतान दिलवाकर अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(13)लोआस/2016

परिवादी श्री नारायण लाल गहलोत पुत्र श्री बस्तीराम गहलोत निवासी दाखु भवन, जोधपुरिया गेट के बाहर, सोजत सिटी, पाली ने सेवानिवृत्ति पश्चात् जी.पी.एफ. राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किए जाने के सम्बन्ध में इस सचिवालय में शिकायत पंजीकृत की।

इस सम्बन्ध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राज. जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को बकाया जी.पी.एफ. राशि का भुगतान कर दिया गया।

इस प्रकार परिवादी को जी.पी.एफ. राशि का पूर्ण भुगतान दिलवाकर अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(18)लोआस/2018

परिवादी श्री इकबाल मोहम्मद, निवासी गंगलाब तालाब के पास, जोधपुर द्वारा जी.पी.एफ. खाते में जमा राशि भुगतान नहीं किये जाने के सम्बन्ध में इस सचिवालय से कार्यवाही का अनुरोध किया।

इस सम्बन्ध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अंशदाता को उसकी अवशेष राशि का भुगतान कर दिया गया हैं।

इस प्रकार परिवादी को देय भुगतान दिलवाकर पूर्ण अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(19)लोआस/2017

परिवादी श्री सज्जन सिंह भाटी पुत्र श्री बिरध सिंह भाटी, मकान संख्या 10, हिम्मत नगर, पुलिस लाईन के पास, पाली ने सेवानिवृत्ति के पश्चात् विभाग द्वारा उन्हें जी.पी.एफ. का भुगतान नहीं किए जाने पर इस सचिवालय से भुगतान दिलाए जाने का अनुरोध किया गया।

इस सम्बन्ध में वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक सतर्कता, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राज. जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को प्रश्नगत जी.पी.एफ. राशि का भुगतान कर दिया गया।

इस प्रकार परिवादी को जी.पी.एफ. राशि का भुगतान दिलवाकर अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(19)लोआस/2018

परिवादी श्री भीखाराम बावल पुत्र श्री दुदारमा बावल निवासी रामदेव चौक, मुंडारा, तहसील बाली, जिला पाली ने सेवानिवृत्ति पश्चात् जी.पी.एफ. राशि का पूर्ण भुगतान नहीं मिलने के सम्बन्ध में इस सचिवालय में शिकायत की।

इस सम्बन्ध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को बकाया जी.पी.एफ. राशि का भुगतान कर दिया गया।

इस प्रकार परिवादी को जी.पी.एफ. राशि का भुगतान दिलवाकर अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(20)लोआस/2018

परिवादी श्री गिरधारीराम पुत्र श्री नारायणराम जाट निवासी खानपुर, तहसील लाडनूं, नागौर द्वारा राशन डीलर श्यामसिंह उचित मूल्य दूकानदार खानपुर आसोटा द्वारा गंभीर अनियमिता बरतने के सम्बन्ध में कार्यवाही हेतु इस सचिवालय को कार्यवाही का निवेदन किया गया।

इस सम्बन्ध में जिला रसद अधिकारी, नागौर प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार श्री श्यामसिंह एवं नरेन्द्र सिंह के विरूद्ध राजस्थान खाद्यान एवं आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) 1976 के खण्ड 8 एवं 9 द्वारा पदृत शक्तियों का प्रयोग करते हुए,

प्राधिकार पत्र निरस्त कर डीलरों द्वारा जमा करवाई गई 1000/–रूपये राशि राज्यहित में जप्त किये गये।

इस प्रकार परिवादिया की समस्या का पूर्ण निराकरण कर अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(23)लोआस/2017

परिवादी श्री करणीदत्त शर्मा पुत्र श्री रावत राम शर्मा, ग्राम रोहिणी, जिला नागौर को सेवा निवृत्ती पश्चात् उनके जी.पी.एफ. खाते की अवशेष राशि का भुगतान नहीं दिए जाने की इस सचिवालय से शिकायत की।

इस सम्बन्ध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को समस्त बकाया राशि का भुगतान दिया जा चुका है।

इस प्रकार परिवादी को उनकी बकाया राशि का भुगतान दिलवाकर अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(25)लोआस/2018

परिवादी श्री चतुर्भुज रांजरा, निवासी श्रीरामनगर, फुलेरा, जयपुर द्वारा उप निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा.निधि. विभाग, जयपुर ग्रामीण द्वारा जी.पी.एफ. खाते पूर्ण राशि का भुगतान नहीं किये जाने के सम्बन्ध में इस सचिवालय से कार्यवाही का अनुरोध किया।

इस सम्बन्ध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार परिवादी को राशि का पूर्ण भुगतान किया जा चुका हैं।

इस प्रकार परिवादी को देय भुगतान दिलवाकर पूर्ण अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(26)लोआस / 2019

परिवादी श्री नरेन्द्र कुमार दुबे पुत्र श्री नंदकिशोर दुबे निवासी बीएस / 139, शिवाजी नगर, पाली ने सेवानिवृत्ति पश्चात् जी.पी.एफ. राशि का पूर्ण भुगतान नहीं मिलने के सम्बन्ध में इस सचिवालय में शिकायत की।

इस सम्बन्ध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राज. जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को बकाया जी.पी.एफ. राशि का भुगतान कर दिया गया।

इस प्रकार परिवादी को जी.पी.एफ. राशि का पूर्ण भुगतान दिलवाकर अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(27)लोआस / 2018

परिवादी श्री राधेश्याम गर्ग, निवासी–80–81, विनायक नगर, बी. गनाहेडा, पुष्कर, अजमेर ने उप निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा.निधि. विभाग, जालौर एवं संयुक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा.नि.विभाग, नागौर द्वारा उसके जी.पी.एफ. खाते में जमा राशि का भुगतान नहीं किये जाने के सम्बन्ध में इस सचिवालय से कार्यवाही का अनुरोध किया।

इस सम्बन्ध में निदेशालय, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार परिवादी को अवशेष राशि का भुगतान किया जा चुका हैं।

इस प्रकार परिवादी को देय भुगतान दिलवाकर पूर्ण अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(28)लोआस / 2018

परिवादी श्री नरसिंह लाल राठोड, निवासी–लुणावा, पाली ने उप निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा.निधि. विभाग, पाली द्वारा उसके जी.पी.एफ. खाते में जमा राशि का भुगतान नहीं किये जाने के सम्बन्ध में इस सचिवालय से कार्यवाही का अनुरोध किया।

इस सम्बन्ध में निदेशालय, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार परिवादी की अवशेष राशि का भुगतान आदेश जारी कर दिया गया।

इस प्रकार परिवादी देय भुगतान दिलवाकर अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(29)लोआस / 2018

परिवादी श्री बनवारीलाल गुप्ता, सैनी आदर्श विद्या मन्दिर के पीछे, वार्ड नं 28, बांदीकुई, दौसा ने सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा.निधि. विभाग, पाली द्वारा उसे सेवानिवृति के पश्चात् भी जी.पी.एफ. खाते में जमा राशि का भुगतान नहीं किये जाने के सम्बन्ध में इस सचिवालय से कार्यवाही का अनुरोध किया।

इस सम्बन्ध में निदेशालय, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट परिवादी की अवशेष राशि के भुगतान का आदेश जारी कर दिया गया हैं।

इस प्रकार परिवादी को देय भुगतान दिलवाकर अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(29)लोआस / 2019

परिवादी श्रीमती शांति पुरोहित पत्नी श्री मदन गोपाल व्यास, निवासी 1 क 2, मधुबन कॉलोनी, बारानी प्रथम फेज, जोधपुर ने उनके जी.पी.एफ. खाते का पूर्ण भुगतान नहीं किए जाने के सम्बन्ध में इस सचिवालय में शिकायत की।

इस सम्बन्ध में निदेशालय, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को समस्त बकाया राशि का भुगतान दिया जा चुका है।

इस प्रकार परिवादिया को उनकी बकाया राशि का भुगतान दिलवाकर अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(30)लोआस/2018

परिवादिया सुश्री शारदा कंवर, निवासी–3 ई 43, न्यू हाऊसिंग बोर्ड, पाली ने उप निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा.निधि. विभाग, पाली द्वारा उसके जी.पी.एफ. खाते में जमा राशि का भुगतान नहीं किये जाने के सम्बन्ध में इस सचिवालय से कार्यवाही का अनुरोध किया।

इस सम्बन्ध में निदेशालय, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार परिवादी को भुगतान रिकॉर्ड से कटोतियों का सत्यापन करने के बाद किया जा चुका है तथ अब कोई भुगतान शैष नहीं हैं।

इस प्रकार परिवादिया को देय भुगतान दिलवाकर अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(33)लोआस/2019

परिवादी श्री बसतीराम सुथार पुत्र श्री आईदान, निवासी ग्राम आंगदोष पोस्ट राड़ावास, पाली को उनके जी.पी.एफ. खाते का पूर्ण भुगतान नहीं होने पर बकाया भुगतान, मय बयाज, दिलाए जाने की इस सचिवालय से अनुशंषा की गई।

इस सम्बन्ध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राज. जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को बकाया जी.पी.एफ. राशि का भुगतान कर दिया गया।

इस प्रकार परिवादी को जी.पी.एफ. राशि का भुगतान दिलवाकर अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(33)लोआस/2018

परिवादी श्री महावीर सिंह हाडा, निवासी महावीर नगर विस्तार योजना, कोटा द्वारा सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा.निधि. विभाग, जोधपुर द्वारा जी.पी.एफ. खाते

की बकाया राशि भुगतान नहीं किये जाने के सम्बन्ध में इस सचिवालय से कार्यवाही का अनुरोध किया गया।

इस सम्बन्ध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार परिवादी को जीए 55ए व पासबुक के आधार पर भुगतान किया जा चुका हैं।

इस प्रकार परिवादी को देय भुगतान दिलवाकर पूर्ण अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(34)लोआस / 2018

परिवादी श्री श्रवण दास वैष्णव, निवासी–बोरूंदा, जोधपुर ने उप निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा.निधि. विभाग, पाली द्वारा उसके जी.पी.एफ. खाते में जमा राशि का भुगतान नहीं किये जाने के सम्बन्ध में इस सचिवालय से कार्यवाही का अनुरोध किया।

इस सम्बन्ध में निदेशालय, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार परिवादी की अवशेष राशि के भुगतान आदेश जारी किया जा चुका हैं।

इस प्रकार परिवादी को देय भुगतान दिलवाकर पूर्ण अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(36)लोआस / 2019

परिवादी श्री शंकरलाल भट्ट पुत्र श्री डायालाल भट्ट, निवास मुकाम पोस्ट खड़गदा, डूंगरपुर ने सेवानिवृत्ति पश्चात् जी.पी.एफ. राशि का पूर्ण भुगतान नहीं मिलने के सम्बन्ध में इस सचिवालय में शिकायत की।

इस सम्बन्ध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को बकाया जी.पी.एफ. राशि का भुगतान कर दिया गया।

इस प्रकार परिवादी को जी.पी.एफ. राशि का भुगतान दिलवाकर अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(36)लोआस / 2018

परिवादी सेवानिवृत कर्मचारी श्री निम्बाराम ग्वाला पुत्र श्री गेंपराम ग्वाला निवासी गेलाना, जोधपुर द्वारा लोकसेवक श्री चंदन सिंह चौहान संयुक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा.निधि. विभाग, जोधपुर ग्रामीण एवं श्री मनोहरलाल मीणा ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, पंचायत समिति, भोपालगढ़ द्वारा सेवानिवृति के पश्चात् भी जी.पी.एफ. खाते में जमा राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किये जाने के सम्बन्ध में इस सचिवालय से कार्यवाही का अनुरोध किया।

इस सम्बन्ध में निदेशालय, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार परिवादी को उसके जी.पी.एफ. खाते की सम्पूर्ण राशि का भुगतान किया जा चुका है।

इस प्रकार परिवादिया की समस्या का पूर्ण निराकरण कर अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(37)लोआस / 2018

परिवादी श्री मांगीलाल भायल, निवासी रामेश्वर नगर बासनी, जोधपुर द्वारा उप निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा.निधि. विभाग, पाली द्वारा जी.पी.एफ. खाते की राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किये जाने के सम्बन्ध में इस सचिवालय से कार्यवाही का अनुरोध किया।

इस सम्बन्ध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार भुगतान आदेश जारी कर राशि बैंक खाते में जमा करवादी गई हैं।

इस प्रकार परिवादी को देय भुगतान दिलवाकर पूर्ण अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(38)लोआस/2019

परिवादी श्रीमती संतोष निवासी कलियों का बास, हाथी राम का ओझा, जोधपुर द्वारा उनके जी.पी.एफ. राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किए जाने की शिकायत की गई।

इस सम्बन्ध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राज. जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को बकाया जी.पी.एफ. राशि रूपए 132049/— का भुगतान कर दिया गया।

इस प्रकार परिवादी को जी.पी.एफ. राशि का भुगतान दिलवाकर अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(38)लोआस/2018

परिवादी श्री आसीफ खान जरिये आर.पी.सिंह अधिवक्ता डीडवाना, नागौर ने सेवानिवृत अध्यापक पिता की मृत्यु तथा माता की मृत्यु पश्चात् विकलांग एवं चित्तभंग पुत्र को ऐफ पीपीओ जारी कर पेंशन स्वीकृत कराये जाने के सम्बन्ध में इस सचिवालय से कार्यवाही का अनुरोध किया।

इस सम्बन्ध में निदेशालय, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राज. जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार परिवादी का पारिवारिक पेंशन पीपीओ जारी कर दिया गया है।इस प्रकार परिवादिया की समस्या का पूर्ण निराकरण कर पूर्ण अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(39)लोआस/2018

परिवादी बाबूलाल गहलोत पुत्र श्री भानीराम गहलोत, निवासी मायलावास सादड़ी, पाली ने सेवानिवृत्ति पश्चात् जी.पी.एफ. खाते का पूर्ण भुगतान नहीं होने पर इस सचिवालय से भुगतान दिलाए जाने की प्रार्थना की।

इस सम्बन्ध में निदेशालय, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राज. जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को बकाया जी.पी.एफ. राशि का भुगतान कर दिया गया।

इस प्रकार परिवादी को जी.पी.एफ. राशि का पूर्ण भुगतान दिलवाकर अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(39)लोआस/2019

परिवादी श्री मांगीलाल पंवार पुत्र श्री जमाल खान पंवार, निवासी मुकाम पोस्ट नथवाड़ा वाया पादूकलां, नागौर ने सेवानिवृत्ति पश्चात् जी.पी.एफ. राशि का पूर्ण भुगतान नहीं मिलने के सम्बन्ध में इस सचिवालय में शिकायत की।

इस सम्बन्ध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को बकाया जी.पी.एफ. राशि का भुगतान कर दिया गया।

इस प्रकार परिवादी को जी.पी.एफ. राशि का भुगतान दिलवाकर अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(40)लोआस/2018

परिवादी सेवानिवृत कर्मचारी श्री रामेश्वरलाल चौधरी निवासी कुकनवाली, नागौर द्वारा सेवानिवृत्ति के पश्चात् जी.पी.एफ. खाते में जमा राशि का पूर्ण भुगतान संयुक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधी विभाग, नागौर द्वारा नहीं किये जाने के सम्बन्ध में इस सचिवालय से कार्यवाही का अनुरोध किया।

इस सम्बन्ध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अशंदाता के मांग पत्र एवं जिला कार्यालय नागौर के रिकार्ड के अनुसार अब कोई कटौती भुगतान हेतु बकाया नहीं हैं।

इस प्रकार परिवादी की समस्या का निराकरण कर अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(41)लोआस/2019

परिवादी श्री गणपत सिंह, निवासी ग्राम गुन्दोज, पाली द्वारा उप निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा.निधि. विभाग, पाली द्वारा जी.पी.एफ. खाते की पूर्ण राशि भुगतान नहीं किये जाने के सम्बन्ध में इस सचिवालय से कार्यवाही का अनुरोध किया।

इस सम्बन्ध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अवशेष राशि का मय ब्याज भुगतान आदेश जारी किया जा चुका हैं।

इस प्रकार परिवादी को देय भुगतान दिलवाकर पूर्ण अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(42)लोआस/2018

परिवादी श्री डूंगाराम चौधरी, निवासी ग्राम सरथुर, पाली द्वारा संयुक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा.निधि. विभाग, जोधपुर द्वारा जी.पी.एफ. खाते की पूर्ण राशि भुगतान नहीं किये जाने के सम्बन्ध में इस सचिवालय से कार्यवाही का अनुरोध किया।

इस सम्बन्ध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अवशेष राशि का मय ब्याज भुगतान आदेश जारी किया जा चुका हैं।

इस प्रकार परिवादी को देय भुगतान दिलवाकर पूर्ण अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(42)लोआस/2019

परिवादिया श्रीमती विजय लक्ष्मी त्रिवेदी, निवासी सोजत सिटी, पाली द्वारा उप निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा.निधि. विभाग, पाली द्वारा जी.पी.एफ. खाते पूर्ण राशि का भुगतान नहीं किये जाने के सम्बन्ध में इस सचिवालय से कार्यवाही का अनुरोध किया।

इस सम्बन्ध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार परिवादिया को राशि भुगतान आदेश जारी किया जा चुका हैं।

इस प्रकार परिवादिया को देय भुगतान दिलवाकर पूर्ण अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(45)लोआस / 2019

परिवादी श्री राणाराम, निवासी 277, कृष्णा नगर, पाली द्वारा उप निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा.निधि. विभाग, पाली द्वारा जी.पी.एफ. खाते पूर्ण राशि का भुगतान नहीं किये जाने के सम्बन्ध में इस सचिवालय से कार्यवाही का अनुरोध किया।

इस सम्बन्ध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार परिवादी को राशि भुगतान किया जा चुका है।

इस प्रकार परिवादी को देय भुगतान दिलवाकर पूर्ण अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(48)लोआस / 2019

परिवादी श्री दुर्गाराम पुत्र स्व. श्री भूराराम निवासी तीसरी गली, मकान नं. 103बी, गाँधीपुरा रसाला रोड़, जोधपुर ने सेवानिवृत्ति के पश्चात् विभाग द्वारा उन्हें जी. पी.एफ. का पूर्ण भुगतान नहीं किए जाने पर इस सचिवालय से भुगतान दिलाए जाने का अनुरोध किया गया।

इस सम्बन्ध में वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक सतर्कता, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राज. जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को बकाया जी.पी.एफ. राशि का भुगतान कर दिया गया।

इस प्रकार परिवादी को जी.पी.एफ. राशि का भुगतान दिलवाकर अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(58)लोआस / 2019

परिवादी श्रीमती प्रेमलता गहलोत पत्नी श्री गुमान सिंह, निवासी खसरा संख्या 98, मकान संख्या 239, राम नगर झंव रोड़, जोधपुर ने सेवानिवृत्ति के पश्चात् विभाग

द्वारा उन्हें जी.पी.एफ. का पूर्ण भुगतान नहीं किए जाने पर इस सचिवालय से भुगतान दिलाए जाने का अनुरोध किया गया।

इस सम्बन्ध में वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक सतर्कता, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राज. जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को बकाया जी.पी.एफ. राशि का भुगतान कर दिया गया।

इस प्रकार परिवादी को जी.पी.एफ. राशि का भुगतान दिलवाकर अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(60)लोआस / 2019

परिवादी श्री श्याम लाल श्रीमाली पुत्र श्री मथुरा लाल , निवासी 131, राजेन्द नगर, भालेलाव रोड़, पाली ने सेवानिवृत्ति पश्चात् जी.पी.एफ. राशि का पूर्ण भुगतान नहीं मिलने के सम्बन्ध में शिकायत की।

इस सम्बन्ध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को बकाया जी.पी.एफ. राशि का भुगतान कर दिया गया।

इस प्रकार परिवादी को जी.पी.एफ. राशि का भुगतान दिलवाकर अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(61)लोआस / 2019

परिवादी श्री बदरूद्धीन पुत्र श्री रामन खान निवासी सुभाष नगर, तारों का खेड़ा, पोस्ट विजय नगर, अजमेर ने सेवानिवृत्ति पश्चात् जी.पी.एफ. राशि का पूर्ण भुगतान नहीं मिलने के सम्बन्ध में शिकायत की।

इस सम्बन्ध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को बकाया जी.पी.एफ. राशि का भुगतान कर दिया गया।

इस प्रकार परिवादी को जी.पी.एफ. राशि का भुगतान दिलवाकर अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(66)लोआस / 2019

परिवादी श्री रमेश लाल ब्राहम्मण पुत्र श्री मंछाराम निवासी ग्राम गाथी पोस्ट सुमेर वाया देसूरी जिला पाली ने सेवानिवृत्ति पश्चात् जी.पी.एफ. राशि का पूर्ण भुगतान नहीं मिलने के सम्बन्ध में शिकायत की।

इस सम्बन्ध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को बकाया जी.पी.एफ. राशि का भुगतान कर दिया गया।

इस प्रकार परिवादी को जी.पी.एफ. राशि का भुगतान दिलवाकर अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(72)लोआस / 2019

परिवादी श्रीमती चन्द्रकला चौहान पत्नी श्री दलपत सिंह, निवासी इंद्रा कॉलोनी, नया राजपूत बास, पिंडवाड़ा, सिरोही ने सेवानिवृत्ति पश्चात् जी.पी.एफ. राशि का पूर्ण भुगतान नहीं मिलने के सम्बन्ध में शिकायत की।

इस सम्बन्ध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को बकाया जी.पी.एफ. राशि का भुगतान कर दिया गया।

इस प्रकार परिवादी को जी.पी.एफ. राशि का भुगतान दिलवाकर अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(75)लोआस / 2019

परिवादी श्रीमती उर्मिला भूतड़ा पुत्री श्री शिव प्रताप भूतड़ा, निवासी मार्फत श्री आनंद कुमार भूतड़ा, निवासी सिंवाची गेट, प्लॉट संख्या 41, चांदपोल रोड, जोधपुर ने सेवानिवृत्ति पश्चात् जी.पी.एफ. राशि का पूर्ण भुगतान नहीं मिलने के सम्बन्ध में शिकायत की।

इस सम्बन्ध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को बकाया जी.पी.एफ. राशि का भुगतान कर दिया गया।

इस प्रकार परिवादी को जी.पी.एफ. राशि का भुगतान दिलवाकर अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(78)लोआस / 2019

परिवादी श्री पूनमचंद पारीक पुत्र श्री सुगनचंद पारीक निवासी मुकाम पोस्ट पादूकलां, जैन मंदिर के पास, नागौर ने सेवानिवृत्ति पश्चात् जी.पी.एफ. राशि का पूर्ण भुगतान नहीं मिलने के सम्बन्ध में इस सचिवालय में शिकायत की।

इस सम्बन्ध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को बकाया जी.पी.एफ. राशि का भुगतान कर दिया गया।

इस प्रकार परिवादी को जी.पी.एफ. राशि का भुगतान दिलवाकर अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(79)लोआस / 2019

परिवादी श्री जवानाराम मेघवाल पुत्र श्री शियाराम निवासी ग्राम गेमलियावास, पोस्ट अकेली 'ए' तहसील रियाबड़ी, नागौर ने सेवानिवृत्ति पश्चात् जी.पी.एफ. राशि का पूर्ण भुगतान नहीं मिलने के सम्बन्ध में इस सचिवालय में शिकायत की।

इस सम्बन्ध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को बकाया जी.पी.एफ. राशि का भुगतान कर दिया गया।

इस प्रकार परिवादी को जी.पी.एफ. राशि का भुगतान दिलवाकर अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(86)लोआस / 2019

परिवादी श्री भंवर सिंह पुत्र श्री चन्दन सिंह, निवासी ग्राम पोस्ट हुड़ारिया वाया सोगेसर, पाली ने सेवानिवृत्ति के पश्चात् विभाग द्वारा उन्हें जी.पी.एफ. का पूर्ण भुगतान नहीं किए जाने पर इस सचिवालय से भुगतान दिलाए जाने का अनुरोध किया गया।

इस सम्बन्ध में अतिरिक्त निदेशक सतर्कता, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राज. जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को बकाया जी.पी.एफ. राशि का भुगतान कर दिया गया।

इस प्रकार परिवादी को जी.पी.एफ. राशि का भुगतान दिलवाकर अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(89)लोआस / 2019

परिवादी श्री मगन सिंह पुत्र श्री मेहराज सिंह, निवासी कोठो की ढ़ाणी, ग्राम लवारन वाया रोतरावा, तहसील बालेसर, जोधपुर ने सेवानिवृत्ति के पश्चात् विभाग द्वारा उन्हें जी.पी.एफ. का पूर्ण भुगतान नहीं किए जाने पर इस सचिवालय से भुगतान दिलाए जाने का अनुरोध किया गया।

इस सम्बन्ध में निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राज. जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को बकाया जी.पी.एफ. राशि का भुगतान कर दिया गया।

इस प्रकार परिवादी को जी.पी.एफ. राशि का भुगतान दिलवाकर अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(127)लोआस / 2019

परिवादी श्री कृष्णा चन्द, निवासी संखवास, नागौर द्वारा सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा.निधि. विभाग, नागौर द्वारा जी.पी.एफ. खाते पूर्ण व सही राशि का भुगतान नहीं किये जाने के सम्बन्ध में इस सचिवालय से कार्यवाही का अनुरोध किया।

इस सम्बन्ध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार परिवादी को राशि का पूर्ण भुगतान किया जा चुका हैं।

इस प्रकार परिवादी को देय भुगतान दिलवाकर पूर्ण अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(172)लोआस / 2019

परिवादी श्री राजेन्द्र सिंह, निवासी गुलाब सागर, जोधपुर द्वारा उप संयुक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जोधपुर ग्रामीण द्वारा जी.पी.एफ. खाते की पूर्ण व सही राशि भुगतान नहीं किये जाने के सम्बन्ध में इस सचिवालय से कार्यवाही का अनुरोध किया गया।

इस सम्बन्ध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अंशदाता को पूर्ण भुगतान किया जा चुका है।

इस प्रकार परिवादी की समस्या का पूर्ण निराकरण कर पूर्ण अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(173)लोआस / 2019

परिवादी श्री राजेन्द्र प्रसाद पारीक, निवासी जोबनेर, जयपुर द्वारा संयुक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, नागौर द्वारा जी.पी.एफ. खाते पूर्ण व

सही राशि का भुगतान नहीं किये जाने के सम्बन्ध में इस सचिवालय से कार्यवाही का अनुरोध किया।

इस सम्बन्ध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार परिवादी को राशि का पूर्ण भुगतान किया जा चुका है।

इस प्रकार परिवादी को देय भुगतान दिलवाकर पूर्ण अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(174)लोआस / 2019

परिवादी श्री सुरेश व्यास पुत्र श्री जुगराज व्यास, निवासी दर्जियों का चौक, खण्डा फालसा, जोधपुर ने सेवानिवृत्ति के पश्चात् विभाग द्वारा उन्हें जी.पी.एफ. का पूर्ण भुगतान नहीं किए जाने पर इस सचिवालय से भुगतान दिलाए जाने का अनुरोध किया गया।

इस सम्बन्ध में वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक सतर्कता, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राज. जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को बकाया जी.पी.एफ. राशि का भुगतान कर दिया गया।

इस प्रकार परिवादी को जी.पी.एफ. राशि का भुगतान दिलवाकर अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(35)लोआस / 2018

परिवादी श्री घीसालाल मेघवाल पुत्र श्री पूराराम निवासी 109, शिवजी नगर, पाली ने सेवानिवृत्ति के पश्चात् विभाग द्वारा उन्हें जी.पी.एफ. का पूर्ण भुगतान नहीं किए जाने पर इस सचिवालय से भुगतान दिलाए जाने का अनुरोध किया गया।

इस सम्बन्ध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राज. जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को बकाया जी.पी.एफ. राशि का भुगतान कर दिया गया।

इस प्रकार परिवादी को जी.पी.एफ. राशि का भुगतान दिलवाकर अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(69)लोआस / 2019

परिवादी श्री ओमप्रकाश कुमावत पुत्र श्री जालीराम निवासी करीदों का बास, थांवला, नागौर ने सेवानिवृत्ति के पश्चात् विभाग द्वारा उन्हें जी.पी.एफ. का पूर्ण भुगतान नहीं किए जाने पर इस सचिवालय से भुगतान दिलाए जाने का अनुरोध किया गया।

इस सम्बन्ध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को बकाया जी.पी.एफ. राशि का भुगतान कर दिया गया।

इस प्रकार परिवादी को जी.पी.एफ. राशि का भुगतान दिलवाकर अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(80)लोआस / 2019

परिवादी श्री नौरतमल पारीक पुत्र श्री मोहनलाल निवासी ग्राम पोस्ट मंडास, वाया जसनगर नागौर ने सेवानिवृत्ति के पश्चात विभाग द्वारा उन्हें जी.पी.एफ. का पूर्ण भुगतान नहीं किए जाने पर इस सचिवालय से भुगतान दिलाए जाने का अनुरोध किया गया।

इस सम्बन्ध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राज. जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को बकाया जी.पी.एफ. राशि का भुगतान कर दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को जी.पी.एफ. राशि का भुगतान दिलवाकर अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(83)लोआस/2019

परिवादी श्री राजेन्द्र कुमार जोशी पुत्र श्री रमणलाल, निवासी 114, पद्मावती कॉलोनी–ए, निर्माण नगर, किंग्स रोड, जयपुर ने सेवानिवृत्ति के पश्चात् विभाग द्वारा उन्हें जी.पी.एफ. का पूर्ण भुगतान नहीं किए जाने पर इस सचिवालय से भुगतान दिलाए जाने का अनुरोध किया।

इस सम्बन्ध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राज. जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को बकाया जी.पी.एफ. राशि का भुगतान कर दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को जी.पी.एफ. राशि का भुगतान दिलवाकर अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(92)लोआस/2019

परिवादी श्री सोहन सिंह पुत्र श्री रणजीत सिंह, निवासी रणजीत भवन, रियांबड़ी, नागौर ने सेवानिवृत्ति के पश्चात् विभाग द्वारा उन्हें जी.पी.एफ. का पूर्ण भुगतान नहीं किए जाने पर इस सचिवालय से भुगतान दिलाए जाने का अनुरोध किया गया।

इस सम्बन्ध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को बकाया जी.पी.एफ. राशि का भुगतान कर दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को जी.पी.एफ. राशि का भुगतान दिलवाकर अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(95)लोआस/2019

परिवादी श्री चेतन प्रकाश पुत्र श्री मदनलाल, निवासी मुकाम पोस्ट भवाल वाया जसनगर, नागौर ने सेवानिवृत्ति के पश्चात् विभाग द्वारा उन्हें जी.पी.एफ. का पूर्ण भुगतान नहीं किए जाने पर इस सचिवालय से भुगतान दिलाए जाने का अनुरोध किया।

इस सम्बन्ध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को बकाया जी.पी.एफ. राशि का भुगतान कर दिया गया।

इस प्रकार परिवादी को जी.पी.एफ. राशि का भुगतान दिलवाकर अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(97)लोआस/2019

परिवादी श्री रामेश्वर लाल चौधरी पुत्र स्व. श्री सुरताराम चौधरी, निवासी ग्राम पोस्ट लाडपुरा, तहसील रियाबड़ी, नागौर ने सेवानिवृत्ति के पश्चात् विभाग द्वारा उन्हें जी.पी.एफ. का पूर्ण भुगतान नहीं किए जाने पर इस सचिवालय से भुगतान दिलाए जाने का अनुरोध किया।

इस सम्बन्ध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को बकाया जी.पी.एफ. राशि का भुगतान कर दिया गया।

इस प्रकार परिवादी को जी.पी.एफ. राशि का भुगतान दिलवाकर अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(71)लोआस/2019

परिवादी श्री ताराचन्द शर्मा पुत्र श्री प्रभुलाल शर्मा, निवासी पारीक मोहल्ला, पादूकलां, नागौर ने सेवानिवृत्ति के पश्चात् विभाग द्वारा उन्हें जी.पी.एफ. का पूर्ण भुगतान नहीं किए जाने पर इस सचिवालय से भुगतान दिलाए जाने का अनुरोध किया।

इस सम्बन्ध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को बकाया जी.पी.एफ. राशि का भुगतान कर दिया गया।

इस प्रकार परिवादी को जी.पी.एफ. राशि का भुगतान दिलवाकर अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(27)लोआस / 2019

परिवादी श्रीमती कमला चौहान पत्नी श्री रतनलाल चौहान, निवासी राजकीय महाविद्यालय के सामने, हाइवे नं. 14, गियावाड़ी, सोजत सिटी, पाली ने उनके जी.पी.एफ. खाते का पूर्ण भुगतान नहीं किए जाने के सम्बन्ध में इस सचिवालय में शिकायत की।

इस सम्बन्ध में निदेशालय, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को समस्त बकाया राशि का भुगतान दिया जा चुका है।

इस प्रकार परिवादिया को उनकी बकाया राशि का भुगतान दिलवाकर अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(28)लोआस / 2019

परिवादी श्री गुलाब खान पुत्र श्री शकरू खान निवासी फतेह नगर कॉलोनी, काम्बेश्वर रोड़, ग्राम केसरपुरा तहसील शिवगंज, सिरोही ने उनके जी.पी.एफ खाते का पूर्ण भुगतान नहीं किए जाने के सम्बन्ध में इस सचिवालय में शिकायत की।

इस सम्बन्ध में निदेशालय, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को समस्त बकाया राशि का भुगतान दिया जा चुका है।

इस प्रकार परिवादी को उनकी बकाया राशि का भुगतान दिलवाकर अनुतोष प्रदान किया गया।

अध्याय–5

खान विभाग

इस अध्याय में प्रतिवेदनाधीन अवधि (दिनांक 08.03.2019 से 31.12.2021) में खान घोटाले से सम्बन्धित प्रकरणों में राजस्थान लोकायुक्त तथा उप–लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 12(1) के अधीन विद्यमान व प्रवृत्त अनुशासनिक नियमों के तहत वांछित अनुशासनिक कार्यवाही किए जाने हेतु सक्षम प्राधिकारी को सिफारिश की गई जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :–

एफ.25(2)लोआस / 2017

यह मामला माननीय राज्यपाल महोदय के आदेशानुसार खान विभाग द्वारा दिनांक 01.11.2014 से 12.01.2015 के मध्य की अवधि में जारी किये गये पूर्वेक्षण अनुज्ञा–पत्रों / मंशा–पत्रों की वृहद जाँच इस सचिवालय को सौंपने से सम्बन्धित है तथा पूर्व में सचिवालय द्वारा उक्त जाँच का विस्तृत प्रतिवेदन सौंपा गया था किन्तु सचिवालय में खान विभाग से सम्बन्धित लम्बित व पूर्ण की गई जाँचों से यह स्पष्ट है कि नवीन खान अध्यादेश दिनांक 12.01.2015 को प्रसारित किया गया तथा खान निदेशालय द्वारा दिनांक 12.01.2015 को एक दिवस में 137 मंशा–पत्रों / पूर्वेक्षण अनुज्ञा–पत्रों का आवंटन कर दिया गया। गौरतलब है कि इन आवंटनों के प्रस्ताव भी सम्बन्धित खनि अभियन्ताओं द्वारा अध्यादेश दिनांक 12.01.2015 से 1–2 दिन पूर्व ही प्रेषित किये गये। सामान्य कार्य प्रणाली के दौरान एक ही दिवस में एक ही कार्यालय द्वारा इतने खनन पट्टों का आवंटन किया जाना सम्भव नहीं है।

इस प्रकार निदेशालय द्वारा एक ही दिवस में अर्थात् दिनांक 12.01.2015 को 136 मंशा–पत्रों / पूर्वेक्षण अनुज्ञा–पत्रों का आवंटन किस प्रकार से किया गया तथा

यह कैसे सम्भव हुआ, इसके लिये दोषी लोक सेवक को चिन्हित किये जाने हेतु प्रारम्भिक जाँच प्रतिवेदन दिनांक 10.09.2018 के आधार पर लोकसेवक सर्वश्री देवीशंकर मारू (तत्कालीन निदेशक, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, उदयपुर), पंकज गहलोत (तत्कालीन अतिरिक्त निदेशक, निदेशालय, उदयपुर), नरेन्द्र सिंह शक्तावत (तत्कालीन अधीक्षण खनि अभियन्ता (मु0–द्वितीय) एवं प्रभारी, प्रधान खनिज अनुभाग, निदेशालय, उदयपुर), पूरणमल सिंघाड़िया (तत्कालीन खनि अभियन्ता, ब्यावर), ओमप्रकाश काबरा (तत्कालीन खनि अभियन्ता, आमेट), श्रीकृष्ण शर्मा (तत्कालीन खनि अभियन्ता, भीलवाड़ा), सतीश आर्य (तत्कालीन खनि अभियन्ता, उदयपुर), जे.के.गुरूबक्शानी (तत्कालीन खनि अभियन्ता, जोधपुर), नाथूलाल मेघवाल (तत्कालीन खनि अभियन्ता, करौली), एस.पी.शर्मा (तत्कालीन खनि अभियन्ता, अलवर), मनोज तंवर (तत्कालीन सहायक खनि अभियन्ता, कोटपूतली), शंकरलाल (तत्कालीन कार्यालय अधीक्षक, प्रधान खनिज, निदेशालय, उदयपुर), गणपत सिंह (तत्कालीन लिपिक, निदेशालय, उदयपुर), हेमन्त पामेचा (तत्कालीन लिपिक, निदेशालय, उदयपुर) व दिनेश टेलर, तत्कालीन लिपिक (निदेशालय, उदयपुर) द्वारा प्रक्रिया के विरूद्ध तथाकथित आवंटन (मंशा–पत्र/पूर्वेक्षण अनुज्ञा–पत्र) दोषपूर्ण व नियम विरूद्ध श्रेणी/परिधि में प्रथमदृष्टया आने से माननीय लोकायुक्त महोदय द्वारा प्रकरण में राजस्थान लोकायुक्त तथा उप–लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 10 के अधीन अन्वेषण करने का निर्णय लिया गया1

अन्वेषण के दौरान दिनांक 24.09.2018 को उक्त लोकसेवकों के विरूद्ध राजस्थान लोकायुक्त तथा उप–लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 19 (1) (क) के अन्तर्गत अन्वेषण के आधारों का विवरण व परिवाद की छाया प्रति सहित नोटिस जारी कर इस अन्वेषण कार्यवाही की सूचना सक्षम प्राधिकारी (प्रभारी मंत्री व अतिरिक्त मुख्य सचिव, खान एवं पेट्रोलियम विभाग) को भी दी गई1

<u>निष्कर्ष</u>

इस प्रकार उपर्युक्त सम्पूर्ण विस्तृत विवेचन से यह तथ्य स्पष्ट रूप से प्रकट हुआ है कि प्रश्नगत अवधि (दिनांक 24.11.2014 से दिनांक 12.01.2015) के मध्य निदेशालय के अधिकारियों व खनि अभियन्ताओं ने खनिज रियायत नियम, 1960 की अवहेलना करते हुए व वर्षों से चली आ रही प्रचलित प्रक्रिया को बदलकर या उसे तोड़–मरोड़कर अपने निजी हित व स्वार्थों की पूर्ति कर प्रधान खनिजों के मंशा/पूर्वेक्षण अनुज्ञा–पत्रों के आवंटन में भिन्न–भिन्न प्रक्रिया अपनाई तथा निदेशालय के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा दिनांक 12.01.2015 को एक ही दिवस में 113 मंशा–पत्र एवं 14 पूर्वेक्षण अनुज्ञा–पत्र जारी कर दिये गये। इस एक दिवस में जितने आवंटन किये गये वे पूर्व में कभी निदेशालय ने तीन माह में भी जारी नहीं किये थे जो कि निम्न तालिका से स्पष्ट होता है:–

जनवरी 2014	फरवरी 2014	मार्च 2014	अप्रैल 2014	मई 2014	जून 2014	जुलाई 2014	अगस्त 2014	सित. 2014	अक्टू. 2014	नव. 2014	दिस. 2014	जनवरी 2015	योग
72	43	45	04	90	103	64	59	44	59	28	392	304	1306

उपर्युक्त तालिका को देखने मात्र से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि दिनांक 01.01.2014 से 30.11.2014 तक यानी 11 माह की अवधि में निदेशालय द्वारा कुल 610 मंशा/पूर्वेक्षण अनुज्ञा–पत्रों का आवंटन किया गया जबकि 43 दिन की अवधि में यानी 01.12.2014 से 12.01.2015 तक 696 आवंटन कर दिये गये, वह भी उस स्थिति में जबकि 17.11.2014 को केन्द्र सरकार द्वारा नवीन खान अधिनियम का ड्राफ्ट बिल वेबसाईट पर प्रकाशित कर उस पर सुझाव आमंत्रित करने के पश्चात् आवंटनों की दर पूर्व की दर से कम–से–कम आठ गुणा अधिक हो गई।

उल्लेखनीय यह भी है कि केन्द्र सरकार द्वारा नवीन खान अधिनियम का प्रारूप दिनांक 17.11.2014 की वेबसाईट पर प्रकाशित करने पर इसे केन्द्रीय मंत्रीमण्डल द्वारा दिनांक 06.01.2015 को मन्जूर कर दिया गया तथा निदेशालय के अधिकारियों एवं समस्त खनि अभियन्ताओं द्वारा यह मान लिया गया कि नवीन खान अधिनियम की

अधिसूचना कभी भी जारी हो सकती है तथा निदेशालय के अधिकारियों को यह जानकारी नहीं थी कि दिनांक 12.01.2015 को अधिसूचित नवीन खान अधिनियम अधिसूचित लागू कब होगा एवं वे यह समझते रहे कि यह अधिनियम दिनांक 12.01.2015 की अर्द्धरात्रि से लागू होगा और इसी कारण निदेशालय में खनि अभियन्ताओं के पहले से प्राप्त प्रस्ताव एवं बिना प्राप्त प्रस्तावों को खनि अभियन्ताओं से तत्परता से मँगवाकर दिनांक 12.01.2015 की तारीख में मंशा/पूर्वेक्षण अनुज्ञा–पत्रों (137) का आवंटन कर दिया। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त पत्रावलियों में से अधिकांश में कई वर्षों से कोई कार्यवाही नहीं की जा रही थी किन्तु अचानक दिनांक 11.01.2015 को रविवार के दिवस लगभग उपरोक्त सभी खनि कार्यालय खोले जाकर खनि रियायत नियम, 1960 की अवेहलना करते हुए बिना कोई प्रक्रिया अपनाये भ्रष्ट हेतुक के फलस्वरूप उपरोक्त लोक सेवकों के द्वारा अपने पद का दुरूपयोग करते हुए अवैध रूप से मंशा–पत्र/पूर्वेक्षण अनुज्ञा–पत्र जारी किये गये।

उक्त समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा उक्त कृत्य अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति या अपने निजी हितों के लिये अपने पदीय दायित्व एवं पथ से विचलित होकर कार्यालय में चल रही कार्य पद्धति एवं राजकीय कार्य में प्रचलित पद्धति को पूर्णरूपेण नियमों के विरूद्ध बदलते हुए अर्थात् प्रधान खनिजों से सम्बन्धित कोई भी डाक आवक–जावक शाखा में बिना दर्ज रजिस्टर किये सीधे ही निदेशालय के अधिकारी श्री नरेन्द्र सिंह शक्तावत व श्री पंकज गहलोत द्वारा सम्बन्धित लिपिक को मार्क कर व उसमें सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्ण कर मंशा/पूर्वेक्षण अनुज्ञा–पत्र जारी किये तथा निदेशालय में पूर्व से प्राप्त प्रस्तावों में से प्रस्ताव चुनकर सम्बन्धित लिपिक का मार्क कर उसमें तो मंशा–पत्र जारी कर दिये जबकि शेष प्राप्त प्रस्तावों जिनमें उन्हें मंशा–पत्र जारी नहीं करने थे या जिनमें उनसे आवेदक ने सम्पर्क नहीं किया, उन्हें एक तरफ रख दिया क्योंकि बिना दर्ज के उक्त प्रस्तावों का निदेशालय में आना ट्रेस ही नहीं किया जा सकता था।

निदेशालय के अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा दिनांक 12.01.2015 को किये गये आवंटनों/स्वीकृतियों में खनि अभियन्ताओं के कई प्रस्ताव ऐसे भी थे जिनमें महत्वपूर्ण

कमियाँ थी तथा उन कमियों के रहते हुए आवंटन/स्वीकृतियाँ जारी ही नहीं किये जा सकते थे किन्तु उनके द्वारा आवेदकों से सम्पर्क कर उन्हें निदेशालय में बुलाकर उनसे शपथ–पत्र प्राप्त करने व कमियों की पूर्ति के बहाने तालमेल बैठाकर उक्त आवंटन/स्वीकृतियाँ जारी किये गये।

सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि खनन पट्टों/पूर्वेक्षण अनुज्ञा–पत्रों की खनि अभियन्ता एवं निदेशालय स्तर की पत्रावलियों के अवलोकन से यह भी प्रकट हो रहा है कि सम्बन्धित खनि अभियन्ताओं द्वारा प्रश्नगत अवधि (दिनांक 24.11.2014 से 12.01.2015) में खान अधिनियम में वर्णित प्रावधानों को दरकिनार कर प्रस्ताव निदेशालय में प्रेषित किये गये क्योंकि उनमें प्रथमदृष्टया ही कमी दर्शित हो रही थी जिन्हें स्वयं खनि अभियन्ता (आरोपी लोक सेवक) द्वारा स्वीकार किया गया। वहीं दूसरी ओर निदेशालय स्तर पर भी उक्त कमियों को नजरन्दाज कर केवल–मात्र निजी हित/स्वार्थ व भ्रष्ट हेतुक से प्रेरित होकर उनकी पूर्ति कर येन–केन–प्रकारेण आवंटन/स्वीकृतियाँ जारी की गई जबकि प्रश्नगत अवधि से पूर्व खनन पट्टा पत्रावलियाँ विभिन्न एतराजात हेतु लम्बित रही। यह भी उल्लेखीय है कि दोनों (निदेशालय व खनि अभियन्ता) ही पत्रावलियों में विभिन्न तरह की कांट–छांट कर दस्तावेजात को कूटकृत करना व बेकडेट में विधिविरूद्ध कार्यवाही करना भी दर्शित होता है जो कि एक आपराधिक कृत्य की श्रेणी में आता है किन्तु उपर्युक्त लोक सेवकों के द्वारा समस्त कानून–कायदों को ताक पर रखकर अपने पदीय कर्त्तव्यों एवं दायित्वों से विमुख होकर केवल और केवल अपने निजी स्वार्थ/हित को ध्यान में रखा गया तथा प्रकरण में लोक सेवकों द्वारा किया गया कृत्य कल्पना से परे हैं क्योंकि उपर्युक्त परिस्थितियाँ यही दर्शाती है कि उपर्युक्त लोक सेवकों द्वारा यह मानस बना लिया गया था कि नवीन खान अध्यादेश आने से पूर्व ही अर्थात् दिनांक 12.01.2015 तक अधिक–से–अधिक स्वीकृतियाँ जारी करना हैं। इन परिस्थितियों में सक्षम स्तर से यह अपेक्षा की जाती है कि दोषी लोक सेवकों के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने पर भी विचार किया जाये।

साथ ही श्री पंकज गहलोत (तत्कालीन अतिरिक्त निदेशक) ने श्री नरेन्द्र सिंह शक्तावत (तत्कालीन अधीक्षण खनि अभियन्ता) मुख्यालय के साथ मिलकर खान और

खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 6 (1) (बी) व 11 (3) के आज्ञापक प्रावधानों की पालना में घोर उल्लंघन एवं पारदर्शिता के सिद्धान्त की पालना किये बिना ही उक्त स्वीकृतियाँ जारी की। इसके अतिरिक्त श्री नरेन्द्र सिंह शक्तावत द्वारा राजपत्र में अधिसूचित आवेदित क्षेत्र की पुनः जाँच करवाकर संशोधित मंशा–पत्र स्वीकृति प्रस्ताव सम्बन्धित सहायक/खनि अभियन्ता से मँगवाने की टिप्पणी अनधिकृत रूप से अंकित कर पत्रावली श्री पंकज गहलोत के समक्ष प्रस्तुत की जबकि इस सम्बन्ध में शासन से मार्गदर्शन/क्षेत्र संशोधन की स्वीकृति मँगवाने का प्रस्ताव रखना चाहिए था।

इस प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी सामने आई है कि उपर्युक्त समस्त मंशा–पत्रों/पूर्वेक्षण अनुज्ञा–पत्रों को जारी करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आरोपी लोक सेवक श्री नरेन्द्र सिंह शक्तावत व श्री पंकज गहलोत की रही है तथा उनके द्वारा खनन पट्टा आवंटन करने जैसे महत्वपूर्ण कार्य (जिसमें राज्य सरकार को अधिक–से–अधिक राजस्व प्राप्त है) में गंभीर अनियमितताएं कारित कर कूटकृत दस्तावेजों का प्रयोग पूर्ववर्ती दिनांकों में आंवटन करना पाया गया। हालांकि उक्त समस्त स्वीकृतियों को शासन के पत्र दिनांक 27.03.2015 के अनुसरण में रद्द कर दिया गया किन्तु प्रकरण में जिस प्रकार से समस्त नियम/कायदे/कानून को तांक पर रखकर उक्त दोनों लोक सेवकों द्वारा कार्यवाही (जिसे आम बोलचाल भाषा में धांधली कहते हैं) की गई, उसके अनुरूप राज्य सरकार द्वारा उन्हें दण्डित नहीं किया गया है जो कि काफी गंभीर व अशोभनीय है।

अभिलेख पर आई साक्ष्य, तर्क विवेचन एवं लोक सेवकों सर्वश्री जे.के. गुरूबशानी (तत्कालीन खनि अभियन्ता, जोधपुर), नाथूलाल मेघवाल (तत्कालीन खनि अभियन्ता, करौली) के विरूद्ध लगाये गये आरोपों के सम्बन्ध में पूर्व में अन्वेषण प्रतिवेदन दिनांक 21.06.2017 व 03.06.2016 में दोषी पाया जाकर नियमानुसार राज्य सरकार को उनके विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु अनुशंषा करना पाया गया एवं इसके अतिरिक्त आरोपी लोक सेवक एस.पी.शर्मा (तत्कालीन खनि अभियन्ता, अलवर) व शंकरलाल (तत्कालीन

कार्यालय अधीक्षक, प्रधान खनिज, निदेशालय, उदयपुर) के विरूद्ध लगाये गये आरोप प्रमाणित नहीं पाये जाने से उन्हें आरोपित आरोपों से उन्मोचित किया गया।

जबकि आरोपी लोक सेवक सर्वश्री देवीशंकर मारू (तत्कालीन निदेशक, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, उदयपुर), पंकज गहलोत (तत्कालीन अतिरिक्त निदेशक, निदेशालय, उदयपुर), नरेन्द्र सिंह शक्तावत (तत्कालीन अधीक्षण खनि अभियन्ता (मु0–द्वितीय) एवं प्रभारी, प्रधान खनिज अनुभाग, निदेशालय, उदयपुर), पूरणमल सिंघाड़िया (तत्कालीन खनि अभियन्ता, ब्यावर), ओमप्रकाश काबरा (तत्कालीन खनि अभियन्ता, आमेट), श्रीकृष्ण शर्मा (तत्कालीन खनि अभियन्ता, भीलवाड़ा), सतीश आर्य (तत्कालीन खनि अभियन्ता, उदयपुर), मनोज तंवर (तत्कालीन सहायक खनि अभियन्ता, कोटपूतली), हेमन्त पामेचा (तत्कालीन लिपिक, निदेशालय, उदयपुर) व दिनेश टेलर, तत्कालीन लिपिक (निदेशालय, उदयपुर) के स्पष्टीकरण, साक्ष्य एवं पत्रावली में प्रकट स्थिति के अनुसार उनका कृत्य दोषपूर्ण व नियम विरूद्ध श्रेणी/परिधि में आने व उनके द्वारा पदीय शक्ति का दुरूपयोग कर कर्त्तव्यों व दायित्वों से विमुख होकर कार्य करना प्रमाणित पाया गया है।

<u>अनुशंषा</u>

इस प्रकार लोक सेवकगण सर्वश्री देवीशंकर मारू (तत्कालीन निदेशक, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, उदयपुर), पंकज गहलोत (तत्कालीन अतिरिक्त निदेशक, निदेशालय, उदयपुर), नरेन्द्र सिंह शक्तावत (तत्कालीन अधीक्षण खनि अभियन्ता (मु0–द्वितीय) एवं प्रभारी, प्रधान खनिज अनुभाग, निदेशालय, उदयपुर), पूरणमल सिंघाड़िया (तत्कालीन खनि अभियन्ता, ब्यावर), ओमप्रकाश काबरा (तत्कालीन खनि अभियन्ता, आमेट), श्रीकृष्ण शर्मा (तत्कालीन खनि अभियन्ता, भीलवाड़ा), सतीश आर्य (तत्कालीन खनि अभियन्ता, उदयपुर), मनोज तंवर (तत्कालीन सहायक खनि अभियन्ता, कोटपूतली), हेमन्त पामेचा (तत्कालीन लिपिक, निदेशालय, उदयपुर) व दिनेश टेलर, तत्कालीन लिपिक (निदेशालय, उदयपुर) के विरूद्ध पदीय शक्ति का दुरूपयोग व कर्त्तव्य व दायित्वों के प्रति लापरवाही का मामला प्रमाणित होने से उनके विरूद्ध

राजस्थान लोकायुक्त तथा उप–लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 12 (1) के अधीन विद्यमान व प्रवृत्त अनुशासनिक नियमों के तहत वांछित अनुशासनिक कार्यवाही किये जाने के लिये उनके सक्षम प्राधिकारी को अनुशंषा कर की गई कार्यवाही से सचिवालय को अवगत करवाने का निर्देश दिया गया।

एफ.25(00)लोआस/2015

लोकसेवक सर्वश्री देवीशंकर मारू (तत्कालीन निदेशक, निदेशालय खान एवं भू–विज्ञान विभाग, उदयपुर), नरेन्द्र सिंह शक्तावत (तत्कालीन अधीक्षण खनि अभियन्ता (मु0–द्वितीय), निदेशालय खान एवं भू–विज्ञान विभाग, उदयपुर), शंकरलाल (तत्कालीन कार्यालय अधीक्षक, प्रधान शाखा, निदेशालय खान एवं भू–विज्ञान विभाग, उदयपुर), गणपत सिंह (तत्कालीन वरिष्ठ लिपिक, निदेशालय, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, उदयपुर), सोहन लाल रैगर (तत्कालीन खनि अभियन्ता, जैसलमेर), श्रीकृष्ण शर्मा (तत्कालीन खनि अभियन्ता, भीलवाड़ा) व मनोज कुमार तंवर (तत्कालीन सहायक खनि अभियन्ता, कोटपूतली)द्वारा उक्त प्रकरण से सम्बन्धित आवेदन–पत्र में पूर्वेक्षण अनुज्ञा–पत्र हेतु स्वीकृति प्रस्ताव भेजने एवं उसकी स्वीकृति के बारे में अनियमितता करने बाबत।

उक्त बिन्दु पर माननीय लोकायुक्त महोदय द्वारा दिनांक 22.06.2018 को प्रारम्भिक जाँच की गई प्रारम्भिक जाँच प्रतिवेदन दिनांक 18.10.2018 के आधार पर यह पाया गया कि निदेशालय के अधिकारियों ने प्रधान शाखा के स्वीकृति प्रस्तावों की प्रविष्टि केन्द्रीयकृत आवेदक रजिस्टर में करना बन्द करने के साथ–साथ प्रधान शाखा में भी इन प्रस्तावों की प्रविष्टि अपने अनुभाग में नहीं की गई तथा साथ ही उन्होंने प्रधान शाखा के सभी लिपिकों द्वारा रखी जाने वाली डायरियों का रख–रखाव भी बन्द कर दिया, इस कारण से ही उन्हें यह सुविधा हो गई कि किसी भी खनि अभियन्ता से प्राप्त स्वीकृति प्रस्तावों में वे अपने मनपसन्द के वे प्रस्ताव छांट लेते जिनमें उन्हें मंशा–पत्र जारी करने होते तथा शेष प्रस्तावों को (जिनमें मंशा–पत्र जारी नहीं करने थे)

ऐसे ही पड़े रखा तथा सम्भवतः नष्ट कर दिया। इस प्रकार "पिक एण्ड चूज" का उनका यह षडयन्त्र तब ही सम्भव था, जब केन्द्रीयकृत आवक शाखा, सम्बन्धित अनुभाग व सम्बन्धित क्लर्क के द्वारा स्वीकृति प्रस्तावों की प्राप्ति का कोई इन्द्राज नहीं किया जाये। यह भी पाया गया कि दिनांक 12.01.2015 को नवीन खान अध्यादेश आने से यह स्पष्ट हो गया कि अधिसूचित व नीलामी किये बिना खान आवंटन नहीं किया जा सकता परन्तु निदेशालय के अधिकारी यह मानकर चले कि दिनांक 12.01.2015 तक पुराने अधिनियम के तहत आवंटन किया जा सकता है एवं इसी कारण उन्होंने समस्त खनि अभियन्ताओं को यह निर्देश दिया कि दिनांक 12.01.2015 की तारीख में जितने भी लम्बित प्रस्ताव हैं, उनके स्वीकृति प्रस्ताव निदेशालय में प्रेषित करें जिस पर खनि अभियन्ताओं ने सम्भवतः दिनांक 15.01.2015 से 20.01.2015 तक को अवधि के प्रस्ताव 12 जनवरी, 2015 की तारीख लगाकर आधे–अधूरे स्वीकृति प्रस्ताव प्रेषित किये व निदेशालय ने इनमें से 'पिक एण्ड चूज' कर इन्हें दिनांक 12.01.2015 को प्राप्त होना बताकर आनन–फानन में मंशा–पत्र जारी कर दिये व शेष नापसन्द प्रस्ताव कचरे की टोकरी में डाल कर निदेशालय के अधिकारियों ने दस्तावेजों को कूटकृत करने के दण्डनीय कृत्य भी किये। इस प्रकार उपर्युक्त लोकसेवकों का कृत्य प्रथमदृष्टया दोषपूर्ण व नियम विरूद्ध श्रेणी/परिधि में आने से माननीय लोकायुक्त महोदय द्वारा दिनांक 18.10.2018 को प्रकरण में राजस्थान लोकायुक्त तथा उप–लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 10 के अधीन अन्वेषण करने अन्वेषण करने का निर्णय लिया गया।

अन्वेषण के दौरान दिनांक 01.11.2018 को सर्वश्री देवीशंकर मारू (तत्कालीन निदेशक, निदेशालय खान एवं भू–विज्ञान विभाग, उदयपुर), नरेन्द्र सिंह शक्तावत (तत्कालीन अधीक्षण खनि अभियन्ता (मु0–द्वितीय), निदेशालय खान एवं भू–विज्ञान विभाग, उदयपुर), शंकरलाल (तत्कालीन कार्यालय अधीक्षक, प्रधान शाखा, निदेशालय खान एवं भू–विज्ञान विभाग, उदयपुर), गणपत सिंह (तत्कालीन वरिष्ठ लिपिक, निदेशालय, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, उदयपुर), सोहन लाल रैगर (तत्कालीन खनि अभियन्ता, जैसलमेर), श्रीकृष्ण शर्मा (तत्कालीन खनि अभियन्ता, भीलवाड़ा) व मनोज कुमार तंवर (तत्कालीन सहायक खनि अभियन्ता, कोटपूतली) के विरूद्ध राजस्थान

लोकायुक्त तथा उप–लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 10 (1) (क) के अन्तर्गत अन्वेषण के आधारों का विवरण व परिवाद को छाया प्रति सहित नोटिस जारी कर इस अन्वेषण कार्यवाही की सूचना सक्षम प्राधिकारी (प्रभारी मंत्री व अतिरिक्त मुख्य सचिव, खान एवं पेट्रोलियम विभाग) को भी दी गई।

उपर्युक्त रूप से आरोपी लोकसेवकों का समग्र मामला उनके द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण (जवाब) एवं प्रारम्भिक जाँच के दौरान लेखबद्ध साक्ष्य और विभिन्न दस्तावेजों पर आधारित होने से उपलब्ध अभिलेख एवं सम्बन्धित विधि का सावधानीपूर्वक अवलोकन कर आरोपी लोकसेवकों को सुना गया।

निष्कर्षः–

इस प्रकार उपर्युक्त रूप से अभिलेख पर आयी साक्ष्य एवं तर्क विवेचन के आधार पर आरोपी लोकसेवक सर्वश्री देवीशंकर मारू (तत्कालीन निदेशक, निदेशालय खान एवं भू–विज्ञान विभाग, उदयपुर), नरेन्द्र सिंह शक्तावत (तत्कालीन अधीक्षण खनि अभियन्ता (मु0–द्वितीय), निदेशालय खान एवं भू–विज्ञान विभाग, उदयपुर), गणपत सिंह (तत्कालीन वरिष्ठ लिपिक, निदेशालय, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, उदयपुर), सोहन लाल रैगर (तत्कालीन खनि अभियन्ता, जैसलमेर), श्रीकृष्ण शर्मा (तत्कालीन खनि अभियन्ता, भीलवाड़ा) व मनोज कुमार तंवर (तत्कालीन सहायक खनि अभियन्ता, कोटपूतली) के विरूद्ध क्रियाविधि पुस्तिका का पालन राज्य सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार नहीं करने एवं "पिक एण्ड चूज" की नीति अपनाकर मनमर्जी से आवेदन–पत्रों व प्रस्तावों में कार्यवाही कर उनके संलग्न दस्तावेजात को कूटकृत करने आदि के आरोप प्रमाणित पाये गये हैं तथा उनका उक्त कृत्य दोषपूर्ण व नियम विरूद्ध श्रेणी/परिधि में आने व उनके द्वारा पदीय शक्ति का दुरूपयोग कर कर्त्तव्यों व दायित्वों से विमुख होकर कार्य करने को दर्शाता है। उक्त कृत्यों के लिये उपरोक्त लोकसेवकगण दोषी पाये गये।

<u>अनुशंषा</u>

इस प्रकार लोकसेवक सर्वश्री देवीशंकर मारू (तत्कालीन निदेशक, निदेशालय खान एवं भू–विज्ञान विभाग, उदयपुर), नरेन्द्र सिंह शक्तावत (तत्कालीन अधीक्षण खनि अभियन्ता (मु0–द्वितीय), निदेशालय खान एवं भू–विज्ञान विभाग, उदयपुर), गणपत सिंह (तत्कालीन वरिष्ठ लिपिक, निदेशालय, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, उदयपुर), सोहन लाल रैगर (तत्कालीन खनि अभियन्ता, जैसलमेर), श्रीकृष्ण शर्मा (तत्कालीन खनि अभियन्ता, भीलवाड़ा) व मनोज कुमार तंवर (तत्कालीन सहायक खनि अभियन्ता, कोटपूतली) के विरूद्ध पदीय शक्ति का दुरूपयोग, कर्त्तव्य व दायित्वों के प्रति लापरवाही का मामला प्रमाणित होने से उनके विरूद्ध राजस्थान लोकायुक्त तथा उप–लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 12 (1) के अधीन विद्यमान व प्रवृत्त अनुशासनिक नियमों के तहत वांछित अनुशासनिक कार्यवाही की जाकर इस सचिवालय को अवगत करवाने की अनुशंसा की गई ।

एफ.25(8)लोआस / 2018

इस प्रकरण में आवेदक कम्पनी को अनुचित लाभ पहुँचाने के आशय से एमसीआर, 1960 के नियम 22 (3) (एच), 22(3)(डी) व 22(3)(एफ) के माध्यम से लोक सेवकों सर्वश्री अशोक सिंघवी, (तत्कालीन प्रमुख शासन सचिव, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर), देवीशंकर मारू, तत्कालीन निदेशक, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, उदयपुर, पंकज गहलोत (तत्कालीन अतिरिक्त निदेशक, निदेशालय, उदयपुर), नरेन्द्र सिंह शक्तावत, (तत्कालीन अधीक्षण खनि अभियन्ता (मु0–द्वितीय) एवं प्रभारी, प्रधान खनिज अनुभाग, निदेशालय, उदयपुर), बी.एस. सोढा (तत्कालीन विशेषाधिकारी (तकनीकी), खान एवं भू–विज्ञान विभाग, उदयपुर) व राजीव चौधरी, तत्कालीन खनि अभियन्ता, राजसमन्द द्वितीय, के विरूद्ध राजस्थान लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 10 के अन्तार्गत अन्वेषण करने का निर्णय लिया गया।

इस सचिवालय को माननीय राज्यपाल महोदय के आदेशानुसार खान विभाग द्वारा दिनांक 01.11.2014 से 12.01.2015 के मध्य की अवधि में जारी किये गये पूर्वेक्षण अनुज्ञा–पत्रों/मंशा–पत्रों की वृहद जाँच सौंपी गई जिसमें उक्त अवधि में जारी सभी आवंटन/स्वीकृतियों के सम्बन्ध में सम्पूर्ण आवंटन प्रक्रिया को जाँच कर जाँच में अधिकारियों का कृत्य व लोप शामिल होने पर उनकी जिम्मेदारी तय की जाकर पाई/सामने आई कमियों को भविष्य में दूर करने के लिए अपनाये जाने वाले सुझाव देने को कहा गया।

तदुपरान्त आरोपी लोक सेवकों सर्वश्री अशोक सिंघवी, (तत्कालीन प्रमुख शासन सचिव, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर), देवीशंकर मारू, तत्कालीन निदेशक, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, उदयपुर, पंकज गहलोत (तत्कालीन अतिरिक्त निदेशक, निदेशालय, उदयपुर), नरेन्द्र सिंह शक्तावत, (तत्कालीन अधीक्षण खनि अभियन्ता (मु0–द्वितीय) एवं प्रभारी, प्रधान खनिज अनुभाग, निदेशालय, उदयपुर), बी.एस. सोढा (तत्कालीन विशेषाधिकारी (तकनीकी), खान एवं भू–विज्ञान विभाग, उदयपुर) व राजीव चौधरी (तत्कालीन खनि अभियन्ता, राजसमन्द–द्वितीय) के विरूद्ध प्रथमदृष्टया यह पाया गया कि उनके द्वारा जानबूझकर भ्रष्ट हेतुक से प्रेरित होकर आवेदक कम्पनी को अनुचित लाभ पहुँचाने के आशय से एमसीआर, 1960 के नियम 22 (3) (एच), 22(3)(डी) व 22(3)(एफ) के उल्लंघन में अनियमित एवं विधिविरूद्ध कार्यवाही की गई। तत्पश्चात् उनके विरूद्ध राजस्थान लोकायुक्त तथा उप–लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 10 के अन्तर्गत अन्वेषण किया जाना प्रस्तावित किया गया है जिसे माननीय लोकायुक्त महोदय द्वारा अन्वेषण कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

दौराने अन्वेषण यह पाया गया कि आरोपी लोक सेवक श्री राजीव चौधरी, तत्कालीन खनि अभियन्ता, राजसमन्द–द्वितीय द्वारा खनन पट्टा संख्या 113/08 के आवेदित क्षेत्र में सीमांकन रिपोर्ट दिनांक 10.04.2011 के अनुसार आठ खसरा खातेदारी के पड़ने के बावजूद भी एमसीआर, 1960 के नियम 22(3)(एच) के अन्तर्गत आवेदक से आवेदित क्षेत्र में पड़ने वाले खातेदारी के खसरों के खातेदारों से खनन कार्य करने की

सहमति प्राप्त करने का शपथ–पत्र प्राप्त किये बिना ही स्वीकृति प्रस्ताव दिनांक 25.07.2011 को निदेशालय, खान विभाग को प्रेषित किया।

- इसी प्रकार खनि अभियन्ता, राजसमन्द–द्वितीय के खनन पट्टा सं. 113/2008 में शासन द्वारा अपने पत्रांक प.5(26)खान/ग्रुप–2/2012 दिनांक 18.12.2013 के साथ भारत सरकार, खान मंत्रालय के पत्र दिनांक 09.12.2013 की प्रति प्रेषित कर निदेशालय की टिप्पणी/प्रस्ताव मँगवाये। उक्त पत्र पर आरोपी लोकसेवक श्री पंकज गहलोत एवं श्री नरेन्द्र सिंह शक्तावत द्वारा मंशा–पत्र स्वीकृति प्रस्ताव प्रेषित किये जाने हेतु दिनांक 04.07.2014 एवं दिनांक 19.12.2014 को अपनी टिप्पणी आरोपी लोकसेवक श्री देवी शंकर मारू के समक्ष प्रस्तुत की जिसका श्री देवी शंकर मारू द्वारा अनुमोदित किया गया। महत्वपूर्ण तथ्य है कि प्रकरण में आवेदक कम्पनी के निदेशक श्री रत्नेश्वर माहेश्वरी एवं श्री अनिल कुमार के पक्ष में पूर्व से धृत एम.एल./पी.एल. के संबंध में एमसीआर, 1960 के नियम 22(3)(i)(d) के अधीन नवीनतम अदेयता प्रमाण–पत्र खनि अभियन्ता, राजसमन्द (खण्ड–द्वितीय) से प्राप्त नहीं हुआ तथा न ही एमसीआर, 1960 के नियम 22(3)(i)(d) व 22(3)(i)(f) के अधीन अद्यतन आयकर रिटर्न जमा कराने एवं आयकर की राशि का भुगतान करने के सम्बन्ध में नवीनतम शपथ–पत्र प्राप्त हुए।

- यह भी पाया गया है कि आरोपी लोक सेवकों सर्वश्री श्री अशोक सिंघवी व बी. एस. सोढ़ा द्वारा खनि अभियन्ता, राजसमन्द (खण्ड–द्वितीय) के खनन पट्टा संख्या 113/08 के मंशा–पत्र स्वीकृति प्रस्ताव के साथ एमसीआर, 1960 के नियम 22(3)(i)(d) के अन्तर्गत आवेदक कम्पनी के निदेशकों के पक्ष में पूर्व से धृत एम.एल./पी.एल. के संबंध में अदेयता प्रमाण–पत्र एवं नियम 22(3)(i)(f) के अनुसार आवेदक कम्पनी व उसके निदेशकों के अद्यतन आयकर रिटर्न जमा कराने एवं आयकर की राशि का भुगतान करने के संबंध में नवीनतम शपथ–पत्र प्राप्त नहीं होने एवं दिनांक 22.12.2014 को निदेशालय से प्राप्त मंशा–पत्र स्वीकृति प्रस्ताव पर कीननेस मनी एक लाख रूपये प्रति हैक्टेयर की दर से बैंक गारंटी के रूप में

मँगवाये जाने का निर्देश दिये बिना ही आरोपी लोक सेवक श्री सोढा ने मंशा–पत्र जारी करने का प्रस्ताव आरोपी लोक सेवक श्री सिंघवी के समक्ष रखा जिसका अनुमोदन उनके द्वारा करते हुए मंशा पत्र जारी करना खान मंत्री से अनुमोदित करवा लिया।

निष्कर्ष:–

उपरोक्त रूप से अभिलेख पर आयी साक्ष्य एवं तर्क विवेचन के आधार पर सर्वश्री अशोक सिंघवी, (तत्कालीन प्रमुख शासन सचिव, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर), देवीशंकर मारू, तत्कालीन निदेशक, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, उदयपुर, पंकज गहलोत (तत्कालीन अतिरिक्त निदेशक, निदेशालय, उदयपुर), नरेन्द्र सिंह शक्तावत, (तत्कालीन अधीक्षण खनि अभियन्ता (मु0–द्वितीय) एवं प्रभारी, प्रधान खनिज अनुभाग, निदेशालय, उदयपुर), बी.एस. सोढा (तत्कालीन विशेषाधिकारी (तकनीकी), खान एवं भू–विज्ञान विभाग, उदयपुर) व राजीव चौधरी, तत्कालीन खनि अभियन्ता, राजसमन्द–द्वितीय के विरूद्ध खान पट्टा सं. 113/2008/ की पत्रावली में मंशा–पत्र स्वीकृति की प्रक्रिया में भ्रष्ट हेतुक से प्रेरित होकर अनियमित एवं नियम विरूद्ध कार्यवाही कर अपने कर्तव्य पालन में दुराचरण किया जाना प्रमाणित पाया गया।

<u>अनुशंषा</u>

इस प्रकार लोक सेवकगण सर्वश्री अशोक सिंघवी, (तत्कालीन प्रमुख शासन सचिव, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर), देवीशंकर मारू, तत्कालीन निदेशक, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, उदयपुर, पंकज गहलोत (तत्कालीन अतिरिक्त निदेशक, निदेशालय, उदयपुर), नरेन्द्र सिंह शक्तावत, (तत्कालीन अधीक्षण खनि अभियन्ता (मु0–द्वितीय) एवं प्रभारी, प्रधान खनिज अनुभाग, निदेशालय, उदयपुर), बी.एस. सोढा (तत्कालीन विशेषाधिकारी (तकनीकी), खान एवं भू–विज्ञान विभाग, उदयपुर) व राजीव चौधरी, तत्कालीन खनि अभियन्ता, राजसमन्द–द्वितीय, के विरूद्ध प्रश्नगत खनन

पट्टा की पत्रावली में खनन पट्टा की स्वीकृति की प्रक्रिया के दौरान भ्रष्ट हेतुक से प्रेरित होकर अनियमित एवं नियम विरूद्ध कार्यवाही कर अपने कर्तव्य पालन में दुराचरण किया जाना प्रमाणित पाये जाने से उनके विरूद्ध राजस्थान लोकायुक्त तथा उप–लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 12 (1) के अधीन विद्यमान व प्रवृत्त अनुशासनिक नियमों के तहत वांछित अनुशासनिक कार्यवाही की जाकर इस सचिवालय को अवगत करवाने की अनुशंषा की गई ।

एफ.45(40 व 102)लोआस/2014 पार्ट–2

यह अनूपूरक प्रकरण माननीय राज्यपाल महोदय के आदेशानुसार खान विभाग द्वारा दिनांक 01.11.2014 से 12.01.2015 के मध्य की अवधि में जारी किये गये पूर्वेक्षण अनुज्ञा–पत्रों/मंशा–पत्रों की वृहद जाँच सौंपने से ही सम्बद्ध रखता है।

इस सचिवालय द्वारा दिनांक 16.12.2016 को उक्त प्रकरण से सम्बन्धित समस्त मूल सभी पत्रावलियों की प्रारम्भिक जाँच कर दोषी लोक सेवकों सर्वश्री अशोक सिंघवी (तत्कालीन प्रमुख शासन सचिव (खान विभाग)), विजयपाल सिंह (तत्कालीन संयुक्त सचिव (खान विभाग), बी. एस. सोढा (तत्कालीन विशेषाधिकारी (खान विभाग), देवीशंकर मारू (तत्कालीन निदेशक, खान एवं भू–विज्ञान विभाग), पंकज गहलोत (तत्कालीन अतिरिक्त निदेशक (खान विभाग) एवं श्री नरेन्द्र सिंह शक्तावत (तत्कालीन अधीक्षण खनि अभियन्ता, खान विभाग (मुख्यालय), निदेशालय, उदयपुर के विरूद्ध राजस्थान लोकायुक्त तथा उप–लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 10 के अधीन पत्रावली सं. 45 (40)/2014 व 45 (102)/2015 में अन्वेषण पूर्ण किया जाकर अन्वेषण प्रतिवेदन दिनांक 21.12.2018 को प्रेषित किया गया तथा बाद अन्वेषण उपर्युक्त लोक सेवकों के दोषी पाये जाने पर उनके विरूद्ध राजस्थान लोकायुक्त तथा उप–लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 12 (1) के अधीन अन्तर्गत विद्यमान एवं प्रवृत्त अनुशासनिक नियमों के अन्तर्गत वांछित अनुशासनिक व यथोचित कार्यवाही किये जाने की अनुशंषा सक्षम प्राधिकारी को की गई।

उक्त अन्वेषण प्रतिवेदन दिनांक 21.12.2018 में यह तथ्य भी सामने आया कि लोक सेवक श्री सोहनलाल रेगर (तत्कालीन खनि अभियन्ता, जैसलमेर) द्वारा लाफार्ज इण्डिया प्रा. लि. के खनन पट्टा संख्या 08/11 व श्री सीमेन्ट लि. के खनन पट्टा संख्या 23/11 एवं श्री राजेश हाड़ा (तत्कालीन सहायक खनि अभियन्ता, निम्बाहेड़ा) द्वारा वण्डर सीमेन्ट लि. के खनन पट्टा संख्या 73/11 के प्रस्ताव प्रेषित करने की प्रक्रिया के दौरान प्रथमदृष्ट्या अनियमितता एवं नियम विरूद्ध कार्यवाही की गई जिस पर माननीय लोकायुक्त महोदय द्वारा इनके विरूद्ध राजस्थान लोकायुक्त तथा उप–लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 10 के अन्तर्गत अन्वेषण किया जाना सुनिश्चित किया गया।

इस प्रकार यह अन्वेषण कार्यवाही मूल पत्रावली सं. 45 (40)/2014 व 45 (102)/2015 पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य पर आधारित है क्योंकि यह प्रकरण उसी पत्रावली का पार्ट प्रकरण है।

प्रकरण में शासन द्वारा राजपत्र में अधिसूचना दिनांक 14.10.2010 को जारी कर पारेवर एस.एन.–2 जिला जैसलमेर ब्लॉक एवं पारेवर एस.एन.–5 जिला जैसलमेर ब्लॉक हेतु खनिज लाइमस्टोन (सीमेन्ट ग्रेड) के लिए आवेदन–पत्र दिनांक 10.01.2011 से दिनांक 08.02.2011 तक आमंत्रित करने पर पारेवर एस.एन.–2 जिला जैसलमेर ब्लॉक हेतु 58 एवं पारेवर एस.एन.–5 जिला जैसलमेर ब्लॉक हेतु 54 आवेदन–पत्र खनन पट्टा के सम्बन्ध प्राप्त हुए। उक्त दोनों ब्लॉकों हेतु एक–एक आवेदन–पत्र पूर्वेक्षण अनुज्ञा–पत्र हेतु भी प्राप्त हुए। एमएमडीआर एक्ट, 1957 की धारा 11(3) के अन्तर्गत सूचना प्रेषित करने हेतु पारेवर एस.एन.–2 जिला जैसलमेर ब्लॉक के आवेदकों को दिनांक 15.03.2011 एवं पारेवर एस.एन.–5 जिला जैसलमेर ब्लॉक के आवेदकों को दिनांक 24.03.2011 को नोटिस जारी किये गये। राजस्थान सरकार, खान (ग्रुप–2) विभाग ने अपने पत्रांक प.3(175)खान/ग्रुप–2/2007–पार्ट–2 दिनांक 07.02.2013 से निदेशक, खान विभाग को यह निर्देश दिये कि खनिज लाइमस्टोन (सीमेन्ट ग्रेड) के जिला जैसलमेर, नागौर एवं चित्तौड़गढ़ में रिक्त घोषित 12 ब्लॉकों पर प्राप्त आवेदन–पत्रों के सम्बन्ध में एमएमडीआर एक्ट, 1957 की धारा 11(3) सपठित धारा

11(4) के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए उक्त 12 ब्लॉकों के सम्बन्ध में आवश्यक प्रस्ताव शासन को शीघ्र भिजवाये जाये जिस पर निदेशालय द्वारा उक्त निर्देशों की पालना में एमएमडीआर एक्ट, 1957 की धारा 11(3) के अन्तर्गत प्राथमिकता का निर्धारण करने हेतु दिनांक 06.02.2013 की एक कमेटी का गठन किया गया तथा कमेटी द्वारा एमएमडीआर एक्ट, 1957 की धारा 11(3) के अन्तर्गत व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आवेदकों को नोटिस जारी कर उपस्थित आवेदकों की दिनांक 20.08.2013 को सुनवाई कर निदेशालय द्वारा पारेवर एस.एन.–2 जिला जैसलमेर ब्लॉक के लिए लाफार्ज इण्डिया प्रा. लि. एवं पारेवर एस.एन.–5 जिला जैसलमेर ब्लॉक के लिए श्री सीमेन्ट लि. के पक्ष में प्राथमिकता निर्धारण करने का प्रस्ताव दिनांक 27.11.2014 एवं कारूण्डा, पायरी, धनोरा, मालियाखेड़ी, जिला चित्तौड़गढ़ ब्लॉक के लिए वण्डर सीमेन्ट लि. के पक्ष में प्राथमिकता निर्धारण का प्रस्ताव दिनांक 25.11.2014 को शासन को प्रेषित किया गया।

शासन द्वारा लाफार्ज इण्डिया प्रा. लि. व श्री सीमेन्ट लि. एवं वण्डर सीमेन्ट लि. के पक्ष में निदेशालय द्वारा प्रेषित किये गये तथा प्राथमिकता निर्धारण के प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया एवं निदेशालय को दिनांक 17.12.2014 की पत्र प्रेषित कर उक्त आवेदकों के पक्ष में स्वीकृति प्रस्ताव, अस्वीकृति योग्य आवेदन–पत्रों को अस्वीकृत करने की कार्यवाही पूर्ण कर अस्वीकृति के प्रस्ताव तथा तीनों आवेदकों के पक्ष में पूर्व से धृत खनन पट्टा तथा प्रश्नगत खनन पट्टा का कुल क्षेत्र 10 वर्ग किलोमीटर से अधिक हो जाने के कारण एमएमडीआर एक्ट, 1957 की धारा 6(1)(बी) के तहत भारत सरकार की शिथिलता प्राप्त किये जाने हेतु आवश्यक प्रस्ताव शासन की भिजवाये जाने के निर्देश दिये गये।

शासन के पत्र दिनांक 17.12.2014 की पालना में निदेशालय द्वारा खनि अभियन्ता, जैसलमेर को अपने पत्र दिनांक 18.12.2014 के साथ उक्त पत्र दिनांक 17.12.2014 की प्रति प्रेषित कर यह निर्देश दिये गये कि शासन के उक्त पत्रानुसार लाफार्ज इण्डिया प्रा. लि. एवं श्री सीमेन्ट लि. के पक्ष में एमएमडीआर एक्ट, 1957 की धारा 6(1)(बी) के अन्तर्गत तथा वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार की गाइडलाइन्स दिनांक 30.10.2014 के अनुसार खनन पट्टा के स्वीकृति प्रस्ताव शीघ्र

भेजे। खनि अभियन्ता, जैसलमेर ने निदेशालय के पत्र दिनांक 18.12.2014 की पालना में विधिक औपचारिकताओं की पूर्ति करने के पश्चात आवेदक लाफार्ज इण्डिया प्रा. लि. एवं श्री सीमेन्ट लि. के पक्ष में स्वीकृति प्रस्ताव दिनांक 24.12.2014 को निदेशालय, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, उदयपुर को प्रेषित किये।

इसी प्रकार निदेशालय द्वारा सहायक खनि अभियन्ता, निम्बाहेड़ा को अपने पत्र दिनांक 18.12.2014 के साथ शासन के पत्र दिनांक 17.12.2014 की प्रति प्रेषित कर यह निर्देश दिये कि शासन के उक्त पत्रानुसार वण्डर सीमेन्ट लि. के पक्ष में एमएमडीआर एक्ट, 1957 की धारा 6(1)(बी) के अन्तर्गत तथा वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार की गाइडलाइन्स दिनांक 30.10.2014 के अनुसार खनन पट्टा के स्वीकृति प्रस्ताव शीघ्र भेजे। सहायक खनि अभियन्ता, निम्बाहेड़ा ने निदेशालय के पत्र दिनांक 18.12.2014 की पालना में विधिक औपचारिकताओं की पूर्ति करने के पश्चात् आवेदक वण्डर सीमेन्ट लि. के पक्ष में स्वीकृति प्रस्ताव दिनांक 24.12.2014 को निदेशालय, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, उदयपुर को प्रेषित किये।

अन्वेषण के दौरान दिनांक 28.12.2012 को सर्वश्री सोहनलाल रेगर (तत्कालीन खनि अभियन्ता, जैसलमेर) एवं श्री राजेश हाड़ा (तत्कालीन सहायक खनि अभियन्ता, निम्बाहेड़ा) के विरूद्ध राजस्थान लोकायुक्त तथा उप–लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 10 (1) (क) के अन्तर्गत अन्वेषण के आधारों का विवरण व परिवाद की छाया प्रति सहित नोटिस जारी कर इस अन्वेषण कार्यवाही की सूचना सक्षम प्राधिकारी (प्रभारी मंत्री व अतिरिक्त मुख्य सचिव, खान एवं पेट्रोलियम विभाग) को भी दी गई।

अन्वेषण कार्यवाही के दौरान आरोपी लोक सेवक श्री सोहनलाल रेगर (तत्कालीन खनि अभियन्ता, जैसलमेर) निम्न अनियमितताओं के लिये दोषी पाया गया:–

1. आवेदित क्षेत्रों का खान विभाग की परिपाटी व परिपत्र दिनांक 29.09.2006. की पालना में ईको–फ्रैण्डली निरीक्षण नहीं किया।

2. आवेदित क्षेत्रों में खातेदारी के खसरे पड़ रहे थे परन्तु आवेदकों से आवेदित क्षेत्र में पड़ने वाले खातेदारी के खसरों के खातेदारों से खनन कार्य करने की

सहमति प्राप्त करने का शपथ–पत्र/अण्डरटेकिंग एमसीआर, 1960 के नियम 22(3)(एच) के अन्तर्गत प्राप्त कर मंशा–पत्र स्वीकृति प्रस्तावों के साथ निदेशालय को प्रेषित नहीं किये।

3. आवेदकों से एमसीआर, 1960 के नियम 22(3)(i)(d) के अनुसार पूर्व में धृत खनन पट्टों के सम्बन्ध में सरकार द्वारा अधिकृत किसी प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये नवीनतम अदेयता प्रमाण पत्र प्राप्त कर मंशा–पत्र स्वीकृति प्रस्तावों के साथ निदेशालय को प्रेषित नहीं किये।

4. आवेदकों से एमसीआर, 1960 के नियम 22(3)(i)(f) के अनुसार अद्यतन आयकर रिटर्न जमा कराने एवं आयकर को राशि का भुगतान करने के सम्बन्ध में नवीनतम शपथ–पत्र प्राप्त कर मंशा–पत्र स्वीकृति प्रस्तावों के साथ निदेशालय को प्रेषित नहीं किये।

5. आवेदकों से एमसीडीआर, 1988 के अनुसार प्रोग्रेसिव माइन क्लोजिंग प्लान एवं वित्तीय आश्वासन के शपथ–पत्र प्राप्त कर मंशा–पत्र स्वीकृति प्रस्ताव के साथ निदेशालय को प्रेषित नहीं किये।

6. आवेदकों के आवेदित क्षेत्रों हेतु वन विभाग से वन अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही मंशा–पत्र स्वीकृति प्रस्ताव निदेशालय को प्रेषित किये।

7. निदेशालय के पत्र दिनांक 16.12.2014 एवं शासन के पत्र दिनांक 17.12.2014 के अनुसार उक्त आवेदकों के पक्ष में एमएमडीआर एक्ट, 1957 की धारा 8(1)(बी) के अन्तर्गत भारत सरकार से शिथिलता प्राप्त करने के प्रस्ताव निदेशालय को प्रेषित नहीं किये।

इसके अतिरिक्त दौराने अन्वेषण आरोपी लोक सेवक श्री राजेश हाड़ा (तत्कालीन सहायक खनि अभियन्ता, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ) को निम्न अनियमितताओं के लिये दोषी पाया गयाः–

1. आवेदित क्षेत्र के ब्लॉक कारूण्डा, पायरी, धनोरा, मालियाखेड़ी जिला चित्तौड़गढ़ का खान विभाग की परिपाटी के अनुसार प्री–सीमांकन नहीं करवाया।
2. आवेदित क्षेत्र का खान विभाग की परिपाटी व परिपत्र दिनांक 29.09.2003 की पालना में ईको–फ्रैण्डली निरीक्षण नहीं किया।
3. राजकीय राजपत्र में अधिसूचित क्षेत्र 7.9144 वर्ग किलोमीटर को आवेदक के प्रार्थना पत्र दिनांक 19.12.2014 के आधार पर अनधिकार संशोधित कर 2.55 वर्ग किलोमीटर कर दिया।
4. आवेदित क्षेत्र में खातेदारी के खसरे पड़ रहे थे परन्तु आवेदक से आवेदित क्षेत्र में पड़ने वाले खातेदारी के खसरों के खातेदारों से खनन कार्य करने की सहमति प्राप्त करने का शपथ पत्र/अण्डरटेकिंग एमसीआर, 1960 के नियम 22(3)(एच) के अन्तर्गत प्राप्त कर मंशा पत्र स्वीकृति प्रस्ताव के साथ निदेशालय को प्रेषित नहीं किया।
5. आवेदक से एमसीआर, 1960 के नियम 22(3)(i)(d) के अनुसार पूर्व में धृत खनन पट्टों के सम्बन्ध में सरकार द्वारा अधिकृत किसी प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया नवीनतम अदेयता प्रमाण–पत्र प्राप्त कर मंशा पत्र स्वीकृति प्रस्ताव के साथ निदेशालय को प्रेषित नहीं किया।
6. आवेदक से एमसीआर, 1960 के नियम 22(3)(i)(f) के अनुसार अद्यतन आयकर रिटर्न जमा कराने एवं आयकर की राशि का भुगतान करने के सम्बन्ध में नवीनतम शपथ पत्र प्राप्त कर मंशा–पत्र स्वीकृति प्रस्ताव के साथ निदेशालय को प्रेषित नहीं किया।
7. आवेदक से एमसीडीआर, 1988 के अनुसार प्रोग्रेसिव माइन क्लोजिंग प्लान एवं वित्तीय आश्वासन का शपथ–पत्र प्राप्त कर मंशा–पत्र स्वीकृति प्रस्ताव के साथ निदेशालय को प्रेषित नहीं किया।
8. इस तथ्य की जानकारी होते हुए भी कि आवेदित क्षेत्र में चारागाह भूमि के खसरा पड़ रहे थे एवं आवेदित क्षेत्र को राज्य सरकार द्वारा गजट में

अधिसूचित किया गया था, चारागाह भूमि में खनन पट्टा स्वीकृत नहीं किया जा सकता था। चारागाह के सम्बन्ध में निदेशालय से मार्गदर्शन माँगने के बजाय चारागाह के तथ्य को छुपाते हुए मंशा–पत्र स्वीकृति प्रस्ताव निदेशालय को प्रेषित किया।

9. आवेदक वण्डर सीमेन्ट द्वारा दिनांक 19.12.2014 को आवेदित क्षेत्र का संशोधन किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र मय मानचित्रकार एवं विवरण सूची के प्रस्तुत किया गया था। मानचित्रकार द्वारा दिनांक 22.12.2014 को संशोधित आवेदित क्षेत्र की जांच की जाकर यह प्रस्ताव रखा गया कि आवेदित क्षेत्र के नजदीक ही जे. के. सीमेन्ट वर्क्स का खनन पट्टा धृत है, जे. के. सीमेन्ट वर्क्स के धृत क्षेत्र के सीमांकन के एफआरपी से आवेदक कम्पनी की सहमति लेते हुए क्षेत्र का ऑनलाइन इन्द्राज कराने हेतु निदेशालय को लिखा जाये परन्तु आवेदक से सहमति लेते हुए संशोधित क्षेत्र का ऑनलाइन कराने की कार्यवाही मंशा पत्र स्वीकृति प्रस्ताव निदेशालय को प्रेषित करने से पूर्व नहीं करवाई।

निष्कर्षः–

अभिलेख पर आयी साक्ष्य एवं तर्क विवेचन के आधार पर श्री सोहनलाल रेगर (तत्कालीन खनि अभियन्ता, जैसलमेर) एवं श्री राजेश हाड़ा (तत्कालीन सहायक खनि अभियन्ता, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़) के विरूद्ध प्रश्नगत पत्रावलियों के खनन पट्टा स्वीकृति प्रस्ताव निदेशालय, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, उदयपुर को भेजने की प्रक्रिया के दौरान अकर्मण्यता एवं घोर लापरवाही बरतकर अनियमित कार्यवाही किया जाना प्रमाणित पाया गया।

अनुशंषा

इस प्रकार लोक सेवक श्री सोहनलाल रेगर (तत्कालीन खनि अभियन्ता, जैसलमेर) एवं श्री राजेश हाड़ा (तत्कालीन सहायक खनि अभियन्ता, निम्बाहेड़ा) के विरूद्ध खनन पट्टा को प्रश्नगत पत्रावलियों में खनन पट्टा की स्वीकृति प्रक्रिया के दौरान अनुशासनहीनता, अकर्मण्यता व लापरवाही बरतकर अनियमित कार्यवाही किया जाना प्रमाणित पाये जाने से उनके विरूद्ध राजस्थान लोकायुक्त तथा उप–लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 12 (1) के अधीन विद्यमान व प्रवृत अनुशासनिक नियमों के तहत वांछित अनुशासनिक कार्यवाही किये जाने के लिये उनके सक्षम प्राधिकारी को सिफारिश करते हुए की गई कार्यवाही से इस सचिवालय को अवगत करवाने का निर्देश दिया गया।

प्रतिवेदन अवधि के दौरान इस सचिवालय की कार्यवाही पर विभागों द्वारा दोषी लोकसेवकों के विरुद्ध विभागीय स्तर पर की गई अनुशासनिक कार्यवाही की सूची ।

क.सं.	पत्रावली संख्या	लोकसेवक का नाम/पदनाम	विवरण
1.	2(6)/las/2017	01. श्री ओमप्रकाश शर्मा तत्कालीन सचिव कृषि उपज मण्डी, मालपुरा टोंक ।	16 सी.सी.ए के अंतर्गत कार्यवाही
2.	3(150)/las/2015	01. श्री भरत यादव 02. श्री महावीर सिंह रावत 02. श्री पैनाराम 04. श्री शिवराम गुर्जर तत्कालीन उप निरीक्षक थाना रायला	17 सी.सी.ए के अंतर्गत कार्यवाही
3.	3(196)/las/2017	01. श्री उमराव सिंह सहायक उप निरीक्षक थाना नांगल राजावतान	17 सी.सी.ए के अंतर्गत कार्यवाही
4.	3(234)/las/2017	01. श्री कैलाश चंद मीणा तत्कालीन एस एच ओ 02. श्री अमर सिंह तत्कालीन एस एच ओ 02. श्री घेवर सिंह एसएचओ थाना बीलाड़ा, जोधपुर	16 सी.सी.ए के अंतर्गत कार्यवाही
5.	3(262)/las/2017	01. श्री सुदीप सिंह तत्कालीन लिपिक पुलिस कार्यालय, बाड़मेर ।	16 सी.सी.ए के अंतर्गत कार्यवाही
6.	3(508)/las/2018	01. श्री हितेश शर्मा, एसएचओ थाना सदर, जयपुर ग्रामीण । 02. श्री गौरीशंकर हैड कांसटेबल	17 सी.सी.ए के अंतर्गत कार्यवाही
7.	3(525)/las/2016	01. श्री शिशुपाल सिंह, तत्कालीन खान प्रबंधक	16 सी.सी.ए के अंतर्गत कार्यवाही
8.	3(566)/las/2018	01. श्री हनुवंत सिंह राजपूत सहायक उप निरीक्षक , चौकी उम्मेदाबाद, जालोर ।	17 सी.सी.ए के अंतर्गत कार्यवाही
9.	3(585)/las/2017	01. श्री भगवान लाल, सहायक उप निरीक्षक, 02. श्री दुर्गालाल, सहायक उप निरीक्षक, 03. आरक्षी श्री श्योजीराम, 04. श्री विजय सिंह, चालक	17 सी.सी.ए के अंतर्गत कार्यवाही

10.	3(618)/las/2017	01. श्री सुबे सिंह मुख्य आरक्षी	17 सी.सी.ए के अंतर्गत कार्यवाही
11.	3(695)/las/2017	01. श्री दशरथ सिंह हैड कांसटेबल, पुलिस थाना देई खेड़ा, बूंदी	17 सी.सी.ए के अंतर्गत कार्यवाही
12.	3(748)/las/2017	01. श्री अचल सिंह मुख्य आरक्षी, पुलिस थाना नगर फोर्ट जिला टोंक	17 सी.सी.ए के अंतर्गत कार्यवाही
13.	5(22)/las/2018	01. श्री हरिराम मीणा 02. श्री रामकिशोर जाट 02. श्री हीरालाल मीणा 04. श्री विरेन्द्र कुमार चौधरी 06. श्री मुकुटम सैनी राजस्थान उच्च विद्यालय, भांवती जिला टोंक	17 सी.सी.ए के अंतर्गत कार्यवाही
14.	5(73)/las/2017	01. श्री बजरंगलाल प्रधानाध्यापक, राज.मा.विद्यालय, भीम जिला सीकर	16 सी.सी.ए के अंतर्गत कार्यवाही
15.	5(107)/las/2015	01. श्री शंकरलाल प्रधानाध्यापक 02. श्री गोविन्दराम तत्कालीन प्रधानाध्यापक 02. श्री पंकज कुमार कनिष्ठ लिपिक	17 सी.सी.ए के अंतर्गत कार्यवाही
16.	11(222)/las/2012	01. श्री घनश्याम शर्मा तहसीलदार 02. श्री पंकज शर्मा तहसीलदार 02. श्री इन्द्राज सिंह तहसीलदार 03. श्री जयप्रकाश शर्मा तत्कालीन पटवारी 02. श्री जगदीश प्रसाद गोयल तत्कालीन पटवारी ग्राम थानिया, नवलगढ़	श्री घनश्याम शर्मा, श्री पंकज शर्मा, श्री इन्द्राज सिंह के विरूद्ध 16 सी.सी.ए के अंतर्गत कार्यवाही एवं अन्य लोकसेवक— श्री जयप्रकाश शर्मा व श्री जगदीश प्रसाद गोयल के विरूद्ध 17 सी.सी.ए के अंतर्गत कार्यवाही
17.	12(82)/las/2016	01. श्री इन्द्र सिंह सचिव	अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
16.	12(164)/las/2018	01. श्री मुकेश कुमार गुर्जर ग्राम सेवक पंचायत समिति विराटनगर	16 सी.सी.ए के अंतर्गत कार्यवाही

19.	12(303)/las/2018	01. श्री नवीन शर्मा तकनीकी सहायक	अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
20.	12(421)/las/2018	01. श्री सचिन कुमार चौबे ग्राम सेवक	17 सी.सी.ए के अंतर्गत कार्यवाही
21.	12(441)/las/2017	01. श्री हरफूल सिंह विकास अधिकारी	17 सी.सी.ए के अंतर्गत कार्यवाही
22.	12(466)/las/2018	01. श्री लालशंकर नागदा ग्राम विकास अधिकारी	17 सी.सी.ए के अंतर्गत कार्यवाही
23.	12(484)/las/2016	01. श्री बनवारीलाल सैनी ग्राम सेवक	17 सी.सी.ए के अंतर्गत कार्यवाही
24.	12(607)/las/2017	01. श्री किशनलाल बैरागी सरपंच 02. श्री आशा बैरागी सरपंच	विभागीय कार्यवाही शुरू कीगई
25.	12(623)/las/2016	01. श्री दिलीप सिंह 02. श्री पृथ्वी सिंह	17 सी.सी.ए के अंतर्गत कार्यवाही
26.	16(349)/las/2016	01. श्री मोहम्मद अजमल तत्कालीन अध्यक्ष 02. श्री सुमित कुमार तत्कालीन कनिष्ठ अभियंता 03. श्री नरेन्द्र थोरी तत्कालीन आयुक्त	मोहम्मद अजमल के विरूद्ध न्यायिक जांच, . श्री सुमित कुमार 16 सी.सी.ए के अंतर्गत कार्यवाही एवं श्री नरेन्द्र थोरी के विरूद्ध 17 सी. सी.ए के अंतर्गत कार्यवाही
27.	16(477)/las/2016	01. श्री धर्मीचंद खटोड़, तत्कालीन अध्यक्ष, 02. श्री चेतन कुमार जैन अधिशाषी अधिकारी एवं 03. श्री कमलेश कुमार सुरोलिया कनिष्ठ लिपिक	श्री धर्मीचंद खटोड़, श्री चेतन कुमार जैन दोनो के विरूद्व 16 सी.सी.ए के अंतर्गत कार्यवाही एवं श्री कमलेश कुमार सुरोलिया के विरूद्व पेंशन नियम 20 के अंतर्गत कार्यवाही
28.	16(480)/las/2018	01. श्री सुरेश शर्मा कनिष्ठ लिपिक नगरपालिका तिजारा	16 सी.सी.ए के अंतर्गत कार्यवाही
20.	35(196)/las/2016	01. श्री बनवारीलाल 02. श्रीमती अर्चना मोर्य 03. श्री पी एस जाखड़	16 सी.सी.ए के अंतर्गत कार्यवाही

विविध

लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त की पदस्थापन अवधि

लोकायुक्त

क्रम	नाम	दिनांक से	दिनांक तक
1.	माननीय न्यायमूर्ति श्री आई.डी.दुआ, पूर्व न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय	28.08.1973	27.08.1978
2.*	माननीय न्यायमूर्ति श्री डी.पी.गुप्ता, न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय	28.08.1978	05.08.1979
3.	माननीय न्यायमूर्ति श्री मोहन लाल जोशी, पूर्व कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय	06.08.1979	07.08.1982
4.*	माननीय न्यायमूर्ति श्री के.एस.सिद्धू, न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय	04.04.1984	03.01.1985
5.	माननीय न्यायमूर्ति श्री मोहन लाल श्रीमाल, पूर्व मुख्य न्यायाधीश, सिक्किम उच्च न्यायालय	04.01.1985	03.01.1990
6.	माननीय न्यायमूर्ति श्री पुरूषोत्तम दास कुदाल, पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय	16.01.1990	06.03.1990
7.*	माननीय न्यायमूर्ति श्री महेन्द्र भूषण शर्मा, न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय	10.08.1990	30.09.1993

क्रम	नाम	दिनांक से	दिनांक तक
8.*	माननीय न्यायमूर्ति श्री विनोद शंकर दवे, न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय	21.01.1994	16.02.1994
9.	माननीय न्यायमूर्ति श्री महेन्द्र भूषण शर्मा, पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय	06.07.1994	06.07.1999
10.	माननीय न्यायमूर्ति श्री मिलाप चन्द जैन, पूर्व मुख्य न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय	26.11.1999	26.11.2004
11.	माननीय न्यायमूर्ति श्री जी.एल.गुप्ता, पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय	01.05.2007	30.04.2012
12.	माननीय न्यायमूर्ति श्री सज्जन सिंह कोठारी, पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय	25.03.2013	07.03.2019
13.	माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रताप कृष्ण लोहरा, पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय	09.03.2021	निरन्तर

* कार्यवाहक लोकायुक्त

उप-लोकायुक्त			
1.	श्री के.पी.यू.मेनन आई.ए.एस, पूर्व मुख्य सचिव	05.06.1973	25.06.1974

सचिव की पदस्थापन अवधि

क्रम	नाम	दिनांक से	दिनांक तक
1.	श्री के.वी. शंकरन, IAS	20.09.1973	04.01.1974
2.	श्री एच.एस. रावत, IAS	21.01.1974	01.08.1977
3.	श्री टी.आर. अग्रवाल, IAS	04.12.1978	06.01.1981
4.	श्री एस.एन. मोदी, IAS	23.08.1983	31.03.1984
5.	श्री परमेश चन्द, IAS	31.03.1984	04.051984
6.	श्री ए.के. सिंह, RHJS	04.05.1984	24.11.1990
7.	श्री एस.एन. शाह, RHJS	24.11.1990	01.02.1992
8.	श्री हरबन्स लाल, RHJS	01.02.1992	06.05.1996
9.	श्री मनफूल राम, RHJS	06.05.1996	08.08.1999
10.	श्री प्रेमप्रताप सिंह, RHJS	06.01.2000	31.03.2002
11.	श्री भंवरु खां, RHJS	22.07.2002	06.01.2004
12.	डॉ. पदम कुमार जैन, RHJS	07.01.2004	12.01.2006
13.	श्री प्रकाश गुप्ता, RHJS	14.11.2007	22.12.2010
14.	श्री आर.के. बंसल, RHJS	19.01.2011	06.08.2012
15.	श्री पवन एन. चन्द्र, RHJS	18.04.2013	22.04.2014
16.	श्री प्रकाश चन्द जैन, RHJS(R)	14.05.2015	28.03.2017
17.	श्री उमाशंकर शर्मा, RJS (DJ)	31.03.2017	15.10.2019
18.	श्री गौरी शंकर शर्मा, RJS (DJ)	01.04.2021	निरन्तर

लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान
शासन सचिवालय परिसर, जनपथ, जयपुर 302 005
फोन : 0141 2227999, फैक्स : 0141 227083
ई-मेल : lokyaukta@rajasthan.gov.in
वेबसाईट : lokyaukta.rajasthan.gov.in